दृष्टि The Vision

RAS Series : Book-6

समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार, विधि, खेल एवं योग

RAS/RTS के विशेष संदर्भ सहित

(पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक)

द्वितीय संस्करण

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS/RTS)
मुख्य परीक्षा के विविध विषयों पर आधारित पुस्तक

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव तथा टैबलेट मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर या टैबलेट पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स या टैबलेट कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com या Drishti Learning App पर FAQs पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि The Vision

RAS Series : Book-6

समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार, विधि, खेल एवं योग

(RAS/RTS के विशेष संदर्भ सहित)

Drishti Publications dp

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार, विधि, खेल एवं योग

लेखक : टीम दृष्टि

द्वितीय संस्करण- अगस्त 2021

मूल्य : ₹ 490

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

अनुक्रम

खंड-A: समाजशास्त्र

1. भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास ..... 3 – 6
2. सामाजिक मूल्य ..... 7 – 8
3. जाति, वर्ग और व्यवसाय ..... 9 – 13
4. संस्कृतीकरण ..... 14 – 15
5. वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ और संस्कार व्यवस्था ..... 16 – 20
6. धर्मनिरपेक्षता ..... 21 – 24
7. सामाजिक मुद्दे एवं सामाजिक समस्याएँ ..... 25 – 46
8. राजस्थान के जनजातीय समुदाय ..... 47 – 56

खंड-B: प्रबंधन

9. प्रबंधन ..... 3 – 11
10. आयोजन, संगठन, स्टाफ एवं निर्देशन ..... 12 – 21
11. समन्वय, नियंत्रण और निर्णयन ..... 22 – 29
12. विपणन ..... 30 – 39
13. वित्त ..... 40 – 48
14. नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा और मुख्य सिद्धांत ..... 49 – 67
15. प्रशिक्षण एवं विकास और मूल्यांकन प्रणाली के मूल सिद्धांत ..... 68 – 72

खंड-C: लेखांकन एवं अंकेक्षण

16. लेखांकन ..... 3 – 14
17. अंकेक्षण ..... 15 – 19
18. बजट ..... 20 – 24

खंड-D: प्रशासकीय नीतिशास्त्र

19. नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य ..... 3 – 12
20. भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में नैतिक संप्रत्यय ..... 13 – 50
21. संवेगात्मक बुद्धि ..... 51 – 56
22. महान व्यक्तित्व के जीवन से प्राप्त शिक्षाएँ ..... 57 – 93
23. अभिवृत्ति ..... 94 – 104
24. सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य ..... 105 – 119
25. केस स्टडी ..... 120 – 128

खंड-E: व्यवहार

26. बुद्धि ..... 3 – 10
27. व्यक्तित्व ..... 11 – 18
28. अधिगम और अभिप्रेरणा ..... 19 – 25
29. जीवन की चुनौतियों का सामना ..... 26 – 34

खंड-F: विधि

30. विधि की अवधारणा ..... 3 – 14
31. महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून ..... 15 – 35
32. वर्तमान विधिक मुद्दे ..... 36 – 75
33. राजस्थान में महत्त्वपूर्ण भूमि विधियाँ ..... 76 – 100

खंड-G: खेल एवं योग

34. प्रमुख खेलकूद ..... 3 – 13
35. प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ : विश्व एवं एशिया ..... 14 – 33
36. भारत की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ ..... 34 – 41
37. प्रमुख खेल पुरस्कार : विश्व एवं एशिया ..... 42 – 44
38. प्रमुख खेल पुरस्कार : भारत एवं राजस्थान ..... 45 – 52
39. प्रमुख खेल व्यक्तित्व : विश्व एवं एशिया ..... 53 – 60
40. प्रमुख खेल व्यक्तित्व : भारत एवं राजस्थान ..... 61 – 71
41. प्रमुख खेल संस्थाएँ : विश्व एवं एशिया ..... 72 – 73
42. प्रमुख खेल संस्थाएँ एवं नीतियाँ : भारत एवं राजस्थान ..... 74 – 79
43. खेलों में प्राथमिक उपचार ..... 80 – 82
44. योग–एक सकारात्मक जीवन पद्धति ..... 83 – 110

1 भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास
(Development of Sociological Thoughts in India)

प्रसिद्ध फ्राँसीसी दार्शनिक ऑगस्त काम्टे ने वर्ष 1838-39 में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र लैटिन भाषा के socius या societies तथा ग्रीक भाषा के logus से मिलकर बना है। societies का अर्थ समाज, साथी या सहयोगी होता है तथा logus का अर्थ अध्ययन या विज्ञान है, अर्थात् समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है।

समाज सामाजिक संबंधों की एक दुनिया है जो मानव अंतर-क्रियाओं एवं पारस्परिक संबंधों से जुड़ा होता है। एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र पश्चिमी बौद्धिक प्रवचन का एक उत्पाद है।

कालांतर में दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर एवं अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विज्ञान के रूप में विकसित करने हेतु अपने महत्त्वपूर्ण योगदान दिये। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिंसबर्ग ने लिखा है कि स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति, दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व मानवीय संबंधों की जटिलता के अध्ययन का विश्लेषण, दोनों को यथार्थता की कसौटी पर कसने के लिये समाजशास्त्र का आविर्भाव एक समाजविज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी में हुआ।

विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक समाज-वैज्ञानिक विषय व सामाजिक विषय के रूप में अपने-अपने तरीकों से परिभाषित करने के प्रयास किये। विषयांतर्गत सार को समझने हेतु कुछ परिभाषाएँ निम्नवत हैं-

मैक्स वेबर के अनुसार- "समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी प्रक्रिया व प्रभावों की बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सके"

गिंसबर्ग के अनुसार- "समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं और अंतर्संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है।

शुरुआत में यह मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ था। हालाँकि, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की वृद्धि तीन चरणों के माध्यम से पारित की गई।

1. प्रथम चरण - 1773-1900
2. दूसरा चरण - 1901-1950
3. तीसण चरण- 1950 से अब तक

प्रथम चरण – 1773-1900

वर्ष 1900 से पहले, समाजशास्त्र ने भारतीय समाज और संस्कृति को समझने हेतु ब्रिटिश प्रशासकों के लिये उपकरण के रूप में पहचान बनाई। 1784 में, विलियम जोन्स ने भारत में प्रकृति और मनुष्य का अध्ययन करने के लिये बंगाल की दि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की।

इसके बाद जनगणना का उपयोग परिवर्तन से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को समझने के लिये किया गया था तथा महामारी, अकाल आदि को नियंत्रित करने में मदद की गई थी।

दूसरा चरण – 1901-1950

- 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, पेशेवर समाजशास्त्री, जैसे- हर्बर्ट रिस्ले (रिजले) (जनजाति/जाति), ब्राउन (अंडमान द्वीपसमूह) ने भारत में जनजाति के घातक पहलुओं पर काम करना शुरू कर दिया।
- बॉम्बे, कलकत्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय में अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र ने बीएन सील, जीएस घूर्ये, बीके सरकार, राधाकमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और के.पी. चट्टोपाध्याय के योगदान के कारण उपस्थिति बनाई। हालाँकि, उनके बौद्धिक हितों, डाटा संग्रह के तरीके और भारतीय सामाजिक प्रणाली एवं सामाजिक संस्थानों की उनकी व्याख्याओं को औपनिवेशिक काल में विद्वान प्रशासकों द्वारा उत्पादित नृवंशविज्ञान कार्यों से दृढ़ता से प्रभावित किया गया था।
- यह उल्लेख करने के लिये कोई अतिसंवेदनशीलता नहीं होगी कि जी.एस. घूर्ये ने भारतीय समाजशास्त्र में पृथ्वी के निचले स्तर से अनुभववाद की शुरुआत की। उनके विविध हितों को उनके कार्यों में शामिल किया गया है, उदाहरण- परिवार, संबंध संरचनाएँ, विवाह, धार्मिक संप्रदाय और जातीय समूह/जातियाँ।

जबकि, बी.एन. सील और बी.के. सरकार बंगाली पुनर्जागरण के उत्पाद थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे तथा जातीयता, धर्म और संस्कृति पर अध्ययन शुरू कर चुके थे, के.पी. चट्टोपाध्याय (सामाजिक मानवविज्ञानी) ने बड़े पैमाने पर सामाजिक सर्वेक्षण किये, जिनमें बंगाल में और दूर आदिवासियों के साथ-साथ किसानों एवं कामकाजी लोगों की स्थिति का खुलासा हुआ।

लखनऊ में समाजशास्त्र के अग्रदूत विशेष रूप से राधाकमल मुखर्जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि की समस्याओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

तीसरा चरण

(1950-आज तक) या आज़ादी के बाद समाजशास्त्र का विकास भारतीय विद्वानों द्वारा।

समाजशास्त्र के विस्तार या विकास का चरण 1952 में शुरू हुआ, इसके कई कारक इसके विकास के खाते में हैं। स्वतंत्र भारत के नीति-निर्माताओं ने आर्थिक पुनर्जनन और सामाजिक विकास के उद्देश्यों का पीछा किया तथा उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामाजिक विज्ञान की भूमिका को पहचाना।

2 सामाजिक मूल्य (Social Values)

सामाजिक मूल्य से अभिप्राय समाज में स्थापित मानदंडों के समुच्चय से है, जिसका पालन समाज में एकरूपता लाने के लिये किया जाता है। ये सामाजिक मूल्य मानव के अधिकतम कल्याण के लिये समाज के मानक होते हैं। ये मूल्य समाजीकरण की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। इनमें मुख्यत: शामिल हैं- मानवता, सदाचरण, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, प्रेम, आदर, शांति इत्यादि। मूल्य मानवीय क्रियाओं को सशक्त करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित के लिये आवश्यक हैं। सामाजिक मूल्यों के समाज में प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने में शिक्षा व्यवस्था, परिवार, सामाजिक प्रभाव, साहित्य, मीडिया-संचार माध्यम तथा रोल मॉडल का विशेष योगदान होता है।

सामाजिक मूल्यों की विशेषताएँ (Features of Social Values)

- सामाजिक मूल्य सामाजिक सहमति का परिणाम होते हैं, जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
- ये मूल्य, समय एवं स्थान सापेक्ष होते हैं। विभिन्न देशों, संस्कृतियों या भू-भागों में सामाजिक मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं, जैसे- विवाह तथा तलाक संबंधी मूल्य अलग-अलग देशों में वहाँ की मान्यताओं के अनुरूप अलग-अलग हो सकते हैं।
- सामाजिक मूल्य गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं। ये बदलते समय तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे- सती प्रथा भारत में पहले एक मूल्य के रूप में स्थापित थी, किंतु आज इसकी आलोचना होती है तथा यह पूर्णत: वर्जित है।
- सामाजिक मूल्य संबंधित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। समाज द्वारा प्रदत्त स्वीकृति ही सामाजिक मूल्यों को सशक्त एवं प्रभावी रूप में स्थापित करने में सहायता करती है।
- सामाजिक मूल्य जन भावनाओं से जुड़े होते हैं तथा ये समाज के कल्याण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं।
- सामाजिक मूल्य निरपेक्ष नहीं होते हैं। ये समय, समाज एवं परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। साथ ही कभी-कभी सामाजिक मूल्यों के प्रति विश्वास में पीढ़ीगत अंतराल भी पाया जाता है।

सामाजिक मूल्यों का प्रभाव/महत्त्व (Effects/Importance of Social Values)

- सामाजिक मूल्य व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों में कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण में सहायता करते हैं।
- सामाजिक मूल्य व्यक्तियों के व्यवस्थित एवं समग्र समाजीकरण में सहायक होते हैं।
- सामाजिक मूल्य समाज में व्यवहार तथा आचरण की एकरूपता स्थापित करने एवं सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं।
- सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के द्वारा प्रचलित मूल्यों को मान्यता प्रदान की जाती है, जिससे ये मूल्य गतिशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा सामाजिक प्रगति में सहायक होते हैं।
- सामाजिक मूल्य सभी की धारणाओं एवं मान्यताओं को एक दिशा प्रदान कर सामाजिक व्यवस्था का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हैं।
- सामाजिक मूल्यों का योगदान व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है।
- ये मूल्य सामाजिक भूमिकाओं के निष्पादन में सहायक होते हैं। ये व्यक्ति से समाज की अपेक्षाओं के प्रति उसे जागरूक करते हैं।
- सामाजिक मूल्य संबंधों की जटिलता को कम करते हैं तथा सामाजिक क्षमता के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं।

सामाजिक मूल्य तथा मानवीय मूल्यों में अंतर (Difference between Social Values and Human Values)

मानवीय मूल्यों की प्रकृति व्यक्तिगत होती है तथा ये मानवों से संबंधित होते हैं। मानवीय मूल्य सार्वभौमिक होते हैं तथा ये समान रूप से सभी मनुष्यों के लिये महत्त्व रखते हैं। ये व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्यत: शामिल हैं- सद्आचरण, सत्य, प्रेम, शांति तथा अहिंसा। इनके अतिरिक्त सम्मान, स्वीकृति, प्रशंसा, स्नेह तथा सहानुभूति इत्यादि अन्य मानवीय मूल्य हैं। मानवीय मूल्य सामाजिक मूल्यों का भाग हो सकते हैं तथा इनके मार्ग निर्देशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वहीं सामाजिक मूल्यों को आचरण के सामूहिक मानकों के रूप में समझा जाता है, जो किसी समूह या समाज विशेष से संबद्ध होते हैं। सामाजिक मूल्य सामान्यत: सर्वसम्मति से स्वीकार किये जाते हैं, जिन्हें मानने के लिये पूरा समाज सहमत होता है। सामाजिक मूल्यों से समाज प्रभावित होता है। अत: इसका दायरा व्यापक होता है। वहीं इनमें परिवर्तन हेतु प्रतिक्रिया भी समाज के स्तर पर होती है। सामाजिक मूल्यों में मुख्यत: शामिल हैं- मानवाधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समान अवसर, निजता, सहिष्णुता, पर्यावरणीय नैतिकता एवं लोक दायित्व इत्यादि।

सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनकी विचारधारा (Some Important Personalities Who Affected the Social Values and their Ideology)

कबीर *(Kabir)*

संत कबीर को एक महत्त्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने स्थापित भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं/मूल्यों में परिवर्तन के लिये प्रयास किया। इन्होंने जातिगत भेदभावों का सशक्त विरोध कर

3 जाति, वर्ग और व्यवसाय
(Caste, Class and Occupation)

'जाति' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की 'जन' धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ 'प्रजाति' अथवा 'भेद' से लिया जा सकता है। अंग्रेज़ी में जाति हेतु 'कास्ट' शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेज़ी के इस शब्द 'कास्ट' (Caste) की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा (Casta) से हुई है जिसका अर्थ है 'नस्ल', 'प्रजाति' तथा 'जन्म'।

जाति व्यवस्था (Caste System)

परंपरागत रूप में जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप रही है और आज भी जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है।

इस तथ्य पर विद्वानों में मतभेद हैं कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सुनिश्चित कालक्रम कौन-सा है। सामान्यत: ऐसा माना जाता है कि चार वर्णों का वर्गीकरण लगभग 3000 वर्षों पुराना है। यद्यपि विभिन्न समय-कालों में जाति व्यवस्था ने विभिन्न स्वरूप धारण किये हैं लेकिन यह मानना कि 3000 वर्षों से एक समान व्यवस्था चली आ रही है, स्वयं को भ्रमित करना होगा। वैदिक काल (900-500 ई.पू.) के बीच में जाति व्यवस्था वस्तुत: वर्ण व्यवस्था ही थी और केवल इसके 4 विभाजन थे जो कि न तो बहुत अधिक कठोर एवं विस्तृत थे और न ही जन्म से निर्धारित होते थे। इनके मध्य स्थान परिवर्तन भी सामान्य था। इसलिये यह मान सकते हैं कि उत्तर-वैदिक काल में ही जाति का एक कठोर संस्था के रूप में उदय हुआ।

जाति को अच्छी तरह परिभाषित करने के संदर्भ में दो भिन्न मतों की चर्चा की जा सकती है। इनमें पहले मत के प्रवर्तक- बोगल, क्रोवर, केटकर, सेनार्ट, कैथलीन गफ आदि जातियों के प्रत्यक्ष व कार्यपरक तत्त्वों के आधार पर जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। जिसमें मुख्य तत्त्व- अंत:विवाही, सहभोज, व्यवसाय तथा पैतृक विशिष्टता, संपर्क आदि पर प्रतिबंध होता है। दूसरे मत के मुख्य प्रवर्तक, यथा- लुईस ड्यूमा जाति को उसके मूल तत्त्व यानी शुद्धता व अशुद्धता के आधार पर परिभाषित करते हैं।

जाति व्यवस्था की विशेषताएँ *(Features of Caste System)*

- यह जन्म आधारित होती है। जन्म के साथ ही व्यक्ति को जातिगत पहचान मिलती है तथा यह मृत्युपर्यंत विद्यमान रहती है।
- व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं होती है तथा जाति विशेष के द्वारा पूर्व-निर्धारित व्यवसाय ही किये जा सकते हैं।
- सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है।
- विवाह संबंध केवल अपनी जाति में संपन्न किये जा सकते हैं।
- इसके अंतर्गत समाज का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है।
- सामाजिक संबंधों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं।
- सामाजिक गतिशीलता क्षैतिज रूप में पाई जाती है।
- खान-पान, रहन-सहन एवं स्वतंत्र जीवन शैली पर भी अनेक प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं।
- जातियों के भीतर उपजातियों का वर्गीकरण भी पाया जाता है।
- विभिन्न जातियों के बीच विशेषाधिकारों एवं अपवंचनों अक्षमताओं का बँटवारा होता है।

जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक

सिद्धांत	प्रतिपादक
❑ परंपरागत सिद्धांत	❑ ऋग्वेद
❑ नस्ली/प्रजाति सिद्धांत	❑ रिजले, घूर्ये एवं मजूमदार
❑ विकासवादी/उद्विकास सिद्धांत	❑ इवेसरन
❑ व्यावसायिक सिद्धांत	❑ नेसफील्ड
❑ धार्मिक सिद्धांत	❑ होकार्ट एवं सेनार्ट
❑ भौगोलिक सिद्धांत	❑ गिलबर्ट
❑ मानववादी सिद्धांत	❑ हट्टन

जाति व्यवस्था में परिवर्तन *(Changes in Caste System)*

जैसा कि जाति की परिभाषा से स्पष्ट है कि जाति एक बंद एवं कठोर सामाजिक व्यवस्था है तथा इसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। जातियों के बीच सामाजिक व्यवहार पर निषेध व अंतर्विवाह संबंधी नियम के द्वारा जाति समूहों में विलगता बनी रहती है। लेकिन, वैदिक काल से आज तक के ऐतिहासिक तथ्यों को देखने से पता चलता है कि जाति व्यवस्था एक गतिशील वास्तविकता है जिसके प्रकार्यों व आंतरिक संरचना में अत्यधिक लचीलापन रहा है।

इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रियों के अनुभव से भी ज्ञात होता है कि जाति व्यवस्था की बंद प्रकृति के बावजूद जातिगत पदक्रम एवं इसके प्रतिमानों में समयानुसार परिवर्तन होते रहे हैं, उदाहरणस्वरूप- वैदिक काल में हिंदू धर्म की सांस्कृतिक रीतियाँ कालांतर में निषेध हो गईं।

स्पष्टत: पता चलता है कि परिवर्तन सदैव जाति व्यवस्था की निरंतरता का एक पक्ष रहा है तथा किसी भी व्यवस्था को न तो पूर्णत: बंद, न खुला माना जा सकता है। जाति व्यवस्था में हुए इन तीव्र परिवर्तनों को मुख्यत: संस्कृतीकरण एवं पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण की देन माना जा सकता है। संस्कृतीकरण नामक प्रक्रिया जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जातियों और बहुधा द्विज जातियों का अनुसरण करते हुए अपनी प्रथाएँ, अनुष्ठान, विचारधाराएँ, रीतियाँ एवं जीने का तरीका बदल लेती हैं, ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता को घटित होने के लिये प्रेरित किया। वहीं पश्चिमीकरण के तहत वे सारे प्रभाव आते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी शासन के दौरान संपूर्ण भारत देश को प्रभावित किया।

4 संस्कृतीकरण (Sanskritization)

संस्कृतीकरण शब्द की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। संस्कृतीकरण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह, उच्च जातियों खासकर, द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श तथा विचारों का अनुकरण/नकल/अवतरण करते हैं।

संस्कृतीकरण के बहुलकृत प्रभाव हैं, इसके प्रभाव भाषा, विचारधारा, साहित्य, नृत्य, संगीत, नाट्य, अनुष्ठान व जीवन चक्र पर देखने को मिलते हैं। संस्कृतीकरण की प्रक्रिया मूलत: हिंदू समाज के तहत स्थापित/विद्यमान है, लेकिन श्रीनिवास के अनुसार यह प्रक्रिया गैर-हिंदू संप्रदाय तथा अन्य समूहों में देखी जा सकती है। अलग-अलग तरीकों से किये गए अध्ययनों में यह पाया गया कि संस्कृतीकरण देश के अनेक हिस्सों में भिन्न-भिन्न ढंग से होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उच्चस्तर की सांस्कृतिक जातियों का प्रभुत्व था उस क्षेत्र की सभी संस्कृतियों में किसी-न-किसी स्तर का संस्कृतीकरण हुआ।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर संस्कृतीकरण की निम्नांकित विशेषताएँ प्रकट होती हैं।

- संस्कृतीकरण का संबंध निम्न जातियों से है।
- यह सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है।
- यह प्रक्रिया हिन्दू जातियों तक ही सीमित नहीं है।
- संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं है बल्कि एक समूह से है।
- संस्कृतीकरण के कई आदर्श हो सकते हैं।
- इस प्रक्रिया द्वारा उच्च जाति के प्राचीन मूल्यों एवं शब्दावली को भी अपनाया जाता है।
- संस्कृतीकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
- इस प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिये एक निम्न जाति दो या तीन पीढ़ी पहले से अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ने लगती है।
- यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है।
- यह विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है।
- यह एक दोहरी प्रक्रिया है।

इस प्रकार से श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज की धार्मिक संरचना एवं प्रकार्यों का विस्तृत उल्लेख किया है।

श्रीनिवास जी का कहना है कि "किसी भी समूह या वर्ग का संस्कृतीकरण उसकी प्रस्थिति को स्थानीय जाति संस्तरण में उच्चता की तरफ ले जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि संस्कृतीकरण संबंधित समूह की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार है तथा हिंदुत्व की महान प्रचलित परंपराओं के किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है जिसके फलस्वरूप उस वर्ग या समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है।

संस्कृतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है जिसमें व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक दृष्टि से अनुव्यापी समूहों के रीति-रिवाज़ एवं नामों की नकल कर अपनी पहचान को उच्च बनाते हैं। इसका अधिकतर प्रारूप आर्थिक रूप से बेहतरी के लिये होता है। ऐसी स्थितियों में यह तर्क विद्यमान है कि जब व्यक्ति अमीर होने लगते हैं तो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं/आशाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं।

संस्कृतीकरण की संकल्पना कई स्तरों पर आलोचनात्मक रही है। पहली बार इस संकल्पना के संदर्भ में यह कहा गया कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति के सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है, को अधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जिसमें इस प्रक्रिया द्वारा कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों में स्थिति परिवर्तन होता है। अर्थात् कुछ व्यक्ति, सामाजिक संरचना में असमानता पर आधारित अपनी प्रस्थिति में परिवर्तन या सुधार कर लेते हैं लेकिन इससे समाज में मौजूद असमानता व भेदभाव समाप्त नहीं हो जाते।

दूसरी आलोचना का पक्ष यह है कि इस संकल्पना की विचारधारा में उच्च जाति की जीवनशैली, निम्न जातियों के लोगों की जीवनशैली से भिन्न है। अत: उच्च समूहों के लोगों की जीवनपद्धति का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय एवं प्राकृतिक मान लिया गया है।

तीसरी आलोचना यह है कि यह अवधारणा या संकल्पना एक ऐसे पथ को सही बताती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इससे यह तर्क प्राप्त होता है कि पवित्रता एवं अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए और इसलिये ये लगता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। इस प्रकार के नज़रिये वाले समाज में समानता की कल्पना जटिल है। निम्नलिखित उद्धरण से पता चलता है कि समाज पवित्रता-अपवित्रता को कितना महत्त्व देता है।

एक सुनार ऊँचे दर्जे की जाति है, फिर भी कई जातियों में सुनारों से भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित है। क्योंकि, लोग ऐसा मानते हैं कि सुनार इतने लालची होते हैं कि वे मल-मूत्र में भी सोना ढूंढ़ निकालते हैं, जिसकी वज़ह से ज़्यादा अपवित्र हैं। हमारे समाज में ऐसी अन्य जातियों से भोजन नहीं लेते जो अपवित्र काम करते हैं, जैसे- धोबी, तेली इत्यादि। इस बात से यह पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए।

चौथी आलोचना है कि इसमें उच्च जाति के अनुष्ठानों, रीति-रिवाज़ों एवं व्यवहार को संस्कृतीकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानताओं की सीढ़ी पर सबसे निचले पायदान पर

5 वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ और संस्कार व्यवस्था
(Varna, Ashram, Purusharth and Sanskar System)

वर्ण व्यवस्था (Varna System)

किसी भी समाज के व्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक माना जाता है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता, प्रकृति, प्रवृत्ति एवं उसके गुण व कर्मों के आधार पर किया जाए। व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर कर्म विभाजन करने को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। साधारण शब्दों में इसे विवेचित कर सकते हैं- जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वरण करता है, वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति 'वृ' धातु से मानी गई है जिसका अर्थ है- वरण करना या चुनना। इसके अतिरिक्त वर्ण शब्द 'रंग' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यद्यपि मनुस्मृति में वर्ण व जाति शब्द प्राय: एक ही अर्थ में प्रयोग किये गए हैं, जैसा कि वर्तमान में भी देखने को मिलता है।

इस संदर्भ में ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध उद्धरण महत्त्वपूर्ण है- "मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती हैं। धन की कामना करने वाले नाना कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं।" लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक कायम नहीं रही और समय के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था काफी कठोर होती गई। पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी वह धीरे-धीरे जन्म पर आधारित हो गई। विभिन्न वर्णों का अलग-अलग एक व्यापक घेरा बन गया। वर्णों के बीच अंतर्वर्णीय संबंधों की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई और रीति-रिवाज़ों की कठोरता के कारण, अर्थात् सामाजिक लचीलेपन के अभाव के परिणामस्वरूप कालांतर में वर्ण व्यवस्था को बौद्ध, जैन जैसे आंदोलनों की चुनौती का सामना भी करना पड़ा।

गुण व कर्म का यहाँ पर संबंध व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। अत: समाज के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु मनुष्यों के रुझानानुसार उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ण स्वयं के वर्ण-धर्म का पालन करते हुए दायित्वों का निर्वहन करता है।

हालाँकि, के.एम. पाणिक्कर जैसे विद्वान भारतीय समाज के इस चतुर्वर्णी विभाजन को कोरी कल्पना मानते हैं, परंतु वास्तव में इसे कोरा आदर्श मानना भूल होगी, क्योंकि यह पूर्णत: व्यावहारिक व्यवस्था रही है और इसका आधार भी मुख्यत: से प्रजाति माना गया है तथा इस मूल वेदों में मिलता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य *(Historical Perspective)*

सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा की गई है। इस चर्चा के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई थी। उसके मुख्य से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरू (जाँघ) से वैश्य तथा पाद (पैर) से शूद्र उत्पन्न हुए। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए उपनिषदों में वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ने पहले से ही चार वर्ण बनाए अपितु प्रारंभ में केवल एक ही वर्ण अर्थात् ब्राह्मण उत्पन्न हुआ परंतु जब उससे सभी कार्य न हुए तो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई लेकिन जब ये दोनों भी सभी कार्य मिलकर संपन्न न कर पाए तो संसार में शूद्रों का जन्म हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं- प्रथम-सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न समय पर कई वर्णों की उत्पत्ति हुई, द्वितीय- वर्णों की उत्पत्ति का आधार वर्णों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ मानी गईं। इसे अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद के अनुसार 'किसी भी वर्ण में जन्म, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है।' पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति की विशेषताएँ एवं गुण निर्मित होते हैं और इसी आधार पर उनके वर्ण की स्थिति का निर्धारण होता है।

वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एवं मानवशास्त्री विद्वानों की भी एक अन्य विचारधारा है। पी.एच. प्रभु के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ण व्यवस्था के आधार में प्रजातीय विभेद की विद्यमानता रही है। डी.एन. मजूमदार के अनुसार भी वर्ण व्यवस्था का मूल आधार सांस्कृतिक संघर्ष और प्रजातीय संपर्क ही है। एच.एच. रिजले भी वर्ण और जाति की उत्पत्ति का आधार प्रजाति संपर्क को ही मानते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का एक अन्य विचार मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। कुछ विद्वानों का मत है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही रूप है जो सतत् व स्थायी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के कारण अस्तित्व में आई।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य *(Theoretical Perspective)*

स्पष्टत: भारतीय समाज में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर की गई थी, न कि जन्म के आधार पर। यहाँ व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव के आधार पर समाज को 4 वर्णों, यथा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बाँटा गया था। प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व, अधिकार और व्यवसाय एक-दूसरे से भिन्न थे तथा हर व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था कि वह अपने वर्ण-धर्म के अनुसार कर्त्तव्यों का पालन करे।

वर्ण व्यवस्था के उदय के लिये एक तरफ कृषि व्यवस्था का उदय उत्तरदायी था, वहीं दूसरी तरफ कई और भी इसके सैद्धांतिक पक्ष थे। ऐसा माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था ही एक ऐसा सैद्धांतिक आधार था जो इस उत्पन्न हुए सामाजिक श्रेणीकरण को कहीं-न-कहीं न्यायसंगत सिद्ध कर सकता था। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज में एक प्रकार का शक्ति संतुलन एवं अधिकार विभाजन किया गया था। ज्ञान का अधिकार रखने वाले को राज्य का अधिकार न देकर उसे धन लालसा से दूर रखने की कोशिश की गई। राज्य का अधिकार जिसके पास था उसे संपत्ति के असीमित अधिकार से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि ज्ञानी भी उसके नियंत्रण से मुक्त थे। इसी तरह संपत्ति का अधिकारी राज्य अथवा धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अत: इस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक वर्गों के बीच अधिकार के विभाजन द्वारा शक्ति-संतुलन का निर्माण किया गया क्योंकि यदि एक ही वर्ग विभिन्न अधिकारों का स्वामी होता तो समाज में वह वर्ग असीमित शक्ति ग्रहण कर सकता था।

6 धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

'धर्मनिरपेक्षता' अंग्रेज़ी शब्द 'Secularism' का अनुवाद है, जो मूलत: लैटिन शब्द 'Seculam' से बना है। 'Seculam' का अर्थ होता है- इहलोक से संबंधित। अत: शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से 'Secularism' का अर्थ हुआ- वह विचारधारा जो मनुष्य को परलोक की चिंता छोड़कर इहलोक से संबंधित होने की प्रेरणा देती है। इसे धर्मनिरपेक्षता इसलिये कहा जाता है, क्योंकि यह विचारधारा पारंपरिक धर्मों की परलोककेंद्रित (That worldly) मानसिकता का विरोध करती है।

धर्मनिरपेक्षतावाद आधुनिक काल की एक भौतिकवादी (Materialist) तथा मानववादी (Humanist) विचारधारा है जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति (Scientific Temper) के आधार पर इहलोक के महत्त्व की स्थापना करती है।

धर्मनिरपेक्षतावाद धर्म का समर्थन नहीं करता क्योंकि धर्म पारलौकिक विश्वासों पर टिका होता है जबकि धर्मनिरपेक्षतावाद ऐसे विश्वासों से तटस्थ रहता है। **धर्म की उपेक्षा या विरोध** का दूसरा कारण यह भी है कि धर्म वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा भौतिक विकास में बाधक बनता है जबकि कुछ विचारकों के अनुसार भौतिक विकास ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है।

धर्मनिरपेक्षतावादियों ने **विज्ञान और तकनीक के विकास पर अत्यधिक बल** दिया है। उनका दावा है कि मनुष्य का कल्याण और उसके सुखों में वृद्धि ईश्वर की प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि विज्ञान-तकनीक के विकास से ही संभव है।

धर्मनिरपेक्षतावादी **धर्मनिरपेक्ष नैतिकता** (Secular Morality) पर बल देते हैं। धर्म और नैतिकता के पारस्परिक संबंध को लेकर हमेशा विवाद रहा है कि नैतिकता धर्म पर निर्भर है या धर्म से स्वतंत्र है। कई पारंपरिक चिंतक मानते हैं कि जो नैतिकता धर्म पर आधारित नहीं होती, वह वस्तुत: नैतिकता होती ही नहीं। प्रो. गैलवे, दोस्त्योवस्की तथा महात्मा गांधी जैसे चिंतक इस विचार के पक्ष में थे।

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय धारणा (Indian Notion of Secularism)

धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है जिन्हें मोटे तौर पर तीन वर्गों में रखा जा सकता है।

पहले वर्ग में आधुनिक उदारवादी विचारक आते हैं जो 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे। ये विचारक सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े थे और सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में धर्म के विरोधी नहीं थे। इस वर्ग के प्रमुख विचारक थे- **दादा भाई नौरोजी, फिरोज़शाह मेहता** तथा **राजा राममोहन राय**। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी विचारधारा को ही स्वीकार किया व राजनीति में किसी भी रूप में धर्म को शामिल न करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कुल मिलाकर, इनकी धर्मनिरपेक्षता व्यावहारिक प्रकार की थी जिसका तात्पर्य था कि व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में धर्म को कुछ सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया जाए, परंतु उसे राजनीति का हिस्सा न बनाया जाए।

दूसरे वर्ग में वे विचारक आते हैं जो धर्म के पारंपरिक स्वरूप के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, जैसे- जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय इत्यादि। इनकी स्पष्ट मान्यता थी कि राजनीति में धर्म शामिल नहीं होना चाहिये। साथ ही, इनकी राय में परंपरागत धर्मों का विरोध करना भी आवश्यक है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को अंधविश्वासी, यथास्थितिवादी, सांप्रदायिक तथा प्रगतिविरोधी बना देता है। ध्यातव्य है कि नेहरू पारंपरिक धर्मों के विरोधी होते हुए भी 'वैज्ञानिक धर्म' (Scientific Religion) के समर्थक थे। उनका वैज्ञानिक धर्म किसी भी अलौकिक कल्पना या अंधविश्वास को खारिज करता है।

तीसरे वर्ग के चिंतकों ने धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा को अस्वीकार कर दिया। इनमें मुख्यत: चार विचारक शामिल हैं- महात्मा गांधी, डॉ. आबिद हुसैन, डॉ. राधाकृष्णन व भगवानदास।

गांधीजी का विचार इस दृष्टिकोण का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द को ही खारिज कर दिया क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदांत दर्शन से प्रभावित होने के कारण वे मानते थे कि मनुष्य का परम उद्देश्य अपना आध्यात्मिक विकास करना है। वे संप्रदायनिरपेक्ष थे परंतु उनकी राय में धर्म से तटस्थ होना असंभव है। वे सर्वधर्मसमभाव के समर्थक थे जिसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना है। कुछ लोगों को यह विचार अव्यावहारिक प्रतीत हो सकता है; परंतु गांधीजी ने स्वयं इस विचार को आत्मसात् किया। उनका संपूर्ण जीवन इस विचार की संभाव्यता का प्रमाण है।

इस वर्ग के शेष चिंतकों ने गांधीजी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा को ही स्वीकार किया, किंतु धर्मनिरपेक्षता शब्द को खारिज न करते हुए उसकी व्याख्या इसी अर्थ में की।

डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 'Recovery Of Faith' में लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता का विचार भारत की प्राचीन परंपरा के अनुरूप ही है। इसके अंतर्गत यही प्रयास किया जाता है कि धर्मपरायण व्यक्तियों में सौहार्द्र की भावना हो तथा वैमनस्य न हो। डॉ. भगवानदास ने अपनी पुस्तक 'The Essential Unity Of All Religions' ('सभी धर्मों की तात्त्विक एकता') में यही विचार कुछ भिन्न रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ यही है कि सभी धर्मों के विरोधी तत्त्वों को हटाकर उस मार्ग पर चला जाए, कि जो सभी धर्मों की समानता पर आधारित है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि, 'यह बात सभी मज़हब मानते हैं कि खुदा एक है। सबसे बड़ा खुदा अल्लाह-अकबर, महादेव, परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म- सबका अर्थ एक ही है'।

डॉ. आबिद हुसैन ने अपनी पुस्तक 'The National Culture of India' में स्पष्टत: बताया है कि धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ धर्म का

7 सामाजिक मुद्दे एवं सामाजिक समस्याएँ (Social Issues and Social Problems)

सामाजिक आदर्श से विचलन की वह स्थिति जो समाज में अवांछनीय है तथा सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक हो सकती हो, सामाजिक समस्या के रूप में देखी जाती है। सामाजिक आदर्श एक अमूर्त एवं अस्पष्ट अवधारणा है जिसका निर्धारण कठिन है। समाज में व्यापक रूप से स्वीकृत मानक, जिनसे समाज का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है, सामाजिक आदर्श कहलाते हैं। ये समाज को व्यवस्थित बनाने एवं उच्चतम संभव मानदंडों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध (Crime Against Women)

स्वतंत्र भारत में महिलाएँ तुलनात्मक रूप से सम्मानजनक स्थिति में हैं। कुछ समस्याएँ जो सदियों से महिलाओं को परेशान कर रही थीं, अब नहीं पाई जाती हैं। सती-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर निषेध, विधवाओं का शोषण, देवदासी प्रथा, पर्दा-प्रथा आदि कुरीतियाँ अब लगभग समाप्त हो गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, आधुनिकीकरण और इसी तरह के विकास से महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अब महिलाएँ समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। इसके विपरीत, बदलते परिदृश्यों ने महिलाओं के लिये नई समस्याएँ पैदा की हैं। वे अब नए तनावों और दबावों से घिरी हुई हैं।

अवस्था	हिंसा के स्वरूप
गर्भधारण से पूर्व	क्रोमोसोम चयन तकनीक के ज़रिये कन्या भ्रूण पर रोक लगाना।
जन्म से पूर्व	लिंग विशिष्ट गर्भपात करवाना।
शिशु अवस्था	बालिका शिशु हत्या।
बालिकावस्था	बाल-विवाह, शारीरिक-मानसिक एवं यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार, बाल वेश्यावृत्ति तथा अश्लील फिल्म निर्माण।
किशोरावस्था तथा युवावस्था	डेटिंग व प्रेम-प्रसंग संबंधी हिंसा, जैसे- ऐसिड फेंकना तथा डेट-रेप, आर्थिक रूप से मजबूर होकर यौन संबंध बनाना, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बलात्कार, यौन अत्याचार, वेश्यावृत्ति व अश्लील फिल्म निर्माण, दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, स्कूल में छात्राओं एवं शिक्षिकाओं के साथ छेड़खानी एवं बलात्कार, रेल, बस एवं पार्कों में बलात्कार और बलात् गर्भपात तथा ऑनर किलिंग।
प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था	विधवाओं एवं वृद्ध महिलाओं द्वारा आत्महत्या, शारीरिक-मानसिक एवं यौन शोषण और प्रताड़ना।

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code–IPC) के तहत मुख्य तौर पर निम्नलिखित अपराधों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है- (i) बलात्कार (Rape), (ii) अपहरण या भगा ले जाना, (iii) दहेष हत्या, (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक), (v) छेड़छाड़ (Molestation), (vi) यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) व (vii) लड़कियाँ मंगवाना या लाना (Importation of Girls)।

महिलाओं और लड़कियों को जीवन में अपराध का सामना कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार और कथित ऑनर किलिंग के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज़ संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में हो सकता है। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या संपत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेतर संबंधों के अपराध में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनके सिर मुंडवाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। दहेज़ से संबंधित मामलों में उन्हें ज़िंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेज़ाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेड़छाड़ महिलाओं से जुड़ी समस्याएँ हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध के लिये उत्तरदायी कारण *(Causes responsible for crimes against women)*

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा के लिये उत्तरदायी कारणों को हम मुख्य रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं-

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण

इसकी जड़ें पुरुषवादी सामाजिक संरचना या पितृसत्ता में खोजी जा सकती हैं। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता है। इसी बात का सहारा लेकर महिलाओं के मूल्य एवं गरिमा को कम करके आँका जाता है और आजीवन उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों को परिवार या समाज की ऐसी महिलाओं को आदर्श बनाकर अच्छे-बुरे के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जो महिलाएँ कष्टों के बावजूद परिवार की सेवा करती हैं तथा अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की कभी भी शिकायत नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं की बेबसी एवं डर से भरी चुप्पी को सहनशीलता के महान गुण के रूप में महिमामंडित किया जाता है।

परिवार और समाज में महिला और पुरुष के लिये भूमिकाएँ भी निर्धारित होती हैं। महिलाएँ घर के अंदर काम करती हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य को परिवार में सबसे कम श्रम-साध्य एवं अकुशल कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार अथवा समाज में सभी महत्त्वपूर्ण कार्य पुरुषों के लिये निर्धारित होते हैं।

8 राजस्थान के जनजातीय समुदाय (Tribal Communities of Rajasthan)

भारतीय समाज भिन्न-भिन्न जाति समूहों का स्थल है। कुछ जनजातियाँ प्राय: शहरी सभ्यता से अलग-थलग कहीं दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। प्रारंभ में लगातार शुद्ध जलवायु एवं कंदमूल, फल आदि के सेवन से इनका जीवन निरोगी एवं स्वस्थ बना रहता था। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास स्वत: हो जाता था। परंतु, वर्तमान में उद्योगों का बढ़ता स्तर, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के बढ़ते दबाव ने इनके संपूर्ण परिवेश को दूषित कर दिया है।

सामान्यत: लोग आदिवासी शब्द का अर्थ 'असभ्य मानव या पिछड़े हुए समूहों से लगाते हैं, जिनका निवास एक निश्चित क्षेत्र में होता है तथा वे सामान्य भाषा बोलते हैं और सामान्य संस्कृति प्रयोग में लाते हैं। वस्तुत: आदिवासी से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी होने से है। जनजाति शब्द के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने 1952 ई. में प्रस्तुत रिपोर्ट में जनजाति समूह की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है-

- जनजाति समूह सभ्य समाज से दूर वनों एवं पहाड़ियों या दूरस्थ स्थानों में निवास करते हैं।
- जनजाति समूह एक ही प्रकार की बोली बोलते हैं।
- जनजाति समूह का व्यवसाय शिकार एवं भोजन एकत्र करना होता है।
- इनका जीवन घुमंतू प्रवृत्ति का होता है और ये नृत्य एवं मदिरापान के प्रेमी होते हैं।

राजस्थान की विभिन्न जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है-

भील *(Bhil)*

- भील जनजाति मीणा जनजाति के पश्चात् राज्य में दूसरे स्थान की बड़ी जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील का ही अपभ्रंश है जिसका शाब्दिक अर्थ तीर-कमान होता है।
- भील जनजाति योद्धा जनजाति के रूप में भी प्रसिद्ध है तथा इनका मुख्य अस्त्र तीर-कमान है। इस प्रकार तीर-कमान चलाने में प्रखर होने के कारण ही यह जाति भील नाम से प्रसिद्ध हुई।
- कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी है। यह जाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है।
- भीलों को महाभारत काल में निषाद कहा जाता था।
- यह जनजाति राजस्थान के अधिकांश ज़िलों में निवास करती है। दक्षिणी राजस्थान के डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही ज़िलों में इनकी आबादी अधिक है।

2011 की जनगणना के अनुसार बाँसवाड़ा ज़िले में भीलों की जनसंख्या (लगभग 13.40 लाख) सबसे अधिक है। इसके पश्चात् डूँगरपुर (6.87 लाख) एवं उदयपुर (6.52 लाख) ज़िले का स्थान है।

इस जनजाति का उल्लेख रामायण, महाभारत एवं पुराणों में हुआ है। अत: इन्हें आदिम मानव समूह कहा जाता है। भीलों के गाँव का मुखिया 'पालवी/तदवी' कहलाता है तथा भीलों के सभी गाँवों की पंचायत का मुखिया 'गमेती' कहलाता है। गमेती ही इनके सामाजिक एवं आर्थिक विवादों का निपटारा करवाता है।

आर्थिक जीवन

- यह आर्थिक दृष्टि से अत्यंत निर्धन जनजाति है। ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले होते हैं लेकिन अब ये प्रदेश के अनेक भागों में कृषि करने लगे हैं।
- कृषि, पशुपालन और शिकार इनका प्रमुख व्यवसाय है। यह जनजाति वनों से लकड़ियों को काटने का भी कार्य करती हैं। ये तालाबों व नदियों से मछलियाँ पकड़ते हैं।
- भीलों द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, यह एक प्रकार झूमिंग कृषि है जिसमें पहाड़ों पर वनों को काटकर या जलाकर भूमि साफ कर कृषि की जाती है।
- **भीलों का निवास स्थान:** इस जनजाति के लोग गाँव, जंगलों, पहाड़ों की तलहटी और नदियों के किनारे निवास करते हैं। बाँस, खपरैल एवं घास-फूस से बने भीलों के घरों को टापरा या 'कू' कहा जाता है। अनेक घरों का समूह अर्थात् भीलों के गाँव 'पाल' कहलाते है; जैसे- नाथरा की पाल।

धार्मिक मान्यताएँ

- भील महादेव, राम, कालिका, दुर्गा, गणेश, शीतला, हनुमान आदि की उपासना करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं तथा ये कर्मकांड एवं जादू-टोने में विश्वास करते हैं।
- भील जनजाति अपने मृत पूर्वजों की आत्मा के होने का विश्वास करती है, जिसके फलस्वरूप ये उनकी पत्थर या लकड़ी की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा करते हैं, जिसे चीराबावसी कहते हैं।
- प्रत्येक भील वंश के भिन्न-भिन्न देवता होते हैं, जिन्हें टोटम कहा जाता है। केसरियानाथ अर्थात् ऋषभ देव को भील कालाजी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि कालाजी को चढ़ाया हुआ केसर का पानी पीकर भील जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इस जनजाति में धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति को 'भगत' कहा जाता है।

सामाजिक प्रथाएँ

- यह जनजाति पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार की अवधारणा को अपनाती है। पिता ही परिवार का मुखिया होता है। घर की व्यवस्था तथा कृषि कार्य स्त्रियों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है।

9 प्रबंधन (Management)

मूल रूप से प्रबंधन शब्द का अर्थ किसी कार्य से बाध्य होना अथवा अपनी अवधारणा को प्रकट करना है। व्यवसाय एवं संगठन के संबंध में हम प्रबंधन को इस प्रकार समझ सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता और प्रभावी तरीके से उपयोग करके लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ताकि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। Management = Manage + man + t अर्थात् Manage the man tactfully होता है। आज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में संगठन का स्वरूप चाहे लाभ या गैर-लाभ वाला हो अथवा छोटा या बड़ा हो, प्रबंधन सभी के लिये एक अति आवश्यक क्रिया हो गई है। प्रबंधन की सहायता से व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में प्रबंधन अर्थात् Management की आवश्यकता होती है।

अवधारणा अथवा परिभाषा (Concept or Definition)

'प्रबंधन' शब्द एक बहुप्रचलित शब्द है। कई लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने-अपने ढंग से दी है। प्रबंधन शब्द का प्रयोग सभी प्रकार की क्रियाओं में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रबंधन की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता एफ. डब्ल्यू टेलर (F.W. Taylor) के अनुसार "प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात् यह सुनिश्चित करना कि यह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए।"

"प्रबंधन निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है।" **-प्रो. क्लग (Clough)**

"प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है।"

-मेरी पार्कर फोलेट (Mary Parker follett)

"संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन है।" **-ग्लुएक (Gluech)**

"प्रबंधन व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रमाणित सामान्य प्रबंधन के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है।"

-लुईस ए. एलन (Louis A. Allen)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान है।

प्रमुख रूप से प्रबंधन की पाँच अलग-अलग अवधारणाएँ हो सकती हैं-

प्राधिकरण की प्रणाली के रूप में प्रबंधन *(Management as a System of Authorization)*

बाइसन एवं मायर्स के अनुसार, "प्रबंधन एक नियम बनाने वाला शरीर है, यह अपने-आप में वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच एक बंध का निर्माण करता है।"

- इसमें संगठन में परिचालन करने वाले लोगों के बीच अधिकार का पदानुक्रम होता है।
- संगठन के उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास उद्यम के लक्ष्यों और नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार होता है।
- प्रबंधन प्राधिकरण के लिये पिछले लंबे समय से विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गए हैं, उदाहरण के लिये, सत्तावादी, मानवीय, संवैधानिक और भ्रामक दृष्टिकोण।

एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन *(Management as a Process)*

एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन अंतर्संबंधित गतिविधियों की एक शृंखला है जिसके द्वारा प्रबंधकों ने संगठित प्रयासों से लक्ष्यों को पूरा किया है। यह एक निरंतर चलने वाली तर्कसंगत, बौद्धिक, गतिशील प्रक्रिया होती है जिसका सभी संगठनों में प्रयोग होता है।

- इस प्रक्रिया के द्वारा न्यूनतम संसाधनों के माध्यम से अधिकतम आउटपुट और दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
- प्रबंधन की प्रक्रिया में सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मानव प्रयासों की योजना (भविष्य के लिये तैयारी), संसाधनों (संसाधनों का संयोजन), स्टाफिंग, निर्देशन (मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण) और मानव प्रयासों को नियंत्रित करना (सही रास्ते पर ध्यान देना) आदि शामिल होते हैं।

आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंधन *(Management as an Economic Resources)*

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता की भाँति ही प्रबंधन भी उत्पादन के कारकों में से एक है। जहाँ एक छोटे उद्यम में मालिक खुद ही प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, वहीं बड़े प्रतिष्ठानों में स्वामित्व और प्रबंधन अलग होते हैं।

- भूमि और पूंजी का कुशल उपयोग श्रम पर निर्भर करता है और श्रम प्रबंधन द्वारा शासित होता है।
- प्रबंधन के द्वारा किसी संगठन की मन:शक्ति, बाज़ारों, विधियों, मशीनरी, सामग्रियों और धन का समन्वय किया जाता है।
- अधिकारियों के प्रशिक्षण और विकास के द्वारा प्रबंधन की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
- एक आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंधन भौतिक और मानव संसाधन को उत्पादक उद्यम बनाता है।

एक अलग अनुशासन के रूप में प्रबंधन *(Management as a Different Discipline)*

प्रबंधन को विश्वविद्यालयों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है। इसका अध्ययन और अकादमिक अनुशासन के क्षेत्र में ज्ञान के एक

10 आयोजन, संगठन, स्टाफ एवं निर्देशन
(Planning, Organization, Staff and Direction)

प्रबंध के अंतर्गत आयोजन/नियोजन, स्टाफिंग, निर्देशन (नेतृत्व करना) आदि आते हैं। संगठन भले ही किसी भी प्रकृति का हो चाहे वह बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिये हो अथवा गैर-लाभ वाला, विनिर्माणकर्त्ता हो अथवा सेवा प्रदाता, ये सभी कार्य संगठन को प्रबंध के अंतर्गत करने होते हैं।

आयोजन (Planning)

किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य की योजना तैयार करने के लिये आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन (Planning) कहलाता है। प्रबंध के सभी घटकों में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक होता है।

आयोजन को उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हमें कानपुर से दिल्ली जाना है तो हम कुछ बातों पर विचार करते हैं, जैसे- कब पहुँचना है, कितनी दूरी है, कौन सा रास्ता व कौन सा साधन उपयुक्त होगा, साथ में क्या-क्या ले जाना है, कितना खर्च कर सकते हैं इत्यादि। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात कर हम गंतव्य तक सही समय पर पहुँचने की रूपरेखा तैयार करते हैं, यही 'नियोजन' होता है। किसी संगठन का प्रबंधन भी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके कार्य की रूपरेखा या योजना तैयार करता है जिससे निर्धारित लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त किया जा सके।

- **प्रबंधशास्त्री नाइल्स के अनुसार,** "नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है।"
- **गोइज (Goetyz) के अनुसार,** "नियोजन एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की प्रक्रिया का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है।"

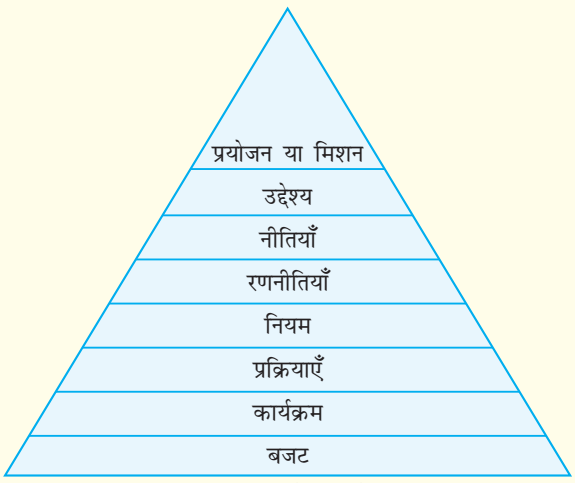

(Hierarchy of Plans) योजनाओं का पदानुक्रम

नियोजन की प्रकृति एवं विशेषताएँ
(Nature and Characteristics of Planning)

नियोजन की प्रकृति एवं विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- **नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है:** नियोजन प्रबंध की एक सतत् या कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किसी व्यवसाय की स्थापना के पूर्व शुरू हो जाती है और सतत् रूप से चलती रहती है। नियोजन का संबंध भविष्य से होता है और भविष्य के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अत: भविष्य की अनिश्चितता की स्थिति में कोई भी योजना सर्वकालीन नहीं हो सकती है। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों में बदलाव के कारण नियोजन में भी परिवर्तन और संशोधन करते रहना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन किसी व्यवसाय के संपूर्ण जीवनकाल में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- **नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है:** नियोजन भविष्य की कार्रवाइयों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसके तहत भविष्य की कार्रवाई का निर्णय लेने के लिये कई कदम उठाए जाते हैं। यह अति विशिष्ट बुद्धि वाला कार्य माना जाता है, इसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिये 'रचनात्मक चिंतन तथा कल्पना' आवश्यक है। यह कार्य शारीरिक क्षमता का न होकर मानसिक चिंतन तथा विश्लेषण का है। प्रबंधक अपनी समझ का उपयोग करके भविष्य के लिये बनाई जाने वाली योजनाओं के गुण और दोषों के बारे में पता लगा सकता है।
- **वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम क्रिया का चुनाव:** किसी कार्य को करने के कई प्रकार और विधियाँ होती हैं। प्रबंधक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। किसी भी संगठन की सफलता बहुत हद तक इसी चयन पर निर्भर करती है। इसलिये नियोजन को वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम क्रिया का चुनाव करना माना जाता है।
- **नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है:** नियोजन समस्त प्रबंधकीय कार्यों में प्रथम तथा आधारभूत कार्य है। नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों का आधार भी होता है क्योंकि संगठन समन्वय, नियुक्तियाँ, अभिप्रेरण, निर्देशन व नियंत्रण नियोजन प्रक्रिया के शुरू होने के बाद ही होते हैं। नियोजन के अभाव में अन्य प्रबंधकीय कार्य न तो प्रारंभ और न ही पूरे किये जा सकते हैं।
- **नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है:** नियोजन काफी हद तक सटीक पूर्वानुमान पर निर्भर करता है। पूर्वानुमान के द्वारा भविष्य में क्या करना है एवं भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार पूर्वानुमान भविष्य में मौजूद विकल्पों को देखने की एक तकनीक है।

11 समन्वय, नियंत्रण और निर्णयन
(Co-ordination, Control and Decision Making)

किसी भी संगठन की सफलता उसमें होने वाले समन्वय, नियंत्रण और निर्णयन की किस्म एवं भागीदारी पर निर्भर करती है इसलिये इन्हें ही प्रबंधन का सार भी कहा जाता है। समन्वय, नियंत्रण एवं निर्णयन की महत्ता न केवल व्यावसायिक जगत में ही सबसे अधिक है बल्कि मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है। एक परिवार समाज में अपना अस्तित्व उसी समय तक मजबूत बनाए रख सकता है, जब तक परिवार के सदस्यों की क्रियाओं में तालमेल हो, वरिष्ठों का नियंत्रण हो तथा निर्णयन प्रक्रिया में सभी की भागीदारी हो।

समन्वय : अवधारणा, तकनीक एवं महत्त्व (Co-ordination : Concepts, Techniques and Importance)

किसी भी संगठन में समन्वय प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है जो संगठन के सभी घटकों को आपस में जोड़कर रखता है। समन्वय से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा संगठन में की जाने वाली भिन्न-भिन्न क्रियाओं के मध्य तालमेल स्थापित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में, किसी संगठन के सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किये जाने वाले सामूहिक प्रयासों में तालमेल बनाए रखना ही समन्वय है। समन्वय सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले विभिन्न प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

परिभाषाएँ *(Definitions)*

- **कुन्टज एवं ओडोनेल के अनुसार,** "समन्वय समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्रबंध का सार है।"
- **मूने और रेले के अनुसार,** "किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाओं में एकता बनाए रखने के लिये सामूहिक प्रयासों की सुव्यवस्था को समन्वय कहते हैं।"
- **हेनरी फेयोल के अनुसार,** "किसी प्रतिष्ठान के कार्य संचालन को सुविधाजक एवं सफल बनाने के लिये उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है।"

समन्वय के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह के निहितार्थ होते हैं। किसी संगठन के कार्मिकों एवं इकाइयों के मध्य सहयोग और टीमवर्क की भावना पैदा करना समन्वय के सकारात्मक अर्थ से संबंधित होता है। वहीं नकारात्मक रूप में समन्वय का अर्थ है किसी संगठन के कार्मिकों और इकाइयों के मध्य विवादों, संघर्षों, अनिरंतरताओं, झगड़ों, परस्पर कार्य दोहराव तथा अध्यारोपित उद्देश्यों के कार्य का संगठनात्मक हित में निपटारा करना।

समन्वय की विशेषताएँ *(Features of Co-ordination)*

समन्वय की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- समन्वय विभिन्न सामूहिक प्रयासों में तालमेल स्थापित करता है। समन्वय संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न क्रियाओं को एक साथ लेकर चलने में सहायता करता है।
- समन्वय एक निरंतर चलने वाली महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। संगठन की सभी क्रियाओं में सदैव एकता एवं संतुलन बनाए रखने के लिये समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
- समन्वय सामूहिक प्रयासों की एकात्मता को सुनिश्चित करता है तथा व्यक्तियों के प्रयासों में एकता लाकर भिन्न-भिन्न विभागों को जोड़ने कार्य करता है।
- समन्वय सर्वव्यापी होता है क्योंकि संगठन के प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है।
- समन्वय की आवश्यकता उच्च, निम्न एवं मध्यम तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर होती है इसलिये प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करना सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है।

समन्वय के प्रकार *(Types of Co-ordination)*

समन्वय के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं-

- **आंतरिक और बाह्य समन्वय:** किसी भी संगठन में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के समन्वय पाए जाते हैं। आंतरिक समन्वय का संबंध किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करने से होता है, इसे कार्यात्मक या क्रियात्मक समन्वय भी कहा जाता है। जबकि बाह्य समन्वय का संबंध विभिन्न सांगठनिक इकाइयों की गतिविधियों के मध्य तालमेल स्थापित करने से है, इसे संरचनात्मक समन्वय भी कहा जाता है।
- **ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय:** किसी भी संगठन में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों प्रकार के समन्वय पाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर प्रकार के समन्वय का संबंध एक खंड एवं अन्य दूसरे खंड, एक शाखा एवं अन्य दूसरी शाखा, एक प्रभाग एवं अन्य दूसरे प्रभाग या एक विभाग एवं अन्य दूसरे विभाग की गतिविधियों के मध्य तालमेल स्थापित करने से है। जबकि क्षैतिज समन्वय का संबंध एक पदाधिकारी एवं उसके अधीनस्थ कार्मिक, एक शाखा एवं एक प्रभाग, एक प्रभाग एवं एक विभाग के मध्य तालमेल स्थापित करने से है।
- **प्रक्रियात्मक और मौलिक समन्वय:** प्रक्रियात्मक प्रकार का समन्वय संगठन की संरचना से संबंधित होता है। यह समन्वय संगठन के सदस्यों के बीच के औपचारिक संबंधों की शैली या ढंग को निर्धारित करता है। जबकि मौलिक प्रकार के समन्वय का संबंध संगठन की गतिविधियों की अंतर्वस्तु से होता है। समन्वय का यह वर्गीकरण हरबर्ट ए. साइमन ने प्रतिपादित किया है।

12 विपणन (Marketing)

आम भाषा में 'विपणन' शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र (उत्पादक) से उपभोक्ता केंद्र (उपभोक्ता) तक पहुँचाने में सहायक होती हैं। वास्तव में विपणन के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएँ बनाकर अथवा सेवाएँ प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिये समर्पित किया जाता है। विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली, क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रयोपरान्त सेवाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुये लाभ कमाना व उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है।

- **स्टिफ एवं कण्डिक के अनुसार** "विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है, जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है।
- **विलियम जे. स्टैंटन के अनुसार** 'विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है।"

इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिये प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। विपणन प्रबंध विपणन विचारों, क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन है।

विपणन की विशेषताएँ *(Features of Marketing)*

- **अपेक्षा एवं आवश्यकता (Expectation and necessity):** आवश्यकताओं का उद्देश्य अपेक्षाओं की संतुष्टि करना है। आवश्यकता एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ से वंचित हो जाता है अथवा उसे लगता है कि वह वंचित रह गया है। यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति असंतुष्ट एवं असहज हो जाता है। वहीं अपेक्षाएँ मनुष्य के लिये आधारभूत होती हैं, ये किसी वस्तु विशेष के लिये नहीं होती हैं।
- **उत्पाद का सृजन (Creation of Product):** विपणनकर्त्ता द्वारा उत्पाद का निर्माण क्रेताओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- **उपभोक्ता मूल्य (Consumer Price):** ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने से पूर्व इस बात से खुद को सुनिश्चित करता है कि वस्तु का लागत मूल्य उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ तक कर सकता है। इसलिये एक विपणनकर्त्ता का कार्य है कि वह उत्पाद को अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाए ताकि ग्राहक अन्य उपयोगी वस्तुओं की तुलना में उन वस्तुओं का क्रय करें।
- **विनिमय पद्धति (Methods of Exchange):** क्रेता एवं विक्रेता विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही अपनी इच्छित एवं आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही विभिन्न पक्ष एक-दूसरे से इच्छित वस्तु या सेवा प्राप्त कर पाते हैं।

विनिमय की शर्तें *(Conditions of Exchange)*

विनिमय की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं-

- क्रेता एवं विक्रेता पक्षों का आवश्यक रूप से होना।
- प्रत्येक पक्ष मूल्य चुकाने में सक्षम होना चाहिये।
- प्रत्येक पक्ष संप्रेषण एवं वस्तु अथवा सेवा के योग्य होना चाहिये।
- प्रत्येक पक्ष को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे एक-दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकें।
- इसके साथ ही विभिन्न पक्ष एक-दूसरे से लेन-देन के इच्छुक हों।

विपणन की आधुनिक अवधारणा (Modern Concepts of Marketing)

आधुनिक विपणन एक व्यापक अवधारणा है, इसमें उत्पादक उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तु का उत्पादन करता है। इसमें विक्रेता के लिये यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि ग्राहक क्या चाहता है और उसे वह वस्तु या सेवा कैसे उपलब्ध कराई जाए। जब विक्रेता अपना व्यवसाय इस अवधारणा के अनुसार करता है तो वह बाज़ार में बना रह सकता है और लाभ भी कमा सकता है।

फिलिप कोटलर के अनुसार, "विपणन अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि संगठनात्मक लक्ष्यों का आधार लक्ष्य बाज़ारों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को निर्धारित करने और उन्हें अपने प्रतियोगियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं कुशल ढंग से संतुष्ट करने में निहित है।" आधुनिक विपणन की मुख्य रूप से छः अवधारणाएँ हैं-

1. **उत्पादन की अवधारणा (Concept of production):** इस अवधारणा के अनुसार उत्पादक बाज़ार में जो कुछ भी प्रस्तुत करेगा, उसकी बिक्री निश्चित रूप से हो जाएगी। यह अवधारणा मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों की थी जहाँ उत्पादकों की संख्या सीमित थी, पूर्ति मांग से अधिक थी। व्यवसायी पूर्ण रूप से विश्वस्त होता था कि वह जिस भी वस्तु का उत्पादन करेगा, वह उपभोक्ताओं द्वारा अपने-आप ही क्रय कर ली जाएगी। इसमें उत्पादक द्वारा ग्राहक की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वह केवल वस्तु का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाने पर ध्यान देता है।
2. **उत्पाद अवधारणा (Concept of product):** इस अवधारणा में उत्पादक द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें

13 वित्त (Finance)

वित्त धन के प्रबंधन की वह वास्तविक प्रक्रिया है जिससे निवेश, नकदी प्रवाह एवं वित्त संसाधन प्राप्त किये जाते हैं। वित्त एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मुख्यत: निवेश से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। वित्त को सामान्यतया तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है-

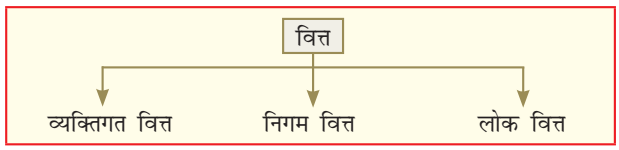

व्यक्तिगत वित्त (Personal Finance): व्यक्तिगत वित्त एक ऐसा वित्तीय प्रबंधन है, जिसे कोई व्यक्ति या परिवार, बजट एवं खर्चा करने के लिये विभिन्न वित्तीय जोखिमों तथा भावी जीवन की घटनाओं को ध्यान में रखकर तैयार करता है। अर्थात् वित्तीय प्रबंधन में कोई व्यक्ति या परिवार अपने लिये बजट का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत वित्तीय जोखिमों एवं भावी जीवन की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर धन को इकट्ठा करने से लेकर खर्च करने तथा बचत का व्यापक प्रबंधन करना शामिल है। भारत में व्यक्तिगत वित्त पर अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते हैं जबकि इंग्लैंड तथा अमेरिका के लोग व्यक्तिगत वित्त की प्लानिंग करते हैं, इसके साथ ही यह लोग विशेषज्ञ से भी राय लेते हैं।

निगम वित्त (Corporate Finance): निगम वित्त में कंपनियों की फंडिंग एवं पूंजी संरचना का व्यापक प्रबंधन होता है। निगम वित्त वित्त पोषण के स्रोतों और निगमों की पूंजी संरचना से संबंधित वित्त का क्षेत्र होता है, जो प्रबंधकों को फर्म के मूल्य को सभी शेयरधारकों में बढ़ाने के लिये एवं वित्तीय संसाधनों को आवंटित करने के लिये उपकरण और विश्लेषण का कार्य करता है। निगम वित्त का प्राथमिक लक्ष्य शेयरधारक के मूल्य को अधिकतम बढ़ा देना होता है। यद्यपि यह सिद्धांत प्रबंधकीय वित्त से अलग होता है जो निगमों के अतिरिक्त फर्मों के वित्तीय प्रबंधन का भी अध्ययन करता है।

लोक वित्त (Public Finance): लोक वित्त में सरकार की आय एवं व्यय का आकलन किया जाता है। यह वांछित प्रभाव प्राप्त करने एवं अवांछित प्रभावों से बचने के लिये आवश्यकतानुसार वित्त में कमी या वृद्धि करने का सुझाव भी देता है। सरकार की उचित भूमिका लोक वित्त के विश्लेषण के लिये प्रारंभिक दिशा-निर्देशन करती है।

धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा एवं उद्देश्य (Concept of Maximisation of Wealth and Objective)

धन की अधिकतमीकरण की अवधारणा वित्तीय प्रबंधन का एक आधुनिक दृष्टिकोण है, जहाँ संगठन में दीर्घकालिक लाभों के संबंध में लंबे समय में धन को अधिकतम करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें लघु अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले लाभों की बजाय धन के अधिकतम भुगतान के नकदी प्रवाहों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो एक फर्म को प्राप्त होती है। अधिकांश शेयरधारकों द्वारा धन की अधिकतम प्राप्ति की आशा की जाती है जो दीर्घ अवधि के रिटर्न के लिये अल्पावधि मुनाफे का त्याग करने को तैयार रहते हैं। चूँकि शेयरधारक फर्म के मालिक के समान होते हैं, अत: वे फर्म द्वारा बनाए गए दीर्घकालिक संसाधनों पर अधिक ध्यान देंगे एवं भविष्य में अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये वर्तमान में किये गए पुनर्मूल्यांकन को देखना पसंद करते हैं। शेयरों के बाज़ार मूल्य बढ़ने पर धन की अधिकतम प्राप्ति होती है। यही एक मुख्य कारण है कि शेयरधारक धन की अधिकतम प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शेयरों के बाज़ार मूल्य के आधार पर शेयरधारक अपने शेयर को उच्च मूल्य पर बेच सकते हैं, जिससे अधिक पूंजीगत लाभ होता है, अर्थात् धन के अधिकतमीकरण से तात्पर्य शेयरधारकों के धन को अधिकतम करने से होता है, शेयर शेयर धारकों के धन का अधिकतमीकरण कंपनी के नेट वर्थ पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार कंपनी का नेट वर्थ जितना अधिक होता है उसके धारकों का बाज़ार मूल्य उतना ही अधिक होगा तथा शेयरों का अधिकतम बाज़ार मूल्य ही शेयरधारकों के धन को अधिकतम करता है।

धन = भावी के नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य – वर्तमान निर्णय की लागत

धन अधिकतमीकरण के सिद्धांत को निम्न आधारों से लाभ अधिकतमीकरण से अधिक उपयोगी माना जाता है-

- धन अधिकतमीकरण का सिद्धांत केवल लाभों पर आधारित नहीं होता है बल्कि भावी रोकड़ अंतर्वाही पर आधारित होता है। यह रोकड़ अंतर्वाही गणना की दृष्टि से लाभों से अधिक व्यापक तथा स्पष्ट होता है।
- लाभ अधिकतमीकरण की अवधारणा धन अधिकतमीकरण की तुलना में अल्पावधि का होता है।
- धन अधिकतमीकरण की अवधारणा दीर्घकालीन परिकल्पना पर आधारित होती है।
- धन अधिकतमीकरण में संपूर्ण रोकड़ अंतर्वाही की वर्तमान लागत से तुलना की जाती है।
- धन अधिकतमीकरण की अवधारणा रुपए के वर्तमान मूल्य का ध्यान रखती है।
- धन अधिकतमीकरण के आधार पर जोखिम तथा अनिश्चितता के संबंध में भी बट्टे की दर का प्रावधान कर वर्तमान मूल्य निकाले जाते हैं।

धन अधिकतमीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- शेयरधारकों के शेयरों के मूल्य में वृद्धि करना।
- कंपनी के शुद्ध मूल्य को अधिकतम प्राप्त करना।

14 नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा और मुख्य सिद्धांत (Main Theories and Concept of Leadership and Motivation)

प्रबंधन प्रत्येक संगठन में गतिशील जीवन देने वाला तत्त्व है, जिसके बिना कोई संगठन क्रियाशील एवं विकसित नहीं हो सकता है। संगठन को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिये प्रबंधन में नेतृत्व और प्रेरणा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रेष्ठ नेतृत्व से संगठन उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। इससे कार्मिक प्रबंधन भी बेहतर ढंग से निष्पादित हो पाता है। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कुशल नेतृत्व, अभिप्रेरित कार्मिक, सर्वोत्तम संप्रेषण व्यवस्था आदि की प्रमुख भूमिका रहती है।

नेतृत्व: अवधारणा, सिद्धांत, प्रकार एवं महत्त्व (Leadership: Concept, Theory, Types and Importance)

नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा एवं शैली *(Meaning, Definition and Style of Leadership)*

किसी भी संगठन की सफलता कुशल, योग्य, दक्ष और सक्षम नेतृत्व पर निर्भर करती है। वहीं किसी भी संगठन की असफलता का प्रमुख कारण उसके नेतृत्व का अयोग्य एवं अक्षम होना ही होता है। एक अच्छा नेता उपस्थित सभी भौतिक और मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहता है। कुशल और योग्य नेतृत्व ही सांगठनिक व्यवहार को सार्थक रूप प्रदान करता है। एक नेता की योग्यता व सफलता उसके व्यक्तित्व, ज्ञान,अनुभव एवं व्यवहार आदि पर अवलंबित होती है। अंग्रेजी के शब्दकोश में 'नेतृत्व' को 'to lead' के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं- पहला, 'दूसरों से आगे जाना' या 'प्रसिद्ध होना' तथा दूसरा 'किसी को आदेश देना', 'मार्ग दिखाना' या 'प्रतिनिधित्व करना'। सामान्य शब्दों में, नेतृत्व लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में नेतृत्व किसी भी संगठन में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों को उचित दिशा में निर्दिष्ट कर सार्थक बनाने की प्रक्रिया है। नेतृत्व से आशय व्यक्तिगत सर्वोच्चता या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उस गुण से होता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिये वांछनीय होता है।

- **चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार:** "नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा वह संगठित प्रयास में संलग्न लोगों का मार्गदर्शन करता है।"
- **जॉर्ज टेरी के अनुसार**- "नेतृत्व वह योग्यता है जिसमें नेता उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है।"
- **लिंविग्स्टन के अनुसार**- "नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जाग्रत करती है।"
- **मूरे के अनुसार**- "नेतृत्व एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिये प्रेरित करती है।"

नेतृत्व की विशेषताएँ *(Features of Leadership)*

नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- **आचरण और व्यवहार को प्रभावित करना (Affecting conduct and behaviour):** नेतृत्व की अवधारणा व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने पर केंद्रित है। संगठन में नेतृत्व की भूमिका का सार ही यह है कि कोई अधिकारी किस सीमा तक अपने अधीनस्थों के आचरण एवं व्यवहार को अपेक्षित दिशा में प्रभावित कर सकता है। यहाँ अन्य व्यक्तियों के आचरण को प्रभावित करने से मतलब उनसे अनुचित रूप से कार्य लेने से नहीं है।
- **अनुयायियों को एकत्रित करना (Collecting followers):** अनुयायियों के बिना नेतृत्व की कल्पना करना भी कठिन है। बिना समूह के नेतृत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि नेता या लीडर केवल अनुयायियों या समूह पर ही अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।
- **पारस्परिक संबंध (Inter relation):** नेता और अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंध नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। नेता वह नहीं होता जो दूसरों की इच्छाओं को निर्धारित करता हो बल्कि नेता वह है जो यह अच्छी तरह से जानता है कि दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं को किस प्रकार अंतर्संबंधित कर जाग्रत किया जाए ताकि उनमें एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा स्वत: ही जग सके।

हितों की एकता *(Community of Interests)*

नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिये। किसी संगठन में यदि नेता एवं उसके अनुयायियों के हित अलग-अलग हैं तो वहाँ नेतृत्व का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। जार्ज आर. टैरी ने ठीक ही लिखा है कि, "नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों को स्वैच्छिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है।"

नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है *(Leadership ability can be Developed & Achieved)*

परंपरागत अवधारणा यह रही है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, किंतु आधुनिक परिवेश में यह धारणा बदल गई है। अब नेतृत्व का शिक्षण-प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। इस क्षमता की प्राप्ति के लिये नेतृत्व कार्य वातावरण अधिकार, पहलपन, आत्मविश्वास आदि तत्त्वों को काम में ले सकता है। प्रो. रोंस एवं हैन्ड्री (Ross & Hendry) का मत है, "नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त किया जा सकता है।"

- **अनुकरणीय आचरण (Exemplary Conduct):** नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं। अत: नेता का आचरण इस प्रकार का होना चाहिये जो उसके अनुयायियों के समक्ष एक

15 प्रशिक्षण एवं विकास और मूल्यांकन प्रणाली के मूल सिद्धांत
(Training and Development and Basic Principles of Appraisal System)

किसी भी संगठन को उसके कार्यों को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से चलाने के लिये अनुभवी एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होती है बदलते समय एवं परिवेश के मद्देनज़र उस संगठन में व्यवस्था विकास के अनुसार कर्मचारियों की दक्षता एवं कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाना ज़रूरी होता है। अल्प दक्षता एवं अपर्याप्त कार्यक्षमता संगठन की उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है इसलिये आवश्यकतानुसार कार्यों को पुनर्संरचित करना एवं तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता होती है। कार्मिकों का भावी एवं सुव्यवस्थित विकास उनको प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण पर पड़ता है। संगठन के सभी कर्मचारी भले ही वे अनुभवी एवं पूर्व प्रशिक्षित हों लेकिन उन्हें नए कार्य के वातावरण एवं कार्यपद्धति के बारे में प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। ऐसा कर्मियों के पदोन्नति एवं स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक होता है।

प्रशिक्षण का अर्थ (Meaning of Traning)

सामान्य अर्थों में प्रशिक्षण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कर्मचारी को वांछित कार्य के सुयोग्य बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, हम यह भी कह सकते हैं कि प्रशिक्षण एक ऐसी विद्या है जिससे कि कर्मचारी के ज्ञान एवं दक्षता को किसी कार्य को पूरा करने के अनुकूल बनाया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भी अपने विचार के अनुसार 'प्रशिक्षण' को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रबंधशास्त्री डेल. एस. बीच के अनुसार, "प्रशिक्षण वह संगठित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों हेतु ज्ञान एवं चातुर्य को सीखते हैं।" एडविन वी. फ्लिप्पो के मतानुसार, "प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिये कार्मिकों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जाती है।" माइकल जे. जूसियस का कहना है, "प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्य के लिये कार्मिकों की अभिरूचि, योग्यता एवं चातुर्य में अभिवृद्धि हो जाती है।" लिटिल फील्ड के मतानुसार, "प्रशिक्षण में प्रबंधन का उद्देश्य पर्यवेक्षकों एवं कार्मिकों का इस प्रकार विकास करना है कि वे अपने कार्य में अधिक दक्ष एवं उत्पादनीय बन जाएँ।"

प्रशिक्षण व्यक्ति की उत्पादकता में योगदान देता है। प्रशिक्षण को निम्नलिखित तरीके से भी समझ सकते हैं-

प्रशिक्षण → व्यक्ति → कार्मिक के रूप में नियुक्ति → पद-स्थापन → सौंपे गए कार्य को सिखाना → योग्य एवं कुशल कर्मचारी की प्राप्ति

प्रशिक्षण एवं विकास (Training and Development)

विकास प्रशिक्षण से ही संबंधित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा को भी समाहित किया जाता है। शिक्षा ज्ञान को अनुदित एवं समझने की प्रक्रिया है। शिक्षा के अंतर्गत बुद्धि की गुणवत्ता, मूल सिद्धांतों की समझ, उनके समायोजन एवं तथ्यपरकता का विकास होता है। साधारणतया शिक्षा में दक्षता एवं विशेषज्ञता की एक श्रेणी होती है। यह दक्षता एवं विशेषज्ञता जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है संगठन वैसे शिक्षण संस्थानों का प्रयोग प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित प्रयासों में करता है। जहाँ तक प्रशिक्षण एवं विकास का सवाल है तो जहाँ एक ओर प्रशिक्षण कार्य की पूर्ति के लिये कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास है वहीं दूसरी ओर विकास के अंतर्गत केवल वही प्रक्रियाएँ नहीं आती हैं जिनके द्वारा कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है, बल्कि वे प्रक्रियाएँ भी आती हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है।

विकास के अंतर्गत वे सभी क्रियाएँ शामिल की जा सकती हैं जिनसे विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान कार्मिकों को प्राप्त हो, उनकी क्षमता तथा योग्यता का विकास हो, कार्यों को पूरा करने की योग्यता विकसित हो तथा उनमें समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप मानवीय गुणों का विकास हो जिससे कि वे अपने जीवन की विभिन्न भूमिकाओं को श्रेष्ठतम रूप में निभा सकें। यह भी सत्य है कि सभी प्रकार के प्रशिक्षण में कुछ शिक्षा निहित होती है और सभी शिक्षा अभ्यासों में कुछ प्रशिक्षण का अंश होता है। साथ ही इन दोनों प्रक्रियाओं को विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ प्रशिक्षण और विकास में भी अन्योन्याश्रयी संबंध देखने को मिलते हैं फिर भी दोनों के आधारभूत अंतर को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षण एवं विकास के मध्य समय, आशय, अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन, उपयोग एवं क्षेत्र, वर्तमान अथवा भविष्य की उपयोगिता इत्यादि के आधार पर अंतर स्थापित कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भी प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर निर्धारित करने की कोशिश की है जिनमें कैंपबेल के अध्ययन पर विचार किया जा सकता है। कैंपबेल ने यह अध्ययन किया था कि "प्रशिक्षण की प्रक्रिया, अल्पकाल के लिये निर्धारित की जाती है, जबकि विकास व्यापक शिक्षा की लंबी प्रक्रिया है।" प्रशिक्षण एवं विकास के अंतर को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है-

प्रशिक्षण का उद्देश्य/महत्त्व/आवश्यकता/उपयोगिता *(Objectives/Importance/Need/Utility of Training)*

प्रशिक्षण कार्मिकों को न्यूनतम समय में उत्पादक बनाने में सहायक होता है। यह कर्मचारियों के लिये इसलिये भी आवश्यक है ताकि उन्हें नई पद्धतियों, तकनीकों, यंत्रों एवं औज़ारों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके और वे अपने आपको नए कार्य एवं वातावरण के अनुसार ढाल सकें। प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है, कार्मिकों के कार्यकारी ज्ञान में वृद्धि करता है, जिससे कार्मिकों की कार्य में अभिरुचि पनपती है तथा कार्मिकों की भावी उन्नति, प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही शीघ्र संभव होती है। डेल.एस. बीच ने भी कहा है कि "सभी संगठनों में प्रशिक्षण

16 लेखांकन (Accounting)

सदियों से लेखांकन को वित्तीय हिसाब-किताब के रूप में ही देखा जाता रहा है, परंतु आज के तेज़ी से बदलते व्यावसायिक वातावरण में लेखांकन की भूमिका बढ़ गई है। वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग किसी व्यवसाय के संचालन में होता है, जहाँ वित्तीय गतिविधियों का संबंध आर्थिक लेन-देन से, जबकि गैर-वित्तीय गतिविधियों का संबंध मानवीय व्यवहार से होता है। वर्तमान में लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएँ प्रदान करने में सक्षम है जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके।

वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स (American Institute of Certified Public Accountants) ने लेखांकन की परिभाषा दी। परिभाषा के अनुसार, "लेखांकन का संबंध उन लेन-देनों एवं घटनाओं, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं, को मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है।

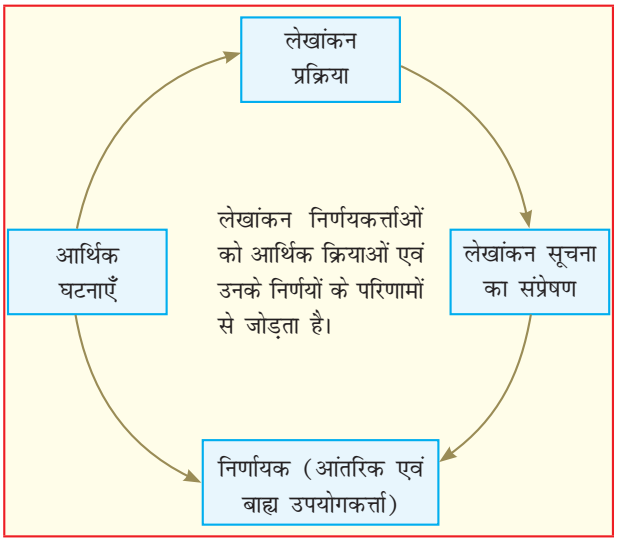

लेखांकन की भूमिका (Role of Accounting)

- लेखांकन किसी संगठन के संक्षिप्तीकरण, मापन एवं वर्गीकरण द्वारा उसको विश्लेषित एवं वर्णित करता है।
- लेखांकन में विवरण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे संगठन की वित्तीय स्थिति तथा संचालन परिणामों का पता चलता है। इसीलिये इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है।
- इससे परिणात्मक वित्तीय सूचना प्राप्त होने से उपयोगकर्ता को अनेक प्रकार से सहायता प्राप्त होती है।
- एक सूचना तंत्र के रूप में यह संगठन के विभिन्न विभागों की सूचनाओं को एकत्रित कर विभिन्न व्यावसायिक लोगों को संप्रेषित करता है।
- इसका संबंध भूतकाल के लेन-देन से होता है जो कि प्रकृति में परिणात्मक एवं वित्तीय होती हैं।
- लेखांकन के तहत हमें गैर-वित्तीय और गुणात्मक सूचनाएँ नहीं प्राप्त होती हैं।

लेखांकन के उद्देश्य (The Objectives of Accounting)

- एक सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य आंतरिक एवं बाह्य दोनों समूहों को उपयोगी सूचनाएँ उपलब्ध कराना है।
- सभी वित्तीय लेन-देनों का व्यवस्थित लेखा लेखांकन पुस्तकों में रखना।
- क्रय, विक्रय, प्राप्ति, भुगतान आदि को व्यवसाय में पूर्णता के साथ स्मरण नहीं रखा जा सकता। अतः व्यावसायिक लेन-देनों का नियमित लेखा तैयार किया जाता है।
- लेखांकन के द्वारा लाभ अथवा हानि की गणना की जाती है ताकि प्रबंधन को यह ज्ञात हो सके कि व्यवसाय लाभ अथवा हानि किस स्थिति में है।
- लेखांकन का उद्देश्य प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना होता है।
- लेखांकन सूचना को प्रतिवेदन विवरण ग्राफ एवं चार्ट रूप में उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने से निर्णयन प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होती है।

वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक (Techniques of Financial Statement Analysis)

वित्तीय लेखांकन एक सुपरिभाषित क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें वित्तीय विवरण को तैयार करना भी शामिल होता है।

वित्तीय विवरण *(Financial Statement)*

प्रत्येक संगठन द्वारा वित्तीय विवरणों का एक समुच्चय तैयार किया जाता है जो कि सामान्य रूप से उपयोगकर्त्ताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। अप्टन एवं हॉवर्ड के अनुसार, "ऐसा औपचारिक विवरण जो मुद्रा मूल्यों में व्यक्त किया गया हो, को वित्तीय विवरण कहते हैं। परंतु अधिकांश लेखांकन एवं व्यावसायिक लेखक इसका उपयोग केवल स्थिति विवरण तथा लाभ-हानि विवरण को प्रस्तुत करने में करते हैं।" वित्तीय विवरणों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

17

अंकेक्षण
(Auditing)

अंकेक्षण का अर्थ (Meaning of Auditing)

'अंकेक्षण' शब्द अंग्रेज़ी के 'ऑडिटिंग' (Auditing) शब्द का हिन्दी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के 'ऑडिरे' (Audire) शब्द से लिया गया है जिसका वास्तविक अर्थ होता है 'सुनना' (To hear)। प्राचीन समय में मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब-किताब रखने के लिये चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी।

जे.आर. बॉटलीबॉय के अनुसार, "अंकेक्षण किसी व्यापार के हिसाब किताब की पुस्तकों की एक ऐसी बुद्धिमतापूर्ण एवं आलोचनात्मक जाँच है जो उन प्रपत्रों व प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिनसे वे तैयार किये गए हैं। इस जाँच का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि लाभ-हानि खाते में दिखाया गया एक निश्चित अवधि का कार्यफल व चिट्ठे में दिखाई गई व्यापार की वित्तीय स्थिति उन व्यक्तियों द्वारा सत्यता से निर्धारित व प्रदर्शित की गई है अथवा नहीं, जिन्होंने उसे तैयार किया है।"

डब्ल्यू. डब्ल्यू. विग के अनुसार, 'अंकेक्षण व्यापार की किताबों, खातों और प्रमाणकों की इस प्रकार की जाँच को कहते हैं जिससे कि अंकेक्षक अपने आपको संतुष्ट कर सके कि स्थिति-विवरण ठीक से बनाया गया है और वह व्यापार की आर्थिक स्थिति का सच्चा एवं उचित चित्र प्रदर्शित करता है तथा सभी प्राप्त सूचनाओं, स्पष्टकरणों तथा पुस्तकों से प्राप्त विवरणों के अनुसार है और लाभ हानि का सही एवं उचित चित्र उपस्थित करता है। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वे कौन-सी बातें हैं जिनके कारण वह असंतुष्ट है।"

इस तरह उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करके हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उससे अंकेक्षण की उचित परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है:-

"अंकेक्षण वह कला एवं विज्ञान है, जिसके द्वारा किसी भी संस्था की हिसाब-किताब की पुस्तकों की जाँच एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा प्रपत्रों, सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के द्वारा की जाती है तथा जिसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के पश्चात् तैयार किये गए लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे की सत्यता को बताना है और यह रिपोर्ट करना है कि एक निश्चित अवधि के लिये बनाए गए अंतिम खाते सच्ची व उचित स्थिति का चित्रण करते हैं तथा वे नियमानुकूल हैं या नहीं।

इसके अलावा अंकेक्षण की कुछ मर्यादाएँ अथवा सीमाएँ भी होती हैं। जैसे-

- अंकेक्षण द्वारा सभी गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते।
- अंकेक्षण में व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी रहती है।
- अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता।
- अंकेक्षण 100 प्रतिशत शुद्धता की गारंटी नहीं है।
- अंकेक्षण केवल राय प्रकट करता है।
- अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है।
- अंकेक्षण व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता।

अंकेक्षण का उद्देश्य *(Objectives of Audit)*

किसी भी अंकेक्षक के लिये अंकेक्षण के उद्देश्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं। सामान्यत: अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य किसी संस्था के द्वारा तैयार कराया गया लेखापत्रों तथा स्थिति विवरण को जाँचना तथा सत्यापित करना होता है।

प्रसिद्ध विद्वान **स्पाइसर** एवं **पैगलर** ने भी अंकेक्षण के उद्देश्यों को इस तरह बताया है, "अंकेक्षण का मुख्य उद्देदश्य नियोक्ता या उसके कर्मचारी (लेखापाल) द्वारा तैयार की गई लेखा-पुस्तिका एवं स्थिति विवरण को जाँचना तथा उसे सत्यापित करना होता है। यद्यपि अशुद्धि एवं छलकपट को खोजना अत्यंत आवश्यक है, परंतु ये भी मुख्य उद्देश्य के सहायक होने चाहियें।"

अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को हम इस प्रकार बाँट सकते हैं-

1. प्राथमिक उद्देश्य

प्राथमिक उद्देश्य का हम निम्नलिखित तीन भागों में बाँटकर अध्ययन कर सकते हैं-

- **लेखा-पुस्तकों एवं विवरण की सत्यता को जाँचना :** लेखा-पुस्तकों एवं विवरण की सत्यता का पता लगाना तथा उसे प्रमाणित करना अंकेक्षण का प्रथम व मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत अंकेक्षक इस बात की जाँच करता है कि संस्था के कर्मचारी द्वारा जो लेखा-पुस्तक एवं स्थिति विवरण तैयार किया गया है वे कहाँ तक सत्य हैं।
- **लेखा पुस्तकों एवं विवरण की पूर्णता को जाँचना :** अंकेक्षण का उद्देश्य यह जाँचना होता है कि स्थिति विवरण में संपूर्ण संपत्ति एवं दायित्व के बारे में सूचना दी गई है या नहीं साथ ही वर्ष भर का लेन-देन पूर्णत: लेखा-पुस्तक में लिखा गया है या नहीं।
- **लेखा-पुस्तकों एवं विवरण की वैधानिक नियमानुकूलता की जाँच :** कुछ अधिनियम के द्वारा अनेक संस्थाओं को अपनी संस्था का लेखा-पुस्तिका एवं स्थिति विवरण को अपने संस्था में प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुरूप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत सभी बैंकों को अपनी संस्था की लेखा पुस्तकों तथा स्थिति विवरण को अधिनियम के नियमानुसार तैयार करके अंकेक्षित कराना पड़ता है।

2. गौण उद्देश्य

प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कुछ गौण उद्देश्य आवश्यक होते हैं। गौण उद्देश्यों को भी तीन भागों में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है-

18

बजट
(Budget)

बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिये आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। बजट फ्रेंच भाषा के बोगेट (Bougett) शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट प्रक्रिया किसी भी अर्थव्यवस्था का एक प्रभावी अंग है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सफलता संतुलित एवं सामाजिक बजट पर ही निर्भर करती है।

बजटिंग के ज़रिये कोई भी देश अपने आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। बजटिंग प्रक्रिया से सरकार अपनी नीतियाँ लागू करने एवं उन्हें हासिल करने में सफलता पाती है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है।

- सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसमें राजस्व पक्ष की कर प्राप्तियों एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।
- 1920–21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। वर्तमान समय में एन.डी.ए. की सरकार ने आम बजट में रेल बजट को फिर से शामिल कर दिया है।
- स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित होती है–
  - आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान
  - चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय
  - बजट वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का एक विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संवृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है।

सरकारी बजट एवं व्यावसायिक बजट *(Government Budget and Company Budget)*

सरकारी बजट एवं व्यवसायिक बजट दोनों एक जैसे हैं परंतु कुछ विभिन्नताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं–

- सरकारी बजट में राजस्व बाधित होता है जबकि व्यावसायिक बजट में राजस्व बाधित नहीं होता है। बिक्री राजस्व बढ़ाने के लिये एक व्यावसायिक बजट कई चीज़ों को एक साथ रखा जा सकता है।
- सभी सरकारी संस्थाओं के लिये औपचारिक बजट कानूनी रूप से आवश्यक होते हैं जबकि व्यावसायिक बजट के लिये कानूनी रूप आवश्यक नहीं होता है।
- एक व्यावसायिक बजट अपने ग्राहकों को अपनी बिक्री की कीमतों में अपनी लागतों को पारित कर सकता है जबकि सरकारी बजट सरकार को अधिक खर्च करने के लिये करों को बढ़ाता है।
- सरकारी बजट कानूनी रूप से सरकारी एजेंसी पर बाध्यकारी हो जाता है जबकि व्यावसायिक बजट में एक व्यवसाय बजट को लागू एवं उपयोग कर सकता है।

विभिन्न प्रकार के बजट एवं उनके मूल सिद्धांत (Different Types of Budgets and Their Basic Principles)

सरकारी बजट *(Government Budget)*

सरकारी बजट को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

- **एक समान मद बजट (Uniform Item Budget):** इस बजट में अलग-अलग वित्तीय विवरण मदों को लागत केंद्रों तथा विभागों द्वारा समूहीकृत किया जाता है। इसमें विगत लेखा पद्धति अथवा बजट पद्धति अवधियों के संबंध में वित्तीय डाटा के बीच तुलना की जाती है और चालू एवं भावी अवधि के संबंध में अनुमानित आँकड़े दर्शाए जाते हैं। इस बजट में व्यय की मात्रा तो निर्देशित रहती है परंतु मदों का उपवर्गीकरण नहीं किया जाता है। इस प्रकार एक समान मद बजट में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें अलग-अलग इकाइयों के कार्यकलापों और उपलब्धियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। सामान्यतया यह बजट परंपरागत प्रणाली का है।
- **निष्पादन बजट (Performance budget):** इस बजट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट से निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। पारंपरिक एक समान मद बजट के विपरीत निष्पादन बजट से संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। इन लक्ष्यों को एक कार्यनीति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
- **आउटकम/परिणाम बजट (Outcome budget):** आउटकम बजट वह बजट है जिसमें सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट-कार्ड होता है। पहला आउटकम बजट संसद द्वारा 25 अगस्त, 2005 को पारित किया गया। वर्ष 2007-08 के लिये आउटकम बजट और निष्पादन बजट को मिला

19 नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य (Ethics and Human Values)

नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। नैतिकता की यह मांग है कि व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्त्व दे परंतु यह एक ऐच्छिक कार्यविधि है जिसकी अपेक्षा तो समाज करता है परंतु क्रियान्वयन व्यक्ति विशेष के स्वविवेक पर निर्भर होता है। दार्शनिकों के अनुसार नीतिशास्त्र 'आचरण का विज्ञान' है।

पृष्ठभूमि (Background)

नीतिशास्त्र और नैतिकता इन दोनों शब्दों के लिये अंग्रेज़ी में 'एथिक्स' (Ethics) शब्द का प्रयोग किया जाता है। एथिक्स (Ethics) एक ग्रीक शब्द 'एथिकोस' (Ethikos) से बना है, जिसकी उत्पत्ति 'इथोस' (Ethos) से हुई है। इथोस का उस समय अर्थ था- रीति-रिवाज़, हालाँकि आजकल इसका अर्थ 'आंतरिक विशेषता' होता है। नैतिकता के लिये प्राय: 'मोरैलिटी' (Morality) शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इस मोरैलिटी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द 'मूर्स' (Mores) से हुआ है, जिसका अर्थ है- रीति-रिवाज़। तात्पर्य यह है कि 'एथिक्स' और 'मोरैलिटी' में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है। सामान्य जीवन में नैतिकता के लिये प्राय: मोरैलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि अध्ययन के क्षेत्र में एथिक्स का। सामान्य जीवन में हम प्राय: नैतिकता के विषय में ही चर्चा करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति का आचरण नैतिक नहीं था, समय के किसी दौर में अमुक समाज की कोई परंपरा अनैतिक थी, वर्तमान में अमुक देश की रिफ्यूज़ी नीति नैतिक परिप्रेक्ष्य में सराहनीय है, आदि।

विषय-विशेष के रूप में नीतिशास्त्र *(Ethics as a Special Subject)*

सामान्यत: दर्शनशास्त्र के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं- **ज्ञानमीमांसा** (Epistemology) जिसके अंतर्गत वास्तविक ज्ञान, उसके प्रकार, उसकी प्रामाणिकता, ज्ञान की सीमा आदि का अध्ययन किया जाता है; **तत्त्वमीमांसा** (Metaphysics) जिसके अंतर्गत जगत के मूल तत्त्व/तत्त्वों, उसकी प्रकृति, उनकी संख्या आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है तथा **नीतिशास्त्र** (Ethics)। स्पष्ट है कि नीतिशास्त्र को दर्शनशास्त्र की ही एक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त है। विषय-विशेष के रूप में पढ़ते समय नीतिशास्त्र को एक विज्ञान के तौर पर देखा जाता है जिसके अंतर्गत इसकी विषयवस्तु का व्यवस्थित अवलोकन कर कुछ मूलभूत सिद्धांतों या नियमों की खोज की जाती है तथा पहले से स्थापित सिद्धांतों एवं नियमों के आलोक में इसकी विषयवस्तु का मूल्यांकन भी किया जाता है।

नीतिशास्त्र की विषयवस्तु के मूल में ऐसे 'सामान्य व्यक्ति' के आचरण का मूल्यांकन है जो समाज में रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिकता की अवधारणा समाज-सापेक्ष है। किसी निर्जन टापू पर अकेले व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन या अध्ययन नीतिशास्त्र का हिस्सा नहीं है। इसमें समग्र समाज का अध्ययन किया जाता है। हम नीतिशास्त्र एवं नैतिकता की चर्चा में बार-बार 'सामान्य मनुष्य' का ज़िक्र कर रहे हैं। मानवेतर प्राणियों (पशु-पक्षी, जीव-जंतु)- सात वर्ष तक के बच्चों, विक्षिप्त लोगों तथा ऐसे लोग जो किसी विशेष अवस्था (जैसे- नशे या अर्द्धबेहोशी) में हों; इन सबके अतिरिक्त जो भी मनुष्य हैं वे सामान्य मनुष्य हैं तथा उन्हीं पर नैतिकता की बात लागू होती है।

मनुष्य की इच्छा या नियंत्रण के आधार पर कर्मों की दो श्रेणियाँ हैं- ऐच्छिक कर्म (Voluntary acts) और अनैच्छिक कर्म (Involuntary acts)। ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिनको करने या न करने की शक्ति मनुष्य के पास होती है, जैसे- किसी को चाँटा मारना, किसी जीव की हत्या करना।

एक व्यवस्था के रूप में नैतिकता *(Ethics as a system)*

एक व्यवस्था के रूप में नैतिकता एक सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। 'सापेक्ष वस्तुनिष्ठ' से तात्पर्य समाज में नैतिक नियमों को लेकर एक सामान्य सहमति से है। ध्यान रखने की बात यह है कि इन नियमों में कठोरता होने के बावजूद लचीलेपन की गुंजाइश रहती है। प्रत्येक नैतिक व्यवस्था कुछ नैतिक नियमों का परामर्श भी देती है अर्थात् 'क्या करना चाहिये, क्या नहीं।' 'क्या' और 'चाहिये' का यही भाव नीतिशास्त्र को नैतिक व्यवस्था में 'परामर्श से युक्त' बनाता है।

नैतिक व्यवस्था समय और समाज के साथ परिवर्तित होती है, इसलिये वह गत्यात्मक है। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका या यूरोप के समाज में जो नैतिक है ज़रूरी नहीं भारत में भी नैतिक हो, एक ही समय पर एक ही बात अलग-अलग समाज में नैतिक-अनैतिक हो सकती है।

मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्त्व (Essence of Ethics in Human Actions)

कर्म करना मनुष्य की नियति है और हम यह जानते हैं कि नैतिकता की चर्चा व्यक्ति के उन्हीं कर्मों के संदर्भ में की जा सकती है जो उसने अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति से अनेक विकल्पों की उपस्थिति में बिना किसी आंतरिक या बाहरी दबाव के किये हों। क्योंकि मनुष्य के कर्मों एवं विचारों का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है तो स्वाभाविक है इस बात पर गंभीर विमर्श होना चाहिये कि कौन-कौन से कर्म मनुष्य को करने चाहियें और कौन-से नहीं। आमतौर पर मनुष्य का वह कृत्य नैतिक माना जाता है जो जीवन के परम उद्देश्य (Ultimate goal) को प्राप्त करने में सहायक हो। अब प्रश्न यह उठता है कि वह 'परम उद्देश्य' है क्या? विभिन्न दार्शनिकों एवं विचारकों ने 'परम उद्देश्य' के संबंध में अपने मत या सिद्धांत दिये हैं। कुछ विचारक सत्य या शुभ को 'परम उद्देश्य'

20 भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में नैतिक संप्रत्यय
(Ethical Concept in Indian and Western Philosophy)

नैतिकता का सीधा संबंध मानव जीवन एवं उसके व्यवहार से है। नैतिक विचारों का स्रोत दर्शन, परंपरा, संस्कृति, मान्यताएँ आदि को माना जाता है। नीतिशास्त्र, दर्शन की ही एक शाखा है। नीतिशास्त्र को व्यवहार दर्शन, नीति विज्ञान और आचारशास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय नीति-शास्त्र एवं नैतिक विचारों पर भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न कालों में आवश्यकता के अनुसार दर्शन विकसित हुए हैं, जिन्होंने पूरी वैश्विक संस्कृति को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के नैतिक विचार सदैव प्रासंगिक एवं अनुकरणीय हैं।

वेदों में नैतिक संप्रत्यय (Ethical Concept in the Vedas)

भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से वैदिक दर्शन तथा वेदोत्तर दर्शन में विभाजित किया गया है। वैदिक दर्शन का आधार चार वेद हैं जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है। वेदोत्तर को नास्तिक दर्शन तथा आस्तिक दर्शन में विभाजित किया जाता है। यहाँ आस्तिक या नास्तिक शब्द का ईश्वर की अवधारणा से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। आस्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों को सत्य मानते हैं। अत: अपनी विवेचना के लिये वैदिक ज्ञान को आधार भूमि के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करते। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन आते हैं जबकि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा या वेदांत आते हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों को षट्दर्शन या हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन भी कहा जा सकता है। इस वर्गीकरण को निम्नांकित चित्र से समझा जा सकता है-

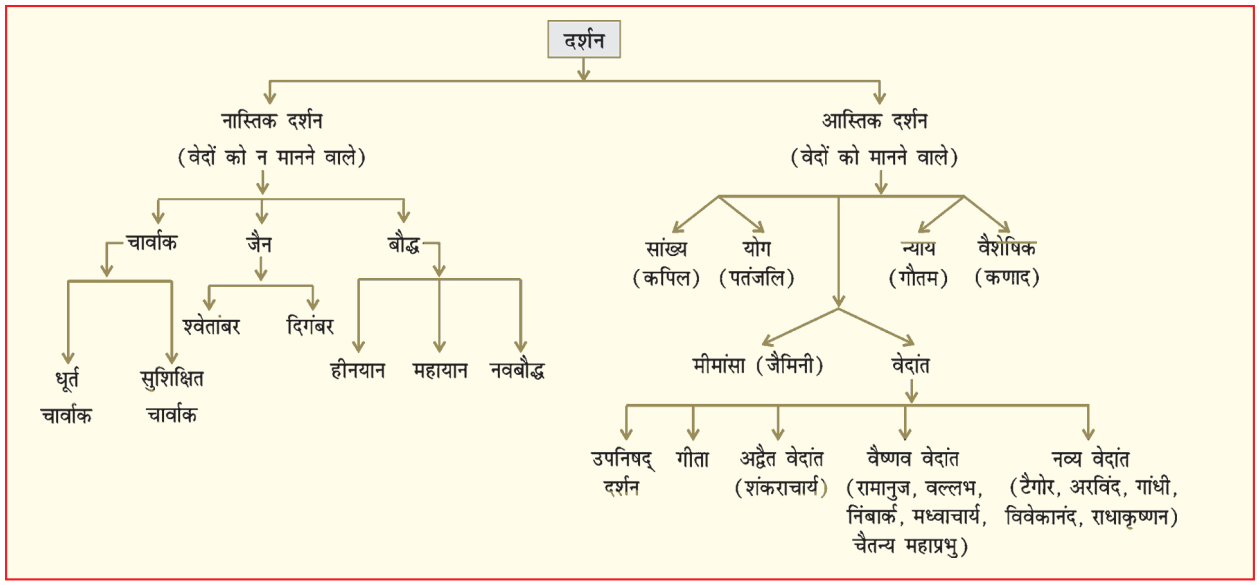

कर्म सिद्धांत *(Karma theory)*

कर्म सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में कारण-कार्य का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए कर्मों के अनुसार फल मिलता है। परंतु व्यावहारिक जीवन में कई बार देखा जाता है कि नैतिक व्यक्ति कष्टकर जीवन जीता है व अनैतिक व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। इन मामलों की व्याख्या केवल कर्म सिद्धांत के आधार पर नहीं हो सकती इसलिये पुनर्जन्म के सिद्धांत का विकास हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जन्म अनेक बार होता है और नए जन्म में उसे अपने पिछले कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिये आत्मा की अमरता के सिद्धांत का विकास हुआ।

पुरुषार्थ

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मानव जीवन के लक्ष्य हैं; ये साध्य नहीं साधन हैं। वेदों में धर्म, अर्थ और काम पर अधिक बल दिया गया है जबकि उपनिषदों में मोक्ष पर अधिक बल दिया गया है। 'अर्थ' से अभिप्राय नैतिक तरीकों से अर्जित धन व अन्य सुख सुविधाओं से है। 'काम' सीमित अर्थ में यौन सुख और व्यापक अर्थ में सभी सुखों को अभिव्यक्त करता है। काम तथा अर्थ में से अर्थ साधन है जबकि काम साध्य; अत: काम अर्थ से श्रेष्ठ है।

21 संवेगात्मक बुद्धि (Emotional Intelligence)

भारत जैसे बहुलतावादी देश में संवेगात्मक बुद्धि से युक्त सिविल सेवकों का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं एवं प्रशासन में तनाव का स्तर काफी ऊँचा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, राजनीतिक बाधाएँ, मीडिया, सिविल सोसायटी के आंदोलन आदि चौतरफा परस्पर विरोधी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। इन जटिल परिस्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाता है, जिसमें भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होती है। स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले और व्यवहार में लचीलापन रखने वाले सिविल सेवक ही प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिये संज्ञानात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु संज्ञानात्मक बुद्धि हमारे दैनिक जीवन के एक छोटे-से अनुपात का ही प्रतिनिधित्व करती है।

संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा (Concept of Emotional Intelligence)

अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को संवेगात्मक बुद्धि, भावनात्मक परिपक्वता या सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों को विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक प्रज्ञता भी कहा जाता है।

अवधारणा का विकास *(Development of concept)*

1920 में थोर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के प्रकारों पर विचार करते हुए सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल इंटेलिजेंस की धारणा दी जिसका अर्थ है- सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिये उचित विकल्प चुनने की क्षमता। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत इस विशेषता को भी शामिल किया जाता है।

1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत (Theory of Multiple Intelligences) प्रतिपादित किया जिसमें बुद्धिमत्ता के 8 में से दो प्रकार ऐसे थे जिनका गहरा संबंध संवेगात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि से माना जाता है। इसमें पहली क्षमता थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत दूसरों के इरादों, मनःस्थितियों, अनुभूतियों, स्वभावों, इच्छाओं तथा प्रेरणाओं को समझना तथा विभिन्न व्यक्तियों को कार्य की सफलता के लिये परस्पर अनुकूलित करना शामिल हैं। दूसरी क्षमता थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता जिसका अर्थ है- व्यक्ति का स्वयं अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, इच्छाओं, विशिष्टताओं आदि को समझना तथा अपनी भावनाओं का प्रबंधन कर पाना।

1985 में वेन पेन (Wayne Payne) ने पहली बार संवेगात्मक बुद्धि (Emotional Intelligence) शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया। हालाँकि 1966 में बार्बरा ल्यूनर ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था। 1987 में पहली बार भावनात्मक लब्धि (Emotional Quotient) शब्द का प्रयोग कीथ बीसले ने किया था।

इस पृष्ठभूमि के बाद 1990 में दो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों पीटर सेलोवी तथा जॉन मेयर ने पहली बार संवेगात्मक बुद्धि पर एक विस्तृत निबंध लिखा, जिसका शीर्षक था– 'Emotional Intelligence'। आगे चलकर 1997 में उन्होंने एक और पुस्तक लिखी– 'What is Emotional Intelligence'।

1995 में डेनियल गोलमेन (जो कि मनोविज्ञान के अनुसंधानकर्त्ता और 'न्यूयॉर्क टाइम्स' में वैज्ञानिक विषयों के लेखक थे) ने एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक लिखी जिसने संवेगात्मक बुद्धि के विचार को विश्वविख्यात बना दिया। पुस्तक का नाम था- 'Emotional Intellignence : Why it can matter more than IQ'। इसके बाद उन्होंने कई अन्य पुस्तकें इसी विषय पर लिखीं। डेनियल गोलमेन के अनुसार, संवेगात्मक बुद्धि मूलतः एक सीखी जाने वाली योग्यता है। लेकिन हमारी जैविक परिस्थितियाँ एक परिधि तय करती हैं जिसके भीतर हमारी संवेगात्मक बुद्धि का विकास वातावरण आदि कारकों द्वारा सुनिश्चित होता है।

संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धिलब्धि में अंतर *(Differences between emotional intelligence and intelligence quotient)*

संवेगात्मक बुद्धि (भावनात्मक समझ) अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को कहा जाता है। यह मनुष्य की जज़्बातपरक योग्यता है जिसे E.I. से सूचित किया जाता है। किसी समूह या टीम में काम करने और बेहतर कार्यप्रबंधन के लिये भावनात्मक समझ बेहतर होना आवश्यक है जबकि बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति की कौशल सीखने की क्षमता, सार्थक रूप में सूचना एवं कौशल सीखने की योग्यता सहित उन्हें समझने और प्रयोग करने की क्षमता है।

संवेगात्मक बुद्धि और बौद्धिक गुणक की तुलना

- एक अच्छा बौद्धिक गुणक वाला व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन तरक्की पाने के लिये भावनात्मक समझ का होना भी ज़रूरी है। अच्छी भावनात्मक समझ रखने वाला व्यक्ति कभी भी क्रोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम नहीं उठाता है।
- संवेगात्मक बुद्धि वाले लोग सिर्फ तथ्य नहीं देखते बल्कि उसके साथ भावनाओं से भी काम लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि हर कोई अलग है इसलिये उस अंतर को ध्यान में रखते हुए वे सबसे एक-सा व्यवहार नहीं करते। वे अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करते हैं। ऐसे लोग संचार-कौशल में अच्छे होते हैं और अच्छे अधिकारी बन सकते हैं।

22 महान व्यक्तित्व के जीवन से प्राप्त शिक्षाएँ
(Lesson from the Life of the Great Personalities)

संसार के महान व्यक्तित्व (नेताओं, प्रशासकों, विचारकों और सुधारकों) ने अपने जीवन एवं उपदेशों से संसार एवं मानवता को नई राह दिखाई है। उनके प्रयास न केवल उनके समाज के लिये अपितु समस्त मानवजाति के उत्थान के लिये मील का पत्थर साबित हुए हैं। समय साक्षी है कि उनकी वाणियों की प्रासंगिकता और महत्ता अक्षुण्ण रही है। उनके कर्म और विचार मानव सभ्यता को और अधिक ऊँचाई की ओर ले जाने में सक्षम साबित हुए हैं।

भारत के महान नेता (Great Leaders of India)

जवाहरलाल नेहरू *(Jawaharlal Nehru)*

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। पंद्रह वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए और दो साल बाद उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहाँ से उन्होंने 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक तथा लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1912 में वे बैरिस्टर बने तथा भारत लौटकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की। परंतु वकालत के पेशे से अधिक उन्हें राजनीति में रुचि थी। वर्ष 1912 में वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बाँकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होमरूल लीग के सचिव बने। वर्ष 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। वर्ष 1920-22 में 'असहयोग आंदोलन' में सक्रियता से भाग लेने के कारण उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा।

जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने वर्ष 1926 में इटली, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। उन्होंने 1922 में मास्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की दसवीं वर्षगाँठ समारोह में भाग लिया। वर्ष 1926 में मद्रास कॉन्ग्रेस में कॉन्ग्रेस कार्यकारिणी को आज़ादी के लक्ष्य के लिये प्रतिबद्ध करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया था। 29 अगस्त, 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की 'नेहरू रिपोर्ट' पर अपने हस्ताक्षर किये थे।

वर्ष 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कॉन्ग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। अपने कैदी जीवन में उन्होंने 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया', 'ग्लिंपसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' और 'मेरी कहानी' नामक विख्यात पुस्तकें लिखीं।

जवाहरलाल नेहरू के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएँ

- "मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वहीं है, जहाँ इनसान की भलाई के लिये काम होता है।"- इस कथन के माध्यम से पं. नेहरू ने मानव कल्याण और भलाई के कार्यों की ओर प्रवृत्त रहने की प्रेरणा दी है।
- पं. नेहरू ने भारत में व्याप्त जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे संकीर्ण विचारों का विरोध किया। वे कहते थे- "जातिवाद और लोकतंत्र के बीच संघर्ष इतना स्वाभाविक है कि इन दोनों में से सिर्फ एक जीवित रहेगा। हमें लोकतंत्रवादी बनना चाहिये न कि घोर जातिवादी क्योंकि जातिवाद सामाजिक न्याय व लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है।" ऐसे समय में जबकि जातीय एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज़ोरों पर हैं, पं. नेहरू के विचार हमें लोकतांत्रिक दृष्टि प्रदान करते हैं।
- राजनीतिक विचारक के रूप में उनके मुख्य आदर्श थे- लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। इन आदर्शों पर ही भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। उनकी युगदृष्टि वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य एवं लोकतंत्र की उत्तरजीविता के लिये अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इन सिद्धांतों के प्रति भारतीय जनमानस को जागरूक भी किया है।
- "भारत की सेवा का अर्थ है- लाखों-करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है- गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना।" पं. नेहरू का यह कथन लोक सेवाओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं युवाओं को आधारभूत मूल्य प्रदान कर कर्त्तव्य पथ की ओर अग्रसर करता है।
- "असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं।" नेहरू के इस कथन से सफलता प्राप्त करने एवं नैतिक मूल्यों का वरण करने की प्रेरणा मिलती है।

15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर वे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति उनके द्वारा ही शुरू की गई। उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 27 मई, 1964 को अस्वस्थता के कारण उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा देश के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये 1955 में जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारतरत्न' से सम्मानित किया गया।

सर सैयद अहमद खाँ *(Sir Syed Ahmad Khan)*

सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 17 अक्टूबर, 1817 को दिल्ली में हुआ था। 22 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद सैयद के परिवार

23

अभिवृत्ति
(Attitude)

व्यक्ति की अभिवृत्ति उसका व्यक्तित्व निर्माण करने के साथ-साथ समाज में उसके कार्य-व्यवहार को संचालित करती है। अभिवृत्ति समाज से प्रभावित होती है और उसे प्रभावित भी करती है। सामान्यत: किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। आमतौर पर अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज के साथ अंतर्क्रिया द्वारा सीखी जाती हैं। चूँकि अभिवृत्ति सापेक्षत: स्थायी होती है तथा इसमें प्रेरित करने की शक्ति भी होती है इसी विशेषता के कारण अभिवृत्ति का महत्त्व सिविल सेवकों के लिये बहुत अधिक हो जाता है।

अभिवृत्ति/अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु क्या है? (What is Attitude/Content of Attitude?)

अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (Psychological Object) (अर्थात् व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिये, वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है।

अभिवृत्ति की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन आया है। शुरुआती परिभाषाओं में इसके केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता था जिसे मूल्यांकनपरक पक्ष (Evaluative) या भावनात्मक (Affective) पक्ष कहा जा सकता है। 1946 में थर्सटन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं।

कालांतर में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया कि अभिवृत्ति में सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं होता बल्कि संज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive aspect) भी होता है अर्थात् एक जानकारी या विश्वास की उपस्थिति भी होती है। 1980-90 के बाद अभिवृत्ति की परिभाषा और व्यापक हो गई। इन परिभाषाओं में निहित दृष्टिकोण को ABC दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ A का अर्थ Affective या भावनात्मक है; B का अर्थ Behavioural अर्थात् व्यवहारात्मक जबकि C का अर्थ Cognitive या संज्ञानात्मक है। इसे हिन्दी में 'संभाव्य' (संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक) कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। उदाहरण के लिये यदि कोई श्वेत-अश्वेतों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो उसमें तीन पक्ष होंगे-

1. उसके पास कुछ ऐसी जानकारियाँ होंगी जिनसे साबित होता हो कि अश्वेत बुरे होते हैं, ये जानकारियाँ गलत हो सकती हैं किंतु उसे विश्वास होगा कि ये सही हैं (संज्ञानात्मक पक्ष)।
2. वह अश्वेतों के प्रति नफरत या घृणा जैसी भावनाएँ अनुभव करेगा (भावनात्मक पक्ष)।
3. वह किसी अश्वेत को देखकर नकारात्मक प्रतिक्रिया करेगा जैसे उससे दूर बैठना, हाथ न मिलाना या गालियाँ देना आदि (व्यवहारात्मक पक्ष)।

अभिवृत्ति की संरचना *(Structure of Attitude)*

अभिवृत्ति की संरचना का अर्थ है कि अभिवृत्ति के भीतर तीनों संघटक तत्त्व परस्पर किस प्रकार संबंधित होते हैं। उनमें हमेशा आंतरिक सुसंगति होती है या वे आपस में असंगत भी हो सकते हैं। हालाँकि, सामाजिक मनोविज्ञान किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा है किंतु कुछ आधारभूत निष्कर्ष स्वीकार किये जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं-

- आमतौर पर संज्ञानात्मक व भावनात्मक पक्ष में संगति बनी रहती है, किंतु क्रियात्मक पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे किसी के प्रति सकारात्मक जानकारी व भावना होने पर भी उसकी प्रशंसा न करना।
- विरल स्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्ष में पूरी संगति न हो जैसे किसी के बारे में यह पता होना कि वह बुरा है, किंतु उसके बारे में नकारात्मक भावनाओं का पैदा न होना क्योंकि वह हमारे लिये महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार किसी के प्रति इस तरह भावुक होना कि उससे संबंधित जानकारियाँ प्रभावित न कर पाती हों।
- यह भी ज़रूरी नहीं है कि तीनों पक्ष अपने भीतर सुसंगत हों प्रत्येक पक्ष के भीतर भी बहुविधता (Multiplexity) हो सकती है। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में राय रख सकता है कि वह ईमानदार किंतु कामचोर है। ईमानदारी के प्रति सकारात्मक भावनाएँ और कामचोरी के प्रति नकारात्मक भावनाएँ आ सकती हैं। वैविध्य और विरोध की ऐसी स्थिति तीनों पक्षों में हो सकती है।

अभिवृत्ति की विशेषताएँ (Features of Attitude)

- अभिवृत्तियों को सामान्यत: सीखा जाता है अर्थात् ये सामान्यत: जन्मजात नहीं होतीं। परंतु, आनुवंशिक कारकों के प्रभाव के कारण ये सीमित रूप से जन्मजात भी हो सकती हैं।
- अभिवृत्ति में सामान्यत: तीन (संज्ञानात्मक, भावनात्मक व व्यवहारात्मक) तत्त्व होते हैं।
- यह अनिवार्यत: किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है।
- अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। एक बार बनने के बाद यह आसानी से परिवर्तित नहीं होती।

24 सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य
(Aptitude and Foundational Values for Civil Services)

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। देश की शासन व्यवस्था की स्टील फ्रेम लोक-सेवाएँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करती हैं, इसलिये लोक-सेवाओं के लिये कुछ अनिवार्य आधारभूत योग्यताओं के होने की अपेक्षा की जाती है। एक सिविल-सेवक के सेवा काल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है।

अभिरुचि क्या है? (What is Aptitude?)

अभिरुचि से आशय व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है जिनका विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा संभव है तथा समयानुकूल सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। अभिरुचि कोई एक गुण नहीं है बल्कि एकाधिक गुणों का सम्मिलित संयोजन है। यह मानव क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

फ्रीमैन के अनुसार, "अभिरुचि का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे– किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है।

बिंघम के अनुसार, "अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात् उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है।" अभिरुचि को अभिवृत्ति भी कहा जाता है।

अभिरुचि की विशेषताएँ *(Characteristics of aptitude)*

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिंघम के अनुसार अभिरुचि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- व्यक्ति की अभिरुचि वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है।
- यह किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। चूँकि यह व्यक्ति में ही समाहित होती है, इसलिये यह व्यक्ति के गुण या विशेषता की ओर संकेत करती है।
- यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता ही नहीं होती बल्कि किसी कार्य को करने में उसकी प्रवीणता के भाव को भी व्यक्त करती है।
- वर्तमान वस्तुस्थिति होने पर भी अभिरुचि का निर्देश भविष्य की ओर संकेत करता है।
- अभिरुचि का रुचि, योग्यता एवं संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है।
- किसी भी अभिरुचि के विकास में जन्मजात एवं अर्जित गुणों के मध्य परस्पर संबंध होता है।

अभिरुचि व बुद्धिमत्ता *(Aptitude & intelligence)*

ये दोनों अवधारणाएँ काफी नज़दीक हैं और इनमें अंतर करना असंभव भले ही न हो परंतु कठिन अवश्य है। सामान्यत: बुद्धिमत्ता के अंतर्गत हम व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को मापते हैं और उसे एक सामान्य बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दे सकते हैं जबकि अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है। बुद्धिमत्ता की अवधारणा (बहुआयामी बुद्धिमत्ता की अवधारणा को छोड़कर) के अंतर्गत इसे सभी मानसिक योग्यताओं का एकमात्र मापदंड माना जाता है जबकि अभिरुचि के अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति में एक-दूसरे से स्वतंत्र कई योग्यताएँ और विशेषताएँ हो सकती हैं। संभव है कि सामान्य बुद्धिमत्ता का ऊँचा स्तर होने के बाद भी किसी क्षेत्र विशेष के अभिरुचि परीक्षण में कोई व्यक्ति अच्छा निष्पादन न कर सके।

जिन क्षेत्रों में सफलता बौद्धिक क्षमता पर कम व अन्य क्षमताओं जैसे सृजनात्मकता इत्यादि पर अधिक निर्भर करती है उनमें ऊँची अभिरुचि का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर भी उतना ही ऊँचा होगा। इसका अर्थ है कि–

- अगर IQ स्तर कम है तो रचनात्मकता का स्तर भी कम होगा।
- रचनात्मकता के ऊँचे स्तर का होने के लिये IQ का पर्याप्त होना आवश्यक है।
- रचनात्मकता के अत्यधिक ऊँचे स्तर को IQ के ऊँचे स्तर से संबंधित नहीं किया जा सकता। रचनात्मकता का स्तर अत्यधिक होने पर IQ का स्तर अत्यधिक भी हो सकता है और सामान्य भी।

अभिरुचि एवं रुचि *(Aptitude & interest)*

अभिरुचि का अर्थ है कि विकल्पों की उपस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार के विकल्पों का चयन करना चाहता है। उदाहरण के लिये अगर पढ़ने, खेलने व सोने के विकल्पों में कोई खेलने को चुनता है तो खेलना उसकी अभिरुचि है।

अभिरुचि और रुचि में निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं-

- किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र के प्रति अभिरुचि का स्तर अधिक हो पर रुचि बिल्कुल न हो, जैसे- किसी व्यक्ति में शतरंज खेलने के लिये आवश्यक ऊँची तार्किक क्षमता है किंतु उसे शतरंज खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस व्यक्ति की सफलता संदिग्ध होगी।
- व्यक्ति में क्षेत्र विशेष के प्रति रुचि तो हो लेकिन अभिरुचि बिल्कुल न हो, जैसे- एक मंद बुद्धि बच्चा (IQ = 70 के निकट) क्रिकेट खेलकर भले ही बहुत खुश होता हो और उपलब्ध विकल्पों में हमेशा क्रिकेट का चयन करे परंतु उसका निष्पादन श्रेष्ठ नहीं होगा क्योंकि वह इस खेल की त्वरित चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा।

25

केस स्टडी
(Case Study)

केस स्टडी इस प्रश्न-पत्र के पूरे पाठ्यक्रम का अनुप्रयुक्त रूप (Applied form) है। यह इकाई पाठ्यक्रम की अन्य इकाइयों की तरह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती बल्कि सभी इकाइयों का सम्मिलित रूप है। केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हल करने के लिये आवश्यक है कि पहली सात इकाइयों की अध्ययन सामग्री आपकी विचार प्रक्रिया का अंग बन जाए।

इस प्रश्न-पत्र में बेहतर अंक लाने का सबसे अच्छा तरीका है इसके पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई बातों को जीवन में लागू करके देखना। अपने आस-पास की परिस्थितियों व घटनाओं पर गौर करें और विभिन्न लोगों (स्वयं, मित्र, माता-पिता, भाई-बहन) के निर्णयों का विश्लेषण करें।

केस स्टडी को हल करने की रणनीति

- कृत्य अथवा घटना की परिस्थिति तथा उसके प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिये, जैसे-
  - अनैतिक कार्य किया जा चुका है या किया जा रहा है या बाद में होने वाला है। यदि कार्य किया जा रहा है या होने वाला है तो कृत्य को रोकने के उपाय प्राथमिक होंगे परंतु अगर घटना हो चुकी है तो उसके प्रभाव का प्रबंधन प्राथमिकता में होगा।
  - जिस व्यक्ति ने कार्य किया क्या उसकी परिस्थितियाँ बाध्यकारी थीं या वह अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद ऐसा कर रहा था? परिस्थितियों के अनुरूप दंड में कठोरता या विनम्रता का समावेश होना चाहिये।
  - कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा और कितना पड़ा? यदि किये गए कार्य से कर्त्ता की ही हानि हुई है तो विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में तो कर्त्ता दया का पात्र भी हो सकता है। अगर प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर हुआ है तो स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। अगर कार्य का प्रभाव अतिव्यापक रूप से समाज पर हुआ है तो यह अति गंभीर मामला बनता है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रभाव का स्तर क्या है? जैसे यदि कार्य से किसी व्यक्ति अथवा समाज के अस्तित्व को चुनौती मिलती है तो अति गंभीर मामला बनता है, परंतु यदि कार्य से केवल साधारण स्तर पर थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ रहा है जैसे किसी कक्षा में बच्चे का चिल्लाना, तो हल्के उपायों से ही समाधान किया जाना चाहिये।
  - कर्त्ता की परिस्थितियों में उसकी आयु पृष्ठभूमि तथा तात्कालिक परिस्थितियों पर ध्यान दें। यदि तात्कालिक परिस्थितियाँ कठिन हैं तो यह ध्यान दें कि उनके पीछे उसकी स्वयं की ज़िम्मेदारी कितनी बनती है।
- निर्णयकर्त्ता के सामने कौन-कौन से नैतिक विकल्प उपलब्ध हैं, उनकी सूची बनाएँ। कदम-दर-कदम (Step-by-Step) सोचते हुए अधिकतम विकल्पों पर विचार करें।
- विभिन्न नैतिक विकल्पों को अपनाने से होने वाले संभावित परिणामों पर विचार करें। यह विचार अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों दृष्टियों से होना चाहिये। यह भी सोचना चाहिये कि नैतिक विकल्प का परिणाम हमारे उद्देश्य से सुसंगत होगा कि नहीं। परिणाम पर विचार करने के कुछ आधार हैं:
  - कर्त्ता पर प्रभाव।
  - जिसके साथ कृत्य हुआ उस पर प्रभाव।
  - समाज पर व सामाजिक नैतिकता पर प्रभाव।
- सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना:
  - अगर कर्त्ता में सुधार की संभावना है और उसकी भूल मानवीय भूल है या परिस्थितियों के दबाव पर आधारित है तो प्रयास करना चाहिये कि उसे सुधरने का अवसर अवश्य मिले। स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर देखने से बात और साफ हो जाएगी।
  - यदि सुधरने की संभावना कम हो या अपराध बार-बार दोहराया जा रहा हो तो दंड देना अनिवार्य हो जाता है। किंतु प्रयास करना चाहिये कि दंड इतना कठोर न हो कि वह व्यक्ति उससे कभी उबर ही न सके। सिर्फ सोचे-समझे तथा अति जघन्य कृत्यों में ही अपूरणीय क्षति पर आधारित दंड देना चाहिये।
  - बदला लेना अपने आपमें नैतिक मानसिकता का संकेतक नहीं है इसलिये सिर्फ बदला लेने की भावना से किया गया कोई भी कृत्य अनैतिक माना जाएगा।
  - अगर आप कभी चाहें कि दंड ऐसा हो जिससे बाकी लोग सबक ले सकें तो इसमें एक नैतिक समस्या पैदा होती है। जिस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है वह साधन बन जाता है और जिन व्यक्तियों को सुधारना है वे साध्य बन जाते हैं। किसी मनुष्य के लिये किसी अन्य मनुष्य को साधन बना लेना मूलत: अनैतिक है। उदाहरणात्मक दंड देने के सिद्धांत का प्रयोग एक विशेष तरह से नैतिक हो सकता है। दंड ऐसा हो जो कृत्य के अनुपात से ज़्यादा न हो, दंड सार्वजनिक रूप से न दिया जाए और दंडित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाए पर लोगों को यह बताया जाए कि किसी को उसके अपराध के लिये दंड दिया गया है तो दूसरों को सुधारने वाला पक्ष भी नैतिक माना जा सकता है।
- दंड देते समय तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी हैं-
  - दंड कृत्य से अधिक न हो।
  - अपराधी को भी जहाँ तक संभव हो उसकी निजता का अधिकार मिलना चाहिये।
  - संबंध निजी है या सार्वजनिक।

  केस स्टडी की इस रणनीति को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझना और बेहतर रहेगा।

26

बुद्धि
(Intelligence)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं समाज के मध्य रहकर ही वह विकसित होता है। बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि के महत्त्व को देखते हुए ही कहा जाता है कि 'बुद्धिर्यस्य बलंतस्य' अर्थात् जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने में सहयोग प्रदान करती है। यदि किसी भी कार्य को बिना अशुद्धि तथा बिना कठिनाई के संपन्न किया जाए तो उसे बौद्धिक क्षमता का सूचक माना जाता है। इस रूप में बुद्धि को व्यक्तित्व का निर्धारक एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व कहा जाता है।

पशुओं की तुलना में मानव कई ज्ञानात्मक योग्यताओं को धारण करता है, जो उसे विवेकशील प्राणी बनाते हैं। मानव तर्क, भेद और बोधन कर सकता है और नई स्थिति का सामना करने में भी सक्षम है। व्यापक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ज्ञानात्मक क्षमताओं, जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा किसी विशिष्ट स्थिति के प्रति अधिक प्रभावशील अनुक्रिया करता है, मनोविज्ञान में इसे बुद्धि कहा जाता है।

बुद्धि : अर्थ एवं अवधारणा
(Intelligence : Meaning and Concept)

सामान्य रूप में तीव्रता से सीखने, समझने, स्मरण और तार्किक चिंतन आदि गुण को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि मात्र एक योग्यता ही नहीं है अपितु इसमें अनेक तरह की योग्यताएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेशलर ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, "बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है।" प्रचलित अर्थों में बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा एवं समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि के कारण ही विभिन्न समस्याओं के समाधान करने की क्षमता आती है। मनोवैज्ञानिकों ने 'बुद्धि' के अर्थ को सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ में परिभाषित किया है। सर्वप्रथम वर्ष 1923 में बोरिंग ने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी। उनके अनुसार- "बुद्धि परीक्षण जो मापता है, वही बुद्धि है।"

परिभाषाएँ *(Definitions)*

वुडवर्थ और मार्क्विस: "बुद्धि का अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना। किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने के लिये प्रतिभात्मक योग्यताओं का प्रयोग बुद्धि है।"

स्टर्न: "बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है, जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता 'बुद्धि' कहलाती है।"

टरमैन: "व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है।"

वैगनन: "अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता 'बुद्धि' है।"

डैविड वैक्सलर: "बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है, जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है,विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है।"

बुद्धि की विशेषताएँ *(Characteristics of Intelligence)*

बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, जिससे व्यक्ति अपने को एवं दूसरों को समझता है। बुद्धि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- बुद्धि जन्मजात अर्थात् जन्म से प्राप्त योग्यता है।
- बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने और समझने में सहायता करती है।
- बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है।
- व्यक्ति की कठिन समस्याओं को सरल बनाने एवं समाधान करने में सहायक है।
- यह व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने और उससे लाभ लेने की क्षमता देती है।
- यह व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है।
- बुद्धि पर वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है।
- बुद्धि व्यक्ति को नैतिक-अनैतिक, सत्य-असत्य, भले-बुरे कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है।

बुद्धि के प्रकार (Types of Intelligence)

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ई.एल. थार्नडाइक ने बुद्धि के निम्नलिखित तीन प्रकार बतलाए हैं- 1. सामाजिक बुद्धि, 2. अमूर्त बुद्धि, 3. मूर्त बुद्धि

- **सामाजिक बुद्धि (Social intelligence):** वह सामान्य मानसिक क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है एवं व्यवहार कुशलता के साथ-साथ सामाजिक संबंधों को भी मज़बूत बनाता है। ऐसे लोगों के सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं और समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, जैसे- अच्छे नेता, शिक्षक आदि।
- **अमूर्त बुद्धि (Intangible intelligence):** अमूर्त बुद्धि का आशय ऐसी मानसिक क्षमता से है, जिसमें व्यक्ति शाब्दिक, गणितीय संकेतों और चिह्नों को सरलता से समझ जाता है तथा उसकी व्याख्या कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, वे सफल कलाकार, गणितज्ञ व पेंटर होते हैं।
- **मूर्त बुद्धि (Tangible intelligence):** मूर्त बुद्धि वह मानसिक क्षमता है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्त्व को

27 व्यक्तित्व (Personality)

व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार (Meaning, Defination and Type of Personality)

प्रत्येक व्यक्ति में कई तरह के गुण होते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएँ या विशेष गुण भी पाए जाते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होतीं। इन विशेषताओं या गुणों के कारण ही व्यक्ति एक-दूसरे से अलग या भिन्न होता है। व्यक्ति के इन विशेष गुणों का संगठन ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। सामान्य शब्दों में, "व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, व्यवहार एवं योग्यता आदि का संगठन है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग करता है।"

परिभाषाएँ *(Definition)*

आलपोर्ट के अनुसार: "व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है।"

बोरिंग के अनुसार: "वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है।"

- **मनोशारीरिक तंत्र:** व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। यह मनोशारीरिक तंत्र ऐसे तत्त्वों का एक संगठन होता है जो आपस में अंतक्रिया करते हैं। इसके मुख्य तत्त्व शील; संवेग, आदत, अभिप्रेरक, चित्तप्रकृति, चरित्र, ज्ञानशक्ति आदि हैं। ये सभी तत्त्व मानसिक गुण हैं परंतु इन सबका आधार शारीरिक अर्थात् व्यक्ति के ग्रंथीय प्रक्रियाएँ और तंत्रिकीय प्रक्रियाएँ हैं।
- **वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण:** प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने तरीके का अपूर्व होता है। वातावरण समान होने पर भी व्यक्ति का व्यवहार, विचार, उत्पन्न होने वाला संवेग आदि अपूर्व होता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति में उस वातावरण के साथ समायोजन करने का तरीका भी अलग-अलग होता है।
- **संगतता:** व्यक्तित्व में किसी व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में संगत यानि लगभग एक समान होता है। संगतता का आशय यह है कि व्यक्ति का व्यवहार दो अलग-अलग अवसरों पर भी लगभग एक समान होता है। व्यक्ति के व्यवहार में इसी संगतता के आधार पर उसमें किसी आधारभूत शीलगुण होने का अनुमान लगाया जाता है।
- **गत्यात्मक संगठन:** गत्यात्मक संगठन से आशय है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न-भिन्न तत्त्व जैसे शीलगुण, संवेग, आदत आदि एक-दूसरे से इस तरह जुड़े होकर संगठित हैं कि उन्हें एक-दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। हालाँकि इस संगठन में परिवर्तन होना संभव है।

व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अध्ययन करने के लिए कई तरह के शोध विधियों का प्रतिपादन किया है जिनमें निम्नांकित दो शोध उपागम अधिक लोकप्रिय है जो इस प्रकार है-

1. भावमूलक उपागम (Idiographic approach): इस अध्ययन विधि में किसी एक व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण करके तथा उन आयामों (dimensions) जो उस व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक होता है, का विश्लेषण करके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। दूसरे शब्दों में, इस उपागम में विशिष्ट व्यक्तियों के अनोखेपन या अपूर्वता (uniqueness) के अध्ययन पर बल डाला जाता है। इसमें शोधकर्ता उन शीलगुणों के संयोगों (combination) की पहचान करने की कोशिश करता है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या उचित ढंग से करता है। इस उपागम के प्रमुख समर्थक गोर्डोन आलपोर्ट (Gordon Allport) है। इस उपागम द्वारा अध्ययन करके आलपोर्ट ने व्यक्तित्व शीलगुणों (personality traits) को तीन प्रमुख भागों में बाँटा है-कार्डिनल शीलगुण (Cardinal traits), केन्द्रीय शीलगुण (central traits) तथा गौण शीलगुण (secondary traits)। इस तीनों तरह के शीलगुणों की पहचान करके आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या काफी संतोषजनक ढंग से किया है।

2. नियमान्वेषी उपागम (Normothetic approach): नियमा-वेषी उपागम भी व्यक्तित्व का अध्ययन करने का एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इस उपागम में अध्ययन किये जाने वाले सभी व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व के चुने गये खास आयामों (dimensions) पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व अध्ययन के इस दृष्टिकोण में अध्ययनकर्ता व्यक्तियों के कुछ खास-खास विमाओं जैसे- अन्तमुर्खता (extraversion), उत्तरदायित्व (responsibility) आदि का चयन कर लेता है और ऐसे प्रत्येक विमा पर उन सभी व्यक्तियों की तुलना करता है जिनका वह अध्ययन करना चाहता है। प्रत्येक विमा पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त माध्यों की तुलना आपस में करके किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश की जाती है। गोर्डोन आलपोर्ट (Gordon Allport) द्वारा इस उपागम पर भी बल डाला गया है परंतु इसे उतना महत्त्वपूर्ण नहीं बतलाया गया है जितना कि भावमूलक उपागम (Idiographic Approach) को उन्होंने बतलाया था। आलपोर्ट का मत था कि नियमान्वेषी उपागम में व्यक्ति के भीतर होने वाले प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जाता है। अत: इस उपागम को उनके द्वारा अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी उतना प्रबल एवं महत्त्वपूर्ण नहीं बतलाया गया है जितना कि भावमूलक उपागम (Idiographic Approach) को।

प्रकार उपागम (व्यक्तित्व के प्रकार) [Types Approach (Type of Personality)]

व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत बहुत पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है तथा उसके आधार पर उसके शीलगुणों का वर्णन किया जाता है।

28 अधिगम और अभिप्रेरणा (Learning and Motivation)

अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Learning)

अधिगम या सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक क्रिया माना है जो जीवनपर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में बच्चा आयु अनुसार परिपक्वता की और बढ़ते हुए, अपने शिक्षण-प्रशिक्षण एवं अनुभवों से होते हुए, अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन, परिमार्जन एवं प्रसरण करता है, इसी को अधिगम या अभिप्रेरणा कहा जाता है। अधिगम या सीखना व्यवहार में ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन एवं परिवर्तन करने में सहायता करना होता है।

अधिगम की परिभाषाएँ *(Definition of Learning)*

पॉल के अनुसार: अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातारण के परिवर्तनों के अनुसार होता है।

ग्रेटस एवं अन्य के अनुसार: अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं।

मार्गन के अनुसार: अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास के परिणामस्वरूप होता है।

स्कीनर के अनुसार: व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है।

अधिगम की विशेषताएँ *(Characteristics of Learning)*

- **निरंतरता:** मनुष्य जीवनपर्यंत अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निरंतर जारी रहती है।
- **सार्वभौमिक प्रक्रिया:** अधिगम प्रक्रिया पर किसी व्यक्ति, स्थान या देश का आधिपत्य नहीं होता अपितु यह प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपलब्ध होती है।
- **उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुखी:** अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुखी होता है। यदि अधिगम बिना उद्देश्य का होगा तो उसका प्रभाव परिणाम पर दिखाई नहीं देगा। अधिगम लक्ष्य-केंद्रित होता है इसलिये जैसे-जैसे अधिगम में वृद्धि होती है लक्ष्य प्राप्ति संभव हो पाती है।
- **व्यवहार में परिवर्तन:** अधिगम या सीखना किसी भी प्रकार का हो उससे व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होता है। यह परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक या फिर दोनों ही तरह का हो सकता है।
- **सृजनात्मकता:** अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति सदैव सीखता रहता है और सक्रिय रहता है। अधिगम में सृजनात्मकता निहित होती है परंतु उसका प्रयोग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरह का हो सकता है।
- **व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का कारक:** अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निभाता है। व्यक्ति का संतुलित व सर्वांगीण विकास अधिगम के आधार पर ही संभव हो सकता है।

अधिगम की शैलियाँ (Styles of Learning)

अधिगम शैली, अधिगमकर्त्ता द्वारा अपनाई गई एक ऐसी शैली होती है जिसमें वह सीखने या अधिगम एवं अध्ययन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाता है। दूसरे शब्दों में अधिगम शैली, अधिकर्त्ता द्वारा प्रयुक्त एक ऐसी युक्ति/तरीका/दृष्टिकोण/ शैली होती है जिसका प्रयोग करके वह सीखने के कार्य को सुगम, सरल एवं रुचिपूर्ण बना देता है तथा उस कार्य विशेष को अच्छी तरह से करना सीख लेता है। अधिगम शैली का प्रयोग बहुत तीक्ष्णता से करके कुछ बच्चे या वयस्क अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण वे सीखने में अन्य लोगों से आगे बढ़ जाते हैं।

- अधिगम शैली अधिगमकर्त्ता द्वारा अपनाया गया एक विशेष उपागम होता है। वुलफॉल्क के अनुसार- "अधिगम शैली अधिगम तथा अध्ययन के प्रति एक विशेष उपागम होता है।"
- अधिगम शैली में अधिगमकर्त्ता सीखे जाने वाले कार्य से संबंधित ज्ञान व सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तथा उसे विशेष तरह से संशोधित व समायोजित करता है।
- अधिगम शैली का उद्देश्य अधिगमकर्त्ताओं को कार्य प्रवीणता या दक्षता प्राप्त करने में सहायता करना होता है।

अधिगम शैली की उत्पत्ति होने में सामान्य रूप से निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं-

प्रत्यक्षज्ञानात्मक रूपात्मकता *(Perceptual Modalities)*

किसी भी प्रकार की अधिगम शैली के उत्पन्न होने का प्रथम चरण अधिगमकर्त्ता द्वारा वातावरण में उपस्थित सूचनाओं को स्वयं की ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आत्मसात/ग्रहण करने से संबंधित होता है। अधिगमकर्त्ता अपने वातावरण से दृश्य सूचनाओं, श्रव्य सूचनाओं, सूँघने, गति व स्पर्श से संबद्ध सूचनाओं को उपयुक्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है।

सूचना प्रक्रमण *(Information Processing)*

अधिगम शैली के विकसित होने का दूसरा चरण ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचनाओं के प्रक्रमण या प्रसंस्करण से संबंधित होता है। इस चरण में अधिगमकर्त्ता समस्या समाधान करने के तरीके एवं सूचनाओं को स्मरण कर उसे विश्लेषित करने के तरीकों पर मुख्य फोकस करता है। इस प्रक्रिया में वह सूचनाओं के भिन्न-भिन्न पक्षों पर बारी-बारी से विचार

29 जीवन की चुनौतियों का सामना
(Facing the Challenges of Life)

वर्तमान समाज तेज गति से साधन संपन्न हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य का भौतिक जीवन स्तर उन्नत किया है परंतु जटिल सामाजिक व्यवस्था के कारण हर तरह की सुविधाएँ बढ़ने के बाद भी जिस प्रकार से व्यक्ति के दैनिक जीवन की आपाधापी बढ़ रही है, उनमें मानसिक तनाव, भावना व चित्त अस्थिर, चिंता, द्वंद्व, असंतोष आदि बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण संवेदनहीनता, स्वार्थवृद्धि, जीवन गुणवत्ता एवं व्यक्तिगत क्षमताओं का ह्रास हो रहा है। तेजी से होने वाले परिवर्तनों से गुज़रते समय की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको न ढाल पाने की क्षमता में कमी ने जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने बचपन से लेकर मृत्युपर्यंत तनावग्रस्त होने से नहीं बच सकता। जैसे बच्चों को स्कूल का प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तनाव देता है, तो युवाओं के लिये नौकरी नहीं पा पाना तनाव देता है। जीवन के सामाजिक संबंध सार्वजनिक संबंध से लेकर व्यक्तिगत संबंध तक तनाव से मुक्त नहीं है।

तनाव : अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति (Stress/Tension : Meaning, Definition and Nature)

'तनाव' शब्द का संबंध उस अनुक्रिया से है जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का सामना करते समय करते हैं, जो उन्हें कोई क्रिया करने, किसी-न-किसी रूप में परिवर्तित होने और समायोजित होने के लिये बाध्य करती है, ताकि वे अपनी स्थिति को बनाए रखें अथवा संतुलित रख सकें। तनाव किसी इच्छा, अपेक्षा या माँग के प्रति व्यक्ति का शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने का ढंग है। 'प्रतिबल' से तात्पर्य उस कारक, घटना या कारण से है जो व्यक्ति में विषमावस्था, तनाव एवं कुसमायोजन पैदा कर देता है। प्रतिबल (Stress) से आशय प्रतिबलक (stressor) से भी है अर्थात् उस कारण या घटना से जिसके कारण मानसिक परेशानी उत्पन्न होती है।

मैक्वेन के अनुसार: "किसी व्यक्ति की शरीर क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक अखंडता पर आसन्न ऐसे वास्तविक या विवेचित परेशानी जिसकी शरीर में क्रियात्मक अथवा/तथा व्यावहारिक प्रतिक्रिया होती है, तनाव कहलाता है।"

शारीरिक दृष्टि से तनाव का अर्थ शरीर में होने वाली क्षति की मात्रा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तनाव उस अवस्था में पैदा होता है जब किसी व्यक्ति से की गई अपेक्षाएँ उसके अनुकूल संसाधनों से अधिक होने लगे या उनका अतिक्रमण करने लगे। जब किसी स्थिति में आया हुआ दबाव व्यक्ति की योग्यता और उसके उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए तो उस अवस्था में तनाव उपन्न हो जाता है। शैले की तनाव की अवधारणा में निम्नलिखित घटक बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं-

- **शरीर (Body):** उन्होंने शरीर के भीतर हार्मोंस के शारीरिक प्रभावों का अध्ययन किया है। वे शारीरिक या भौतिक पक्ष की स्थिति को महत्त्व देते हैं।
- **अविशेष अनुक्रिया (Non-specific response):** अविशेष अनुक्रिया के विषय में शरीर पलायन प्रक्रिया को अपना सकता है। इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने से यह ज़रूरी नहीं है कि तनाव पर काबू पाया जा सके।
- **माँग या अपेक्षाएँ (Demand):** शैले ने अपेक्षाओं या माँगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-
  1. डिस्ट्रेज़र (Distressors): इसका अर्थ है नकारात्मक तनाव/प्रतिबल।
  2. यूस्ट्रेज़र (Eustressors): यह सकारात्मक तनाव/प्रतिबल है।
  3. तटस्थ (Neutrals): ऐसा तनाव या प्रतिबल जिनका व्यक्तियों पर न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सभी समस्याएँ, चुनौतियाँ एवं कठिन परिस्थितियाँ हमें दबाव (Stress) में पहुँचाती है। अत: यदि दबाव सकारात्मक प्रभाव डाले तो ऊर्जा प्रदान करता है परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव हानिकारक होता है। दबावकारक (Stesssor) वे कारक या घटनाएँ हैं जो हमारे शरीर में दबाव पैदा करती है। ये शोर, भीड़, खराब संबंध, रोज दफ्तर या स्कूल जाने से संबंधित हो सकती है। ऐसे बाह्य प्रतिबलक (Outer Stressor) के प्रति प्रतिक्रिया को ही तनाव कहते हैं। दबाव कोई ऐसा घटक नहीं है जो व्यक्ति के अंदर या बाह्य पर्यावरण में पाया जाता है बल्कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया में निहित है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में कार्य संपादित करते हुए संघर्षों का मूल्यांकन करता है एवं उनसे पैदा होने वाली विभिन्न समस्याओं का सामना करने का प्रयत्न करता है।

तनाव की प्रकृति *(Nature of Tension)*

वे स्थिति या अपेक्षाएँ जिन्हें हल कर पाना और उनका सामना करना किसी व्यक्ति को कठिन लगता है वे तनाव के कारक (Stressor) कहलाते हैं। तनाव किसी व्यक्ति पर ऐसी स्थितियों या माँगों को थोप देता है जिसे पूर्ण करना वह अत्यंत कठिन समझता है। इस प्रकार की माँगों या अपेक्षाओं को पूर्ण करने में निरंतर असफलता मिलने पर व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। तनाव की पारंपरिक परिभाषा शारीरिक प्रतिक्रया पर केंद्रित है। हैंस शैले की परिभाषा का आधार शारीरिक है और यह हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्त्व देती है, जो एड्रिनल एवं अन्य ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं।

- **तनाव-प्रतिक्रया (Stress Responses):** तनाव प्रतिक्रियाओं को सामान्यत: शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रिया, भावनात्मक प्रतिक्रिया,

30 विधि की अवधारणा
(Concepts of Law)

विधि किसी भी राष्ट्र में सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सर्वव्याप्त अवधारणा है। विधि प्रत्येक राष्ट्र का अनिवार्य तत्त्व होता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन एवं सामाजिक संव्यवहार विधिक क्रियाकलापों के अनुरूप ही संचालित होता है। इस रूप में विधि एक ऐसी महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके माध्यम से राज्य नागरिकों के आचरण, संव्यवहार एवं क्रियाकलापों पर युक्तियुक्त नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना, लोगों के अधिकारों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय प्रदान करता है।

विधि : अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार
(Law : Meaning, Definition and Type)

सामान्य रूप में विधि से तात्पर्य मानवीय कृत्यों के उन नियमों (सामान्य) से है, जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य संव्यवहारों या आचरणों द्वारा होती है तथा जो किसी निश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किये जाते हैं। विधि का प्रमुख उद्देश्य समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को विनियमित करना रहा है। दूसरे शब्दों में समाज में व्यक्तियों के आचरणों या संव्यवहारों को उचित या अनुचित निर्धारित करने के लिये राज्य द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हें ही 'विधि' कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेज़ी शब्दकोश में 'विधि' को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा गया है।

विधि या कानून दरअसल नियमों का समूह या नियम संहिता है। विधि भली-भाँति लिखे हुए नियम या निर्देशों के रूप में संहिताबद्ध होती है। विधि राज्य द्वारा निर्मित, स्वीकृत एवं प्रवृत्त की जाती है, जिनका अनुपालन अनिवार्य होता है। इनका पालन न करने या अवमानना करने पर न्यायपालिका दंड देती है। विधि का उद्देश्य समाज के आचरण को नियमित करना है। संविधान-सम्मत आधार पर संचालित होने वाले लोकतांत्रिक राष्ट्रों में 'विधि के शासन' की अवधारणा प्रचलित होती है, यहाँ कोई भी कार्य विधि के दायरे से बाहर नहीं होता है।

विधि की परिभाषा (Definition of Law)

प्राय: विधियाँ अलग-अलग देश और काल में अलग-अलग तरह की होती हैं। इसलिये विधि की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना या सटीकता ये परिभाषित करना कठिन कार्य है।

हूकर के अनुसार : "ऐसे नियम अथवा उपनियम, जिनके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं, विधि कहलाते हैं।"

हॉलैंड के अनुसार : "विधि से तात्पर्य मानवीय कृत्यों के उन सामान्य नियमों से है, जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण द्वारा होती है और जो किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किये जाते हैं। यह प्राधिकारी कोई मानवीय व्यक्ति होता है, जिसे उन मानवीय प्राधिकारियों में से चुना जाता है, जो कि राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं।"

सामंड के अनुसार: "सामान्य अर्थ में विधि के अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित नियमों का समावेश है।"

जे.सी./ग्रे के अनुसार: "राज्य की विधि या मनुष्यों के किसी संगठित समूह की विधि नियमों से बनी होती है, जिन्हें न्यायालय या उस समूह का न्यायिक अंग विधिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के निर्धारण के लिये प्रतिपादित करता है।"

इहरिंग के अनुसार: "विधि वृहत्तर अर्थों में सामाजिक जीवन की अवस्थाओं का योग है, जिसे बाह्य बाध्यताओं के माध्यम से राज्य की शक्ति द्वारा सुरक्षित किया गया है।"

व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो मानव के आचरण और संव्यवहार से संबंधित किसी भी नियम, आदर्श या सिद्धांत को विधि की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु विधिक दृष्टिकोण से 'विधि' शब्द का अर्थ ऐसे नियमों से है जो समाज में व्यक्तियों के आचरण और संव्यवहार को नियंत्रित करते हैं।

विधि की विशेषताएँ

- बाह्य मानवीय आचरण और संव्यवहार का सामान्य नियम है। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं पर विधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- विधि राज्य द्वारा ही निर्मित और प्रवर्तित कराई जाती है।
- विधि को एक निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाता है।
- विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शन का कार्य करती है।
- विधि के अंतर्गत देश की सभी न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाओं का समावेश है।
- विधि अनिवार्य होती है। अर्थात् नागरिकों को इसका पालन करने के लिये चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं होती। विधि की अवमानना करने या उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी होती है।
- विधि की प्रकृति 'सार्वजनिक' होती है, क्योंकि प्रकाशित और मान्यता प्राप्त नियमों की संहिता के रूप में विधि का निर्माण औपचारिक विधि प्रक्रिया के ज़रिये किया जाता है।
- विधि सभी पर समान रूप से लागू होती है।

विधि के प्रकार *(Types of Law)*

व्यक्तियों के आचरणों और संव्यवहार को नियंत्रित करने वाली विधियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं-

1. धार्मिक विधि, 2. नैतिक विधि, 3. विधिवेत्ता द्वारा निर्मित विधि या नागरिक विधि

- **धार्मिक विधि या दैवी विधि:** ईश्वर की इच्छा एवं किसी धर्म विशेष से संबंधित होती है। प्रत्येक धर्म में मानव के आचरण से संबंधित विधान होते हैं, जिनका उनके अनुयायी पालन करते हैं।
- **नैतिक विधि:** नैतिक विधि या नियम, व्यवहार संबंधी नियम होते हैं जो नीतिशास्त्र पर आधारित होते हैं। अधिकांशत: इन्हें प्रभुता संपन्न लोगों द्वारा लागू किया जाता है। सामाजिक प्रचलन एवं दबावों के कारण व्यक्ति अनैतिक व्यवहार करने से बचते हैं।

31 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून
(Laws Related to Crime Against Women and Children)

देश के समग्र विकास के लिये महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण एवं कल्याण अत्यंत आवश्यक है। एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में विकसित होने के लिये भी महिला एवं बाल विकास पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। भारत में लोकनीति एवं सामाजिक विधानों का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके इन्हें संरक्षित करना है। महिलाओं और बच्चों का भविष्य एक सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ वातावरण में विकसित हो, इसके लिये सामाजिक विधान एवं कल्याणकारी योजनाओं की महत्ता सतत् रूप से बनी रहेगी।

महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी सामाजिक कानून (Laws Related to the Protection and Welfare of Women)

महिला सशक्तीकरण मुख्यतया तीन कारकों से निर्धारित होता है; उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान तथा महत्ता। ये कारक परस्पर अंतर्संबंधित हैं। जब ये तीनों कारक एक साथ सुसंगत होकर इस दिशा में कार्य करें, केवल तभी सही अर्थों में महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिये, महिलाओं का समग्र रूप से सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिये उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों का प्रभावी समेकन अत्यावश्यक है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों तथा नीति-निदेशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिये समानता का प्रावधान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में 'सकारात्मक विभेद' (Affirmative Discrimination) अथवा आरक्षण की नीति अपनाने के लिये राज्य को प्राधिकृत भी करता है। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का विकास करना है। महिलाओं को समान अधिकार देने के उद्देश्य से भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (Conventions) तथा मानवाधिकार दस्तावेज़ों की अभिपुष्टि की है जिनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण 1993 का महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW) है।

संवैधानिक विशेषाधिकार *(Constitutional Privileges)*

1. विधि के समक्ष समता। **अनुच्छेद 14**
2. राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। **अनुच्छेद 15(1)**
3. राज्य महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है। **अनुच्छेद 15(3)**
4. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी। **अनुच्छेद 16(1)**
5. पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। **अनुच्छेद 39**
6. आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता से पीड़ित नागरिकों के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। **अनुच्छेद 39क**
7. राज्य, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करेगा। **अनुच्छेद 42**
8. राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। **अनुच्छेद 46**
9. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य। **अनुच्छेद 47**
10. भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। **अनुच्छेद 51क(ङ)**
11. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे। **अनुच्छेद 243घ(3)**
12. पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे। **अनुच्छेद 243घ(4)**
13. प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे। **अनुच्छेद 243न(3)**
14. नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिये आरक्षित रखने का प्रावधान। **अनुच्छेद 243न(4)**

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि, प्रासंगिकता और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

32 वर्तमान विधिक मुद्दे
(Contemporary Legal Issues)

किसी भी सभ्य समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करने लिये कानूनों की अपरिहार्य रूप से आवश्यकता होती है। व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये विधि या कानून बनाए जाते हैं, ताकि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और असामाजिक तत्त्वों से मानवता की रक्षा की जा सके। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों का निर्माण और पहले से मौजूद कानूनों में संशोधन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नए कानून बनाए गए हैं। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये इन कानूनों की प्रासंगिकता अत्यधिक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)

सूचना के अधिकार की मांग **राजस्थान** से प्रारंभ हुई। 1990 के दशक में राज्य में एक जनांदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्त्ता **अरुणा राय** की अगुवाई में, **'मज़दूर किसान शक्ति संगठन'** (एम.के.एस.एस.) द्वारा भ्रष्टाचार के पर्दाफाश के लिये 'जनसुनवाई कार्यक्रम' की मांग की गई। वर्ष 1997 में केंद्र सरकार द्वारा **एच.डी. शौरी** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 देश के शासन में पारदर्शिता लाने का एक अचूक प्रयास है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल पर नागरिकों को आर.टी.आई. (राइट टू इन्फॉर्मेशन) पोर्टल 'गेटवे' उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम नागरिकों के अनुरोध पर सरकार द्वारा उन्हें समय पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है। यह अधिनियम जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त करता है वहीं यह भ्रष्टाचार की रोकथाम और लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में भी सहायक भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त शासन में पारदर्शिता स्थापित करने तथा जवाबदेहिता विकसित करने में भी यह अधिनियम सक्षम है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short Title, Extent and Commencement)*

वर्ष 2002 में संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता' विधेयक पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गए अपने वायदे, पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये 12 मई, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर, 2005 को यह कानून पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2002 को निरस्त कर दिया गया।

इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व 9 राज्यों ने पहले से ही इसे लागू कर रखा था, जिसमें– तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली ने 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002 तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में इसे लागू किया था।

(क) **"समुचित सरकार"** से आशय एक ऐसे लोक प्राधिकरण से है जो–

(i) केंद्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है–

(i) लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, उस दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

(ग) **"सूचना"** से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई.मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट कागज़ पत्र, नमूने, मॉडल, आँकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(घ) **"लोक प्राधिकारी"** से–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

33 राजस्थान में महत्त्वपूर्ण भूमि विधियाँ
(Important Land Laws in Rajasthan)

राजस्थान राज्य में भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज़ की राशि, प्रीमियम भुगतान, रूपांतरण शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं। राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग एक प्रशासनिक ईकाई की तरह कार्य करता है। राजस्व विभाग भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन करता है। राजस्व से संबंधित सभी विषयों के लिये विधियाँ निर्मित की गई हैं, जिनके अनुरूप राजस्व संबंधी विषयों का समाधान किया जाता है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (Rajasthan Land Revenue Act, 1956)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं-

धारा-1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short Title and Commencement)*

यह एक्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 कहलाएगा। इसका विस्तार राजस्थान राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में होगा। यह एक्ट राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से लागू माना जाएगा। इसके तहत गैर-कृषि भूमि के लिये राजस्व बोर्ड का गठन होगा।

धारा-3 व्याख्याएँ *(Interpretation)*

धारा 3 में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण धाराएँ निम्नलिखित है-

- **भूमि अभिलेख अधिकारी (Land Records Officer):** भूमि अभिलेख अधिकारी से तात्पर्य कलेक्टर से है, जिसमें अतिरिक्त अथवा सहायक भू-अभिलेख अधिकारी भी शामिल हैं।
- **नजूल भूमि (Nazul Land):** राज्य सरकार के अधीन किसी नगरपालिका, पंचायत सर्किल या गाँव, कस्बे या शहर की सीमा क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि।
- **राजस्व अपीलीय प्राधिकरण (Revenue Appellate Authority):** इसका आशय सेक्शन 20-A के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में नियुक्त अधिकारी से है।
- **निपटान अधिकारी (Settlement Officer) :** इससे आशय सहायक निपटान अधिकारी से है।

धारा-4 : बोर्ड की स्थापना एवं संरचना *(Establishment and Composition of Board)*

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 से लेकर 14 तक (अध्याय-2) में राजस्व बोर्ड के गठन, क्षेत्र अधिकार और शक्तियों के संबंध में प्रावधान किये गए हैं। राजस्व बोर्ड राजस्व संबंधी विवादों के निपटारे में एक शीर्ष एजेंसी या शीर्षस्थ न्यायालय होगा। राजस्व बोर्ड का एक अध्यक्ष (चेयरमैन) होगा, साथ ही न्यूनतम तीन तथा अधिकतम 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये योग्यता, चयन के तरीके तथा सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में होगा, परंतु राज्य सरकार के आदेश पर अजमेर से किसी अन्य स्थान पर भी बैठक की जा सकती है।

बोर्ड का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ (Powers and Jurisdiction of Board)

- **उच्चतम राजस्व न्यायालय:** अधिनियम के तहत राजस्व मामलों के संबंध में राजस्व बोर्ड सर्वोच्च या शीर्ष न्यायालय होगा। ऐसे सभी मामले जिसमें सिविल तथा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विवाद हो वहाँ, उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। इस रूप में अपील, पुनरीक्षण एवं निर्देशन के संदर्भ में यह शीर्ष एजेंसी है।
- **अधीक्षण की शक्ति:** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजस्व बोर्ड को सभी राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण/पर्यवेक्षण व नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों के तहत राजस्व बोर्ड ऐसे मामलों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकता है, जिनमें निचले या अधीनस्थ न्यायालय विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अवैध कार्य करते हैं।
- **कारबार का वितरण और प्रशासनिक नियंत्रण:** एक्ट के माध्यम से बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड संबंधी कारबार का वितरण एवं संचालन करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। यह बोर्ड की बैठकों एवं पद्धति, कार्य प्रारूपों, दक्षता संबंधी नियम बनाने की शक्ति रखता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य शक्तियों को भी धारित करता है। बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कार्य का वितरण करने के साथ यह भी निर्धारित कर सकेगा कि कौन से सदस्यों से कोई न्यायपीठ गठित होगी।
- **अवमानना पर दंड देने की शक्ति:** इस एक्ट के द्वारा राजस्व बोर्ड को अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत राजस्व बोर्ड की अवमानना करने पर उसे दंड देने में वे ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कि उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं।
- **वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति:** राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 11 से 15 के अंतर्गत किसी मामले को वृहत्तर न्यायपीठ (यानी बेंच) को निर्देशित करने की राजस्व बोर्ड की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य या एकाधिक सदस्यों की न्यायपीठ यदि उचित समझें तो

34

प्रमुख खेलकूद
(Major Sports)

खेलकूद लोगों के मनोरंजन का प्रमुख परंपरागत साधन है। खेलकूद का अस्तित्व मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही रहा है, परंतु समय-समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। खेलकूद से लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही स्वस्थ शरीर का निर्माण भी होता है। प्राचीन काल में लोग शारीरिक श्रम अधिक करते थे, जिससे उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता था, परंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में शारीरिक श्रम का महत्त्व कम होता जा रहा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को मनोरंजन के साथ-साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिये खेल गतिविधियों में अधिक-से-अधिक भागीदारी करनी चाहिये।

वर्तमान में विभिन्न पेशेवर खेल गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत सहित पूरे विश्व में किया जाता है। पेशेवर स्तर पर खेले जाने वाले कुछ प्रमुख खेल निम्नलिखित हैं-

फुटबॉल (Football)

- फुटबॉल विश्व के प्रसिद्ध खेलों में से एक है। इसे सामान्यत: सॉकर नाम से जाना जाता है। यह सामूहिक रूप से 11 खिलाड़ियों वाले दो दलों के मध्य एक आयताकार घास (कृत्रिम या प्राकृतिक) के मैदान पर खेला जाता है।
- फुटबॉल का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मध्यकालीन यूरोप में फुटबॉल को अनेक रूपों में खेला जाता था। फीफा के अनुसार, "वैज्ञानिक सबूत हैं कि फुटबॉल खेल की प्रारंभिक शैली का विकास चीन में ईसा पूर्व दूसरी तथा तीसरी सदी में हुआ था, जो सूचू (Tsu-chu) खेल के रूप में प्रसिद्ध थी।"
- फुटबॉल से संबंधित **कैंब्रिज नियम (Cambridge rule)** सबसे पहले 1848 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में तैयार किये गए थे। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, जब वहाँ वर्ष 1857 में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब **शेफील्ड फुटबॉल क्लब** का गठन हुआ।
- 'फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन' (फीफा) विश्व का सर्वोच्च फुटबॉल नियामक निकाय है, जिसका मुख्यालय ज़्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड) में है। फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा फुटबॉल विश्व कप होती है, जिसका आयोजन फीफा द्वारा कराया जाता है। पहले फीफा विश्व कप का आयोजन वर्ष 1930 में उरुग्वे में हुआ था। उसके पश्चात् प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है, परंतु 1942 एवं 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल का विश्व कप नहीं हुआ।
- भारत में फुटबॉल का प्रारंभ अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब **डलहौज़ी क्लब** था, जिसकी स्थापना वर्ष 1880 में कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में की गई थी। मोहन बागान क्लब की स्थापना वर्ष 1889 में की गई थी। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है।

मैदान का परिमाप

- **मैदान की लंबाई** : 90 से 120 मीटर
- **मैदान की चौड़ाई** : 45 से 90 मीटर
- **अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिये लंबाई** : 100 – 110 मीटर, चौड़ाई – 64 – 75 मीटर
- **गेंद का वज़न** : 410 से 450 ग्राम।

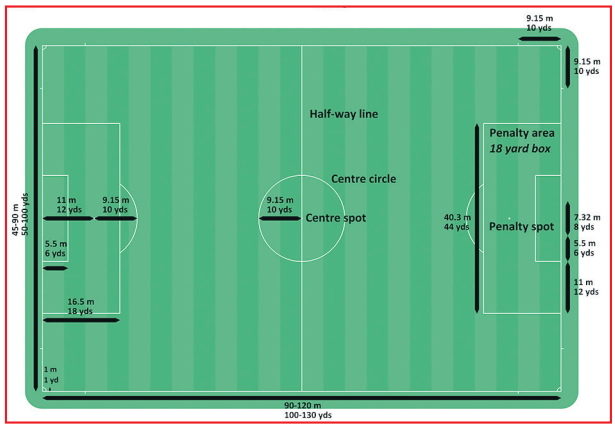

फुटबॉल मैदान

- मैदान की सबसे बड़ी सीमा-रेखा टच या किनारे की रेखाएँ हैं, जबकि सबसे छोटी सीमा-रेखा, गोल रेखा (जहाँ से गोल मारा जाता है) है। ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट का भीतरी किनारा 7.3 मी. (8 यार्ड) होता है तथा क्षैतिज क्रॉसबार का निचला छोर 2.44 मी. (8 फीट) होता है।
- **पेनल्टी क्षेत्र:** गोलपोस्ट के सामने का क्षेत्र।
- **पेनल्टी किक:** जब बचाव दल के सदस्यों द्वारा फाउल होता है।
- **पेनल्टी शूटआउट:** यदि अतिरिक्त समय के पश्चात् भी मैच टाई रहता है तो इसका प्रयोग किया जाता है।
- **पीला कार्ड (Yellow Card):** आधिकारिक चेतावनी या मैदान से बाहर किया जाना।
- **लाल कार्ड (Red Card):** खिलाड़ी को आवश्यक रूप से मैदान से बाहर जाना होता है।
- **प्रमुख शब्दावली:** स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी, फुल बैक, हाफ बैक, किक, फ्री किक, हैंडबॉल, स्वीपर, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट्रिक, बैक, थ्रो इन, फाउल, ब्लैक पर्ल आदि।

35 प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ : विश्व एवं एशिया
(Major Sports Events : World and Asia)

विश्व की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ (World's Premier Sports Events)

ओलंपिक खेल *(Olympic Games)*

- भव्यता, रोमांच एवं अद्‌भुत प्रदर्शन की दृष्टि से ओलंपिक विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्द्धा है।
- ओलंपिक खेल यूनानी देवता जीसस के सम्मान में आयोजित किये जाते थे।
- यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ई. पूर्व में ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित हुए थे। इसी कारण इन खेलों के आयोजन को ओलंपिक के नाम से जाना जाता है।
- 4 से 15 अप्रैल, 1896 तक प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस (यूनान की राजधानी) में संपन्न हुआ।
- ओलंपिक खेलों का आयोजन चार वर्ष के अंतराल पर होता है।

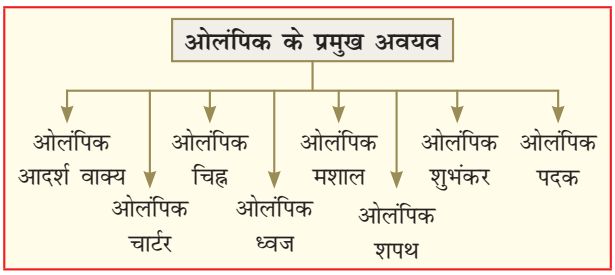

ओलंपिक आदर्श वाक्य

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक के आदर्श वाक्य में भी परिवर्तन किया गया। पूर्व के आदर्श वाक्य- 'Faster, Higher, Stronger' को बदलकर 'Faster, Higher, Stronger-Together' कर दिया गया।
- यह आदर्श वाक्य एथलीटों को तेज़ दौड़ने, उच्चस्तरीय तथा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित करता है।

ओलंपिक चार्टर *(Olympic Charter)*

- 1894 में संकलित ओलंपिक चार्टर के आधार पर ओलंपिक के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं-
  - शारीरिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना।
  - शांतिमय विश्व हेतु युवाओं में परस्पर सद्‌भाव एवं मित्रता बढ़ाना।
  - ओलंपिक सिद्धांतों का प्रसार करके अंतर्राष्ट्रीय सद्‌भाव उत्पन्न करना।
  - विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक स्थान पर एकत्र करना।

ओलंपिक चिह्न *(Olympic Symbol)*

- ओलंपिक चिह्न 1920 में निश्चित किया गया था। इस चिह्न को निर्मित करने का श्रेय आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक बेरोन पियरे डि कुबर्तिन को है।
- ओलंपिक का प्रतीक चिह्न आपस में जुड़े 5 छल्ले हैं।
- ओलंपिक चिह्न में परस्पर संयुक्त छल्लों का रंग नीला, काला, लाल, पीला तथा हरा है।

ओलंपिक ध्वज *(Olympic flag)*

- ओलंपिक ध्वज 1920 में प्रथम बार एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था।
- श्वेत शिल्क से निर्मित ओलंपिक ध्वज पर आपस में जुड़े हुए नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 छल्ले अंकित होते हैं।

ओलंपिक मशाल *(Olympic torch)*

- आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा 1936 में बर्लिन से आरंभ की गई।
- खेल प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व रिले मशाल एथें के पवित्र हेरा मंदिर में लाई जाती है और सूर्य की किरणों से प्रज्वलित कर रिले रेस के माध्यम से आयोजन स्थल तक लाई जाती है।

ओलंपिक शपथ *(Olympic oath)*

- ओलंपिक शपथ की शुरुआत 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुई।
- शपथ ग्रहण का उद्‌देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं सद्‌भाव को बढ़ावा देना है।

ओलंपिक शुभंकर *(Olympic Mascot)*

- 1968 के मेक्सिको ओलंपिक से शुभंकर की परंपरा प्रारंभ की गई।
- उल्लेखनीय है कि प्रथम आधिकारिक शुभंकर वाल्दी (म्यूनिख, 1972) था।
- वर्ष 2016 के 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर विनिसियस था।

ओलंपिक पदक *(Olympic medal)*

- ओलंपिक खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किया जाता है।
- सामान्यतः चतुर्थ से अष्टम स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

32वाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल-टोक्यो (जापान), 2020 *[32nd Summer Olympic Sports-Tokyo (Japan, 2020)]*

- 23 जुलाई से 8 अगस्त, 2021 के मध्य ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया गया।
- ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह दूसरा मौका था जब टोक्यो को खेलों के महाकुंभ की मेजबानी मिली। इससे पहले 1964 में टोक्यो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन कर चुका है।

36 भारत की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ
(India's Major Sports Events)

वर्तमान में खेल को किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिये आवश्यक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धाओं में छाप छोड़ना देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ खेल को गौरवान्वित भी करता है। वर्तमान में खेलों में कई बदलाव हो रहे हैं जो समय की मांग के अनुरूप हैं तथा ये बदलाव राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर हो रहे हैं। इसलिये सरकार ने खेलों के विकास के लिये कल्याणकारी तथा उत्कृष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

- देश के अधिकांश राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्तशासी हैं और इनकी प्रमुख ज़िम्मेदारी खेलों को प्रोत्साहन देना है।
- खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करती रहती है जिससे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च श्रेणी की प्रतिस्पर्द्धाओं में सफलता हासिल की जा सके।
- देश के कई राज्यों ने अलग से राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमियों एवं विशेषज्ञ केंद्रों की स्थापना की है।
- केंद्र एवं राज्यों के कई विश्वविद्यालयों ने भी खेल को अपने स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। इसके अलावा, हर राज्य सरकार ने अपने यहाँ खेल एवं युवा कल्याण के लिये समर्पित विभाग एवं मंत्रालय बना रखे हैं, जो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये नियमित रूप से कार्य करते हैं।
- भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसके अलावा भारत सरकार अनेक खेलों को प्रोत्साहन देती है। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है।
- भारत एवं राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे- क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, मुक्केबाज़ी, जिमनास्टिक, कबड्डी, कुश्ती इत्यादि।

प्रमुख खेल प्रतियोगिताएँ (Major Sports Events)

राष्ट्रीय खेल *(National Games)*

- भारत में वर्ष 1924 से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ।
- प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् राष्ट्रीय खेलों को आयोजित किया जाता है। इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता है।
- हैदराबाद में 1979 में इस शृंखला का 25वाँ आयोजन हुआ। तत्पश्चात् वर्ष 1985 में नई दिल्ली में नई शृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय खेलों को प्रारंभ किया गया और इन्हें ही प्रथम राष्ट्रीय खेल माना गया।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन केरल में (2015) में किया गया।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल शामिल किये गए थे।
- इनमें 'याचिंग' खेल को प्रथम बार शामिल किया गया था।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया गया, इससे पूर्व 2011 में झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन केरल राज्य में नवनिर्मित "ग्रीन फील्ड स्टेडियम" में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने किया।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर केरल राज्य का राजकीय पक्षी "द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल" था जिसे **अम्मू** नाम दिया गया था।

35वें राष्ट्रीय खेल की 10 शीर्ष टीम

रैंक	विजेता टीम	पदक तालिका			
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	सर्विसेज़	91	33	35	159
2.	केरल	54	48	60	162
3.	हरियाणा	40	40	27	107
4.	महाराष्ट्र	30	43	50	123
5.	पंजाब	27	34	32	93
6.	मध्य प्रदेश	23	27	41	91
7.	मणिपुर	22	21	26	69
8.	तमिलनाडु	16	16	20	52
9.	गुजरात	10	4	6	20
10	असम	9	5	11	25

- 35वें राष्ट्रीय खेलों में पैदल चाल स्पर्द्धा में राजस्थान की सपना ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने 5 स्वर्ण, 6 रजत एवं 7 कांस्य पदक सहित कुल 18 पदक जीते।

राष्ट्रीय खेल	राज्य	वर्ष
36वें	गोवा	2020
37वें	छत्तीसगढ़	2021
38वें	उत्तराखंड	2022
39वें	मेघालय	2023

- 35वें खेलों में केरल के साजन प्रकाश (6 स्वर्ण एवं 2 रजत) तैराकी में विजेता को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
- महाराष्ट्र की तैराक आकांक्षा वोरा को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान सर्विसेज़ (सेना) को प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय खेल की पूर्व विजेता टीमें (2007-15)

वर्ष	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान
2007	सर्विसेज़	मणिपुर	असम
2011	सर्विसेज़	मणिपुर	हरियाणा
2015	सर्विसेज़	केरल	हरियाणा

37 प्रमुख खेल पुरस्कार : विश्व एवं एशिया
(Major Sports Awards : World and Asia)

खेल कई नियमों एवं सिद्धांतों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है। मानव संस्कृति में खेल का बहुत ही अहम स्थान है। यही कारण है कि प्राचीन काल से आज तक खेलों का महत्त्व कम नहीं हुआ है। विश्व एवं एशिया में खेलों को काफी प्रसिद्धि मिली है। खेलों का प्रोत्साहन एवं उत्साह बढ़ाने के लिये विश्व एवं संबंधित देश विभिन्न खेल प्रतिस्पर्द्धाओं का आयोजन करते हैं एवं खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हैं। इन पुरस्कारों को विश्व एवं एशिया के विभिन्न खेल क्षेत्रों में खिलाड़ियों के बहुमूल्य योगदान के लिये प्रदान किया जाता है।

विश्व के प्रमुख खेल पुरस्कार (World's Premier Sports Awards)

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार *(Awards Of the International Cricket Council)*

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा क्रिकेट में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये वर्ष 2004 से ये पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इन पुरस्कारों को **क्रिकेट के ऑस्कर** की संज्ञा दी गई है। इन पुरस्कारों के विगत वर्षों के प्राप्तकर्त्ता हैं-

प्रमुख क्रिकेटर ऑफ द ईयर (Cricketer of the Year) सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी		
वर्ष	**क्रिकेटर**	**देश**
2019	बेन स्टोक	इग्लैंड
2020	विराट कोहली	भारत

वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर (Women's Cricketer of the Year)		
वर्ष	**क्रिकेटर**	**देश**
2019	एलाइज पैरी	ऑस्ट्रेलिया
2020	एलाइज पैरी	ऑस्ट्रेलिया

प्रमुख टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर (Test Player of the Year)		
2019	पैट क्यूमिंस	आस्ट्रेलिया
2020	स्टीव स्मिथ	आस्ट्रेलिया

एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्लेयर ऑफ द ईयर		
वर्ष	**क्रिकेटर**	**देश**
2019	रोहित शर्मा	भारत
2020	विराट कोहली	भारत

शतरंज ऑस्कर पुरस्कार *(Chess Oscar Award)*

- इस पुरस्कार की स्थापना **वर्ष 1967** ई. में जॉर्ज प्यूग द्वारा की गई थी।
- इस पुरस्कार को 8 वर्ष (1989-94) के लिये बंद कर दिया गया था। इसके पश्चात् इसे पुनः वर्ष 1995 से फिर से प्रारंभ किया गया।
- यह पुरस्कार रूस की **शतरंज पत्रिका-64** द्वारा प्रदान किया जाता है।
- भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को 6 बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- प्रथम शतरंज ऑस्कर पुरस्कार बेंट लारसेन को दिया गया था।

शतरंज ऑस्कर विजेता (1997-2013)			
वर्ष	**विजेता**	**वर्ष**	**विजेता**
1997	विश्वनाथन आनंद (भारत)	2006	ब्लादिमीर क्रामनिक (रूस)
1998	विश्वनाथन आनंद (भारत)	2007	विश्वनाथन आनंद (भारत)
1999	गैरी कास्पोरोव (रूस)	2008	विश्वनाथन आनंद (भारत)
2000	ब्लादिमीर क्रामनिक (रूस)	2009	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)
2001	गैरी कास्परोव (रूस)	2010	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)
2002	गैरी कास्परोव (रूस)	2011	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)
2003	विश्वनाथन आनंद (भारत)	2012	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)
2004	विश्वनाथन आनंद (भारत)	2013	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)
2005	वेस्लीन टोपालोव (बुल्गारिया)		

गोल्डन बॉल पुरस्कार *(Golden Ball Award)*

- गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1956** में की गई थी।
- इस पुरस्कार को फ्राँसीसी फुटबॉल पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है।
- वर्तमान में फीफा पुरस्कार के साथ समाहित कर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है।
- 1956 में सर्वप्रथम इस पुरस्कार का खिताब इंग्लैंड के स्टेनली मैथ्यूज को प्रदान किया गया था।
- वर्ष 2017 का पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है।
- वर्ष 2018 का पुरस्कार लुका मैड्रिक को मिला था।
- वर्ष 2019 का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया।
- वर्ष 2020 का पुरस्कार गोलकीपर जियानलुईगी डोनारूम्मा की दिया गया।

फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर *(FIFA- World Player of the Year)*

फुटबॉल जगत का सर्वश्रेष्ठ 'फीफा' पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (महिला एवं पुरुष वर्ग में अलग-अलग) को दिया जाता है।

38 प्रमुख खेल पुरस्कार : भारत एवं राजस्थान
(Major Sports Awards : India and Rajasthan)

खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। चार वर्ष की अवधि में खिलाड़ियों को सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, चार वर्ष की अवधि में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के लिये अर्जुन पुरस्कार, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने वाले कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल के विकास में जीवन भर योगदान देने के लिये ध्यानचंद पुरस्कार और खेलों के विकास तथा उन्हें बढ़ावा देने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली कंपनियों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की) को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। अंतर विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्द्धाओं में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राजस्थान राज्य भी विभिन्न खेलों के लिये खेल पुरस्कार प्रदान करता है, जैसे– महाराणा प्रताप पुरस्कार।

भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार
(India's Major Sports Awards)

देश में खेलों को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उच्च स्तरीय क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न खेल संस्थाओं एवं सरकार की ओर से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। इससे खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है और वे विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धाओं में अपने प्रदर्शन से देश का नाम ऊँचा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

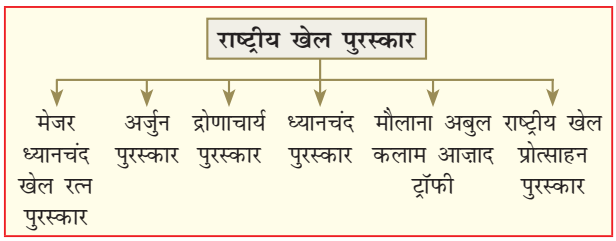

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
(Major Dhyanchand Khel Ratna Award)

- खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 6 अगस्त 2021 के पूर्व इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए पुरस्कृत व्यक्ति को प्रदान किये जाते हैं। ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए प्रदान किये जाते थे।
- इस पुरस्कार से उन्हीं खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने विचाराधीन वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धि खेल के क्षेत्र में हासिल की हो। परंतु 2016 में एक नया नियम बनाया गया है जो खिलाड़ी विचाराधीन वर्ष में ओलंपिक में पदक जीतेगा उसे इस पुरस्कार में वरीयता दी जाएगी।
- प्रथम 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' का खिताब भारत के महान शतरंज खिलाड़ी **विश्वनाथन आनंद** (1991-92) को दिया गया।
- राजस्थान के श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों की सूची

वर्ष	नाम	खेल
1993-94	पुष्पेंद्र कुमार गर्ग	नौकायन
1994-95	कर्णम मल्लेश्वरी	भारोत्तोलन
1995-96	कुंजरानी देवी	भारोत्तोलन
1996-97	लिएंडर पेस	टेनिस
1997-98	सचिन तेंदुलकर	क्रिकेट
1998-99	ज्योतिर्मय सिकदर	एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड)
1999-2000	धनराज पिल्लै	हॉकी
2000-01	पुलेला गोपीचंद	बैडमिंटन
2001	अभिनव बिंद्रा	शूटिंग
2002	अंजली वेद पाठक	शूटिंग
2002	के.एम. बीनामोल	एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड)
2003	अंजू बॉबी जॉर्ज	एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड)
2004	राज्यवर्द्धन सिंह राठौर	शूटिंग (निशानेबाज़ी)
2005	पंकज आडवाणी	बिलियर्ड्स और स्नूकर
2006	मानवजीत सिंह संधू	शूटिंग
2007	महेंद्र सिंह धोनी	क्रिकेट
वर्ष 2008 में किसी को नहीं दिया गया		
2009	मैरीकॉम	बॉक्सिंग (मुक्केबाज़ी)
2009	विजेंद्र कुमार सिंह	बॉक्सिंग (मुक्केबाज़ी)
2009	सुशील कुमार	कुश्ती
2010	साइना नेहवाल	बैडमिंटन
2011	गगन नारंग	निशानेबाज़ी
2012	विजय कुमार	निशानेबाज़ी
2012	योगेश्वर दत्त	कुश्ती
2013	रोंजन सोढ़ी	निशानेबाज़ी

39 प्रमुख खेल व्यक्तित्व : विश्व एवं एशिया
(Major Sports Personalities : World and Asia)

संपूर्ण विश्व में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं और भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न खेलों का महत्त्व होता है। सामान्यत: खेल को एक संगठित, प्रतिस्पर्द्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रतिबद्धता तथा निष्पक्षता होती है। विश्व में खेलों के प्रति लोगों का रुझान प्राचीनकाल से ही रहा है। वर्तमान में विश्व एवं एशिया में खेल के प्रत्येक क्षेत्र में खिलाड़ियों ने काफी प्रसिद्धि हासिल की है। विश्व एवं एशिया में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो-खो, शतरंज इत्यादि खेलों को प्रसिद्धि दिलाने में महान खिलाड़ियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। विश्व एवं एशिया के विभिन्न खेलों में अनेक खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा है।

विश्व के प्रमुख खेल व्यक्तित्व
(World's Major Sports Personalities)

क्रिकेट से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व

ग्राहम एलन गूच (इंग्लैंड)

- ग्राहम गूच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड टीम की कप्तानी की थी।
- इनका जन्म 23 जुलाई, 1953 को लेटनस्टोन में हुआ था।
- ग्राहम गूच ने एडिलेड में इंग्लैंड के लिये सबसे अधिक टेस्ट खेलने के डेविड गॉवर के रिकॉर्ड (117 टेस्ट) की बराबरी की।

माइक गेटिंग (इंग्लैंड)

- माइक गेटिंग इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं।
- इनका जन्म 6 जून, 1957 को किंग्सबरी मिडिलसैक्स में हुआ था।
- गेटिंग ने अपना पहला टेस्ट इंग्लैंड में सन् 1978 पाकिस्तान के विरुद्ध खेला।
- सन् 1984 में माइक गेटिंग को 'विज़डन क्रिकेट ऑफ द ईयर' से सम्मानित किया गया था।
- इन्हें अच्छी बल्लेबाज़ी के लिये हमेशा जाना जाएगा।

नासिर हुसैन (इंग्लैंड)

- नासिर हुसैन इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान रहे हैं। इन्होंने 1999 से 2003 के बीच इंग्लैंड की कप्तानी की थी।
- इनका जन्म 28 मार्च, 1968 को मद्रास (तमिलनाडु) में हुआ था।
- इन्होंने कुल 96 टेस्ट मैच एवं 88 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले।

एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)

- ये इंग्लैंड के गेंदबाज़, बल्लेबाज़ व बेहतरीन क्षेत्ररक्षक के रूप में जाने जाते हैं।
- इनका जन्म 6 दिसम्बर, 1977 को प्रिस्टन (इंग्लैंड) में हुआ था।
- ये एक बॉक्सर भी हैं।
- इन्होंने 79 टेस्ट मैच एवं 141 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं।
- इन्होंने टेस्ट मैच में 5 शतक एवं एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3 शतक बनाए।

जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)

- जेम्स माइकल 'जिमी' एंडरसन इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ एवं बल्लेबाज़ हैं।
- इनका जन्म 30 जुलाई, 1982 में बर्नले, लंकाशायर में हुआ था।
- ये बाएँ हाथ से बल्लेबाज़ी एवं दाएँ हाथ से गेंदबाज़ी करते हैं।
- इन्होंने अभी तक 124 टेस्ट मैच एवं 194 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं।
- टेस्ट मैच में इन्होंने अब तक 477 विकेट लिये तथा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में कुल 269 विकेट लिये।

माइकल वॉन (इंग्लैंड)

- ये इंग्लैंड के एक सशक्त बल्लेबाज़ रहे हैं।
- इनका जन्म 29 अक्टूबर, 1974 को इंग्लैंड में हुआ था।
- ये 2005 में इंग्लैंड टीम के कप्तान भी थे।
- इन्होंने कुल 82 टेस्ट मैच खेले एवं 5719 रन बनाए तथा 86 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 1982 रन बनाए।

जोनाथन ट्रॉट (इंग्लैंड)

- इनका जन्म 22 अप्रैल, 1981 को केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
- 2011 में इन्हें आई.सी.सी. 'क्रिकेट ऑफ द ईयर' के लिये चुना गया था।
- इन्होंने कुल 52 टेस्ट मैच खेले और 3835 रन बनाए।
- एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने 68 मैच खेले और कुल 2819 रन बनाए।

इमरान खान (पाकिस्तान)

- ये पाकिस्तान के एक महान क्रिकेटर हैं, इन्हें विश्वस्तरीय गेंदबाज़ के रूप में जाना जाता है।
- इनका जन्म 5 अक्टूबर, 1952 को पाकिस्तान में हुआ था।

40 प्रमुख खेल व्यक्तित्व : भारत एवं राजस्थान
(Major Sports Personalities : India and Rajasthan)

मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही है। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक क्षमता पाने का एक माध्यम के साथ-साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों को सुखद बनाने में भी सहायता करता है। भारत खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। खेल क्षेत्र में भारत के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। हॉकी के महान भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने जहाँ विश्व हॉकी में प्रसिद्धि हासिल की, वहीं सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व क्रिकेट में अमिट छाप छोड़ी है। इसी तरह क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज इत्यादि खेलों में भी भारतीयों ने विश्व-पटल पर अपना परचम लहराया है।

राजस्थान ने खेलकूद और युवा कल्याण गतिविधियों को सुचारु और व्यवस्थित करने के लिये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया।

भारत के प्रमुख खेल व्यक्तित्व
(Major Sports Personalities of India)

क्रिकेट से संबंधित व्यक्तित्व

खेल व्यक्तित्व	संबंधित सूचना
डी.बी. देवधर	❑ असाधारण प्रतिभा के धनी देवधर जी का जन्म 1892 में पुणे में हुआ था। ❑ क्रिकेट के लिये असाधारण योगदान के कारण ही उनके नाम से 'देवधर ट्रॉफी' खेली जाती है।
विजय हज़ारे	❑ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विजय हज़ारे भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं। ❑ इनका जन्म 11 मार्च, 1915 को सांगली, मुंबई में हुआ था। ❑ भारत ने प्रथम टेस्ट विजय इन्हीं की कप्तानी में प्राप्त की थी।
मंसूर अली खाँ पटौदी	❑ इनका जन्म 5 अप्रैल, 1941 को **भोपाल (म.प्र.)** में हुआ था। ❑ ये भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। ❑ पटौदी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर 203 (अविजित) 1964 में इंग्लैंड के विरुद्ध है।
सैयद किरमानी	❑ महान क्रिकेटर सैयद किरमानी का जन्म 29 दिसंबर, 1949 को चेन्नई में हुआ था। ❑ प्रथम टेस्ट मैच 1976 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेला था। ❑ प्रथम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1976 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेला था। ❑ सैयद किरमानी को **वर्ष 2015** में क्रिकेट की सेवा के लिये **लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार** दिया गया।
सुनील गावस्कर	❑ क्रिकेट को अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाले सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई, 1949 को बंबई में हुआ। इन्हें **लिटिल मास्टर** के नाम से भी जाना जाता है। ❑ सुनील गावस्कर ने टेस्ट जीवन का आरंभ 1970 में किया। ❑ भारत के लिये सुनील गावस्कर ने **कुल 125 टेस्ट** मैच तथा 108 वनडे मैच खेले हैं।
कपिल देव	❑ भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव का जन्म 6 जनवरी, 1959 को चंडीगढ़ में हुआ। ❑ कपिल देव विश्व के महानतम ऑल राउंडरों में से एक हैं। ❑ इन्होंने टेस्ट मैच में कुल 434 विकेट एवं एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 253 विकेट प्राप्त किये। ❑ इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पहली बार 1983 में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता था।
रवि शास्त्री	❑ क्रिकेट के महान आलराउंडर रवि शास्त्री का जन्म 27 मई, 1962 में बंबई में हुआ था। ❑ रवि शास्त्री दायें हाथ की बल्लेबाज़ी के लिये जाने जाते हैं। ❑ एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदार्पण वर्ष 1981 में इंग्लैंड के विरुद्ध किया। ❑ वर्तमान (2018) में वह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू	❑ भारतीय क्रिकेटर, कमेंटेटर, कमेडियन तथा राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म 20 अक्टूबर, 1963 को हुआ था। ❑ प्रथम टेस्ट मैच 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। ❑ प्रथम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1987 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था।

41 प्रमुख खेल संस्थाएँ : विश्व एवं एशिया
(Major Sports Associations : World and Asia)

विश्व में खेलों के विकास में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। खेल, कई नियमों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है। विश्व के विभिन्न देशों ने खेलों को संचालित करने के लिये भिन्न-भिन्न संस्थाओं का निर्माण किया है। ये संस्थाएँ खेलों के लिये नियम बनाती हैं तथा नियंत्रण करती हैं। साथ-ही-साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी प्रदान करती हैं।

विश्व की प्रमुख खेल संस्थाएँ (World's Premier Sports Associations)

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद *(ICC- International Cricket Council)*

- **वर्ष 1909** में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। **1965** में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनी। **वर्ष 1989** में इसका नाम परिवर्तन करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) कर दिया गया।
- इसका मुख्यालय **दुबई** (संयुक्त अरब अमीरात) में है।

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ *(FIH- International Hockey Federation)*

- इसकी स्थापना **7 जनवरी, 1924** को हुई।
- इसका मुख्यालय **लुसाने (स्विट्ज़रलैंड)** में स्थित है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष **नरेंद्र बत्रा** हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ *(FIVB- Federation International de Volleyball)*

- इसकी स्थापना **1947 ई. में पेरिस** में की गई थी।
- इसका **मुख्यालय लुसाने (स्विट्ज़रलैंड)** में स्थित है।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष **डॉ. आर्य ग्रेका** हैं।

फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन *(FIFA- The Federation International de Football Association)*

- इसकी स्थापना **मई 1904** में हुई।
- फीफा विश्व कप का पहला आयोजन **1930** में **उरूग्वे** में किया गया था।
- इसका मुख्यालय **ज्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड)** में स्थित है।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष **गिएननी इन्फैंटिनो (स्विट्ज़रलैंड)** हैं।

अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ *(ITTF- International Table Tennis Federation)*

- इसकी **स्थापना 1926** में बर्लिन में हुई थी।
- वर्तमान में इसका मुख्यालय **लुसाने (स्विट्ज़रलैंड)** में स्थित है।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष **थॉमस विक्टर्ट** हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ *(FIBA- International Basketball Federation)*

- इसकी **स्थापना** जून 1932 में जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में की गई थी।
- इसका मुख्यालय **स्विट्ज़रलैंड** में है।
- वर्तमान (2020) में इसके अध्यक्ष **एंजेल हॉयर** है।

विश्व बैडमिंटन संघ *(Badminton World Federation)*

- इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्य देशों (कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्राँस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स) के साथ हुई।
- इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया है।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष **पॉल एरिक एंजेल होयर** हैं।

अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ *(ITF- International Tennis Federation)*

- यह टेनिस की सर्वोच्च संस्था है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना **1 मार्च, 1913** को पेरिस में हुई।
- इसका मुख्यालय **लंदन** में है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष **डेविड हेगेर्टी** हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पोलो महासंघ *(FIP-Federation of International Polo)*

- फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो की स्थापना 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में की गई।
- इसका मुख्यालय बेवर्ली हिल्स (USA) में स्थित है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष होरोसियो अरेको है।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन *(IAAF- International Association of Atheletics Federation)*

- यह एथलेटिक्स के खेल के लिये अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 17 जुलाई, 1912 को स्टाकहॉम, स्वीडन में की गई।
- इसका मुख्यालय मोनाको के मोंटे कार्लो में स्थित है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन को हैं।

संयुक्त विश्व कुश्ती *(UWW-United World Wrestling)*

- इसकी स्थापना **1912** को की गई।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष **नेनद लालोपिक** हैं।

द फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेस *(FIDE- The Federation International des Echecs or World Chess Federation)*

- इसकी स्थापना 20 जुलाई, 1924 को पेरिस (फ्राँस) में की गई।
- इस संस्था का आदर्श वाक्य है- हम लोग एक हैं।
- इसका मुख्यालय लुसाने (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष **आर्केडी डेर्वोकोविच** है।

42 प्रमुख खेल संस्थाएँ एवं नीतियाँ : भारत एवं राजस्थान
(Major Sports Associations and Policies : India and Rajasthan)

भारत में खेलों का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुज़रा है। कबड्डी, शतरंज, खो-खो, कुश्ती, तीरंदाज़ी आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने से भारत में क्रिकेट, जूडो, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलों का विकास तेज़ी से हुआ है। भारत सरकार ने इन खेलों का संचालन करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है। राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार की तर्ज़ पर खेलों के विकास एवं संचालन के लिये बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की है।

भारत की प्रमुख खेल संस्थाएँ एवं नीतियाँ (India's Major Sports Associations and Policies)

प्रमुख खेल संस्थाएँ *(Major sports association)*

बंगाल हॉकी एसोसिएशन (Bengal Hockey Association)

- इसकी स्थापना 1908 में कलकत्ता में की गई।
- यह भारत का पहला राष्ट्रीय एसोसिएशन है, जिसने प्रथम बार राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का 1928 में कलकत्ता में आयोजन किया था।
- इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है।
- बंगाल हॉकी एसोसिएशन के आधार पर ही बंबई, बिहार, उड़ीसा एवं दिल्ली में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की गई।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष स्वप्न बनर्जी हैं।

हॉकी इंडिया (Hockey India)

- इसकी स्थापना 20 मई, 2009 को की गई।
- हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है।
- वर्तमान में भारतीय हॉकी के लिये ज़िम्मेदार संस्था **हॉकी इंडिया** है।
- मार्च 2014 में भारत सरकार ने हॉकी इंडिया को देश की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता दी।
- वर्तमान (2021) में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोम्बाम है।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (The Board of Control for Cricket in India–BCCI)

- भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई।
- यह भारत में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों को संचालित करता है।
- यह राज्यों के क्रिकेट संघों का प्रमुख होता है।
- भारत में यह एक राष्ट्रीय स्वायत्तशासी निकाय है।
- इसका मुख्यालय **मुंबई** में स्थित है।
- बीसीसीआई विश्व में सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है।
- वर्तमान में BCCI का अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation (AIFF)

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के गठन से पहले भारत में एसोसिएशन फुटबॉल के लिये **डी-फेक्टो** (De-facto) शासक निज़ाम भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन नामक संस्था कार्यरत थी।
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून, 1937 को हुई।
- यह सभी फुटबॉल प्रतियोगिताओं का संचालन एवं नियंत्रण करता है।
- इसका मुख्यालय द्वारका (दिल्ली) में स्थित है।
- वर्तमान (2021) में इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं।
- वर्ष 2021 में अभिषेक यादव को इसका पहले उपमहासचिव नियुक्त किया है।

एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (Amature Kabaddi Federation of India–AKFI)

- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई।
- राष्ट्रीय कबड्डी संघ के नियम एवं तकनीक अधिकृत माने जाते हैं।
- इसके तत्त्वावधान में प्रतिवर्ष कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।
- इसने सर्वप्रथम कबड्डी प्रतियोगिता 1952 में मद्रास में आयोजित की थी।
- वर्तमान में इसमें अध्यक्ष एस.पी. गर्ग है।

अखिल भारतीय टेनिस संघ (All India Tennis Association-AITA)

- अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) की स्थापना अविभाजित भारत (लाहौर) में मार्च 1920 में की गई जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ एवं एशियन टेनिस महासंघ से संबद्ध था।
- अखिल भारतीय टेनिस संघ सभी भारतीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि टेनिस पक्षों का संचालन करता है, जिसमें भारत डेविस कप टीम, भारत फेड कप टीम और युवा पक्ष भी शामिल हैं।
- एआईटीए भारत के भीतर टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करने, मेज़बानी करने तथा गृह एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का समय निर्धारण करने की भी ज़िम्मेदारी लेता है।
- इसका मुख्यालय आर.के. खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्थित है।
- वर्तमान (2021) में इसके अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन हैं।

43 खेलों में प्राथमिक उपचार
(First Aid in Sports)

प्राथमिक उपचार को प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता तथा फर्स्ट-एड भी कहा जाता है। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने से पूर्व पीड़ित की जान बचाने के लिये जो कुछ भी उपाय किया जाता है, उसे ही प्राथमिक उपचार कहा जाता है। आपातकाल की स्थिति में पीड़ित खिलाड़ी की जान बचाने के लिये चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी चाहिये। प्राथमिक उपचार से तात्पर्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था किया जाना कि खेलों के दौरान चोटग्रस्त खिलाड़ी को तुरंत उपचार में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं-

1. घायल व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना
2. आपातकालीन स्थिति को तत्काल नियंत्रण की स्थिति में लाना।
3. पीड़ित व्यक्ति की तबीयत में सुधार लाना।

प्राथमिक उपचार के प्रमुख सिद्धांत

1. यदि खेलों के दौरान चोट लगी है तथा खून बह रहा है तो तुरंत रक्तस्राव को रोकना चाहिये।
2. यदि खेलों के दौरान श्वास में दिक्कत हो रही है तो तुरंत उसकी जाँच कर आराम देना चाहिये।
3. यदि खेलों के दौरान खिलाड़ी घायल हुआ है तो उसे तुरंत उचित उपचार उपलब्ध कराना चाहिये।
4. यदि खिलाड़ी बेहोश हो गया है तो तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश करनी चाहिये।
5. यदि खिलाड़ी की हड्डी टूट गई है तो तुरंत दर्द राहत उपाय करनी चाहिये।
6. जितनी जल्दी हो सके घायल खिलाड़ी को नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सालय में पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

- खेलों के दौरान चोट लगना, खून निकलना, हड्डी टूट जाना इत्यादि के उपचार के लिये फर्स्ट एड किट का होना आवश्यक होता है। इसमें बैंडेज एवं ड्रेसिंग का सामान होना आवश्यक है।
- तुरंत चिपकने वाली पट्टियाँ जैसे बैंड एड स्टिकलिंग प्लास्टर
- छाले के उपचार और रोकथाम के लिये मोलस्किन (Moleskin)
- बैंडेज (Bandages) जैसे-
  - रोलर बैंडेज - घाव को जल्द से जल्द सुखाने में मदद करता है।
  - इलास्टिक बैंडेज - माँसपेशियों में खिंचाव होने पर ड्रेसिंग में काफी उपयोगी होता है।
  - जलरोधक बैंडेज
  - त्रिकोणीय पट्टियाँ या बैंडेज - यह रक्तस्राव को तुरंत रोकने में मदद करता है।
- ड्रेसिंग की प्रमुख सामग्री निम्नलिखित है-
  - कीटाणुरहित आँख के लिये Sterile eye pads
  - न चिपकने वाला टेफलोन लेयर वाला पैड
  - अजीवाणु गॉज पैड
  - पेट्रोलेटम गॉज पैड
- प्राथमिक चिकित्सा के किट के लिये निम्नलिखित प्रमुख दवाइयाँ हैं-
  - दर्द निवारक दवाइयाँ, जैसे- Diclofenac, Paracetamol
  - हार्ट अटैक में आराम के लिये दवाइयाँ, जैसे- Aspirin, Nitriglycerin, Sorbitrate
  - एंटीबायोटिक आइंटमेंट- एलोबेरा जेल (Aloevera gel), क्लोबेटासोलद (Clobetasol), नियोस्पोरिन (NEOsporin)

प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य

- घायल व्यक्ति की जान बचाना।
- बिगड़ी हालत से बाहर निकलना।
- तबियत के सुधार में बढ़ावा देना

प्राथमिक चिकित्सा का नियम 'ABC'

1. **A (Airway):** श्वासनली की जाँच- श्वासनली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुँह की मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है। जिससे श्वासनली जाम हो जाती है। श्वासनली की जाँच करने के लिए सर्वप्रथम अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खिंच लाएँ। आप उसके पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि श्वासनली में किसी भी प्रकार की रूकावट ना हो।
2. **B (Breathing):** सांस की जाँच- सर्वप्रथम अपने कान को घायल व्यक्ति के मुँह के पास ले जाकर सुनें, देखें एवं महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। यदि वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसी समय Mouth to Mouth Respiration चालू करें। जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लेटा कर उसके मुँह को खोल कर अपने मुँह से हवा भरी जाती है।
3. **C (Circulation):** रक्तसंचार की जाँच- सर्वप्रथम घायल व्यक्ति के नाड़ी की जाँच करें। जाँच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूँढ़ें यह Artery गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है। आप अपनी उँगलियों को वहाँ रख कर जाँच कर सकते हैं। पल्स की जाँच करने के लिए 5-10 सेकेंड लगते हैं। यदि उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही है। तो Mouth to Mouth Respiration चालू रखें एवं यदि दिल की धड़कन नहीं चल रही हो तो बिना देरी किये Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) चालू करें

44 योग–एक सकारात्मक जीवन पद्धति
(Yoga - A Positive Life Style)

योग अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। यह स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। संस्कृत वाङ्मय के अनुसार, योग शब्द युज् धातु में घञ प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीन अर्थों में पाया जाता है 1. युज् समाधौ = समाधि, 2. युजिर योगे = जोड़, 3. युज् संयमने = सामंजस्य। यौगिक ग्रंथों के अनुसार, योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतनता को सार्वभौमिक चेतनता के साथ एकाकार कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्रह्मांड में उपस्थित सब कुछ परमाणु की एक अभिव्यक्ति है। जिसने योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया, उसे योगी कहा जाता है। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त करता है जिसे मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है।

'योग' का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करता है। योग अभ्यास (साधना) का उद्देश्य सभी प्रकार के दुःखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव प्राप्त कर सके।

योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास

योग विद्या का उद्भव हज़ारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदिगुरु, योगी या आदियोगी हैं। हज़ारो-हज़ार वर्ष पूर्व हिमालय में कांतिसरोवर झील के किनारे आदियोगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्तर्षियों को दिया था। इन सप्तर्षियों ने इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग-अलग भागों में प्रसारित किया। अत्यंत रोचक तथ्य यह है कि आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियों में समानता मिलने पर अचंभित हैं। वह भारतभूमि ही है, जहाँ पर योग की विधा पूरी तरह अभिव्यक्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्तर्षि एवं अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया।

योग का व्यापक स्वरूप तथा सिंधु एवं सरस्वती घाटी सभ्यता

- योग ने मानवता के मूर्त और आध्यात्मिक दोनों रूपों को महत्त्वपूर्ण बनाकर स्वयं को सिद्ध किया है। सिंधु- सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरों मुहर एवं जीवाश्म अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था। सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त देवी एवं देवताओं की मूर्तियाँ एवं मुहरें तंत्र योग का संकेत करती हैं। वैदिक एवं उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं भगवद्गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन परंपरा के साथ-साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग मिलता है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया और इसके निहितार्थ एवं इससे संबंधित ज्ञान को पातंजलयोगसूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया है।
- पतंजलि के बाद भी अनेक ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग अभ्यासों और यौगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास में महान योगदान दिया। प्रतिष्ठित योग आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में फैला है। आज सभी को योग अभ्यास से व्याधियों की रोकथाम, देखभाल एवं स्वास्थ्य लाभ मिलने का दृढ़ विश्वास है। संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। योग के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। योग का अभ्यास अधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।

योग के आधारभूत तथ्य

योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से चार वर्गों में विभाजित किया गया है: **कर्मयोग** में हम शरीर का प्रयोग करते हैं; **ज्ञानयोग** में हम मन का प्रयोग करते हैं; **भक्तियोग** में हम भावना का प्रयोग करते हैं और **क्रियायोग** में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग की जिस भी प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं, वह एक-दूसरे से आपस में अधिक मिली हुई होती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति इन चारों योग कारकों का एक अद्वितीय संयोग है। केवल एक समर्थ गुरु (अध्यापक) ही योग्य साधक को उसकी आवश्यकतानुसार आधारभूत योग सिद्धांतों का सही संयोजन करा सकता है। "योग की सभी प्राचीन व्याख्याओं में इस विषय पर अधिक बल दिया गया है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में योग अभ्यास करना अति आवश्यक है।"

दृष्टि The Vision

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

RAS Book सीरीज़ की पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹490